राजभाषा सरस्वती

(नराकास, मैसूरू की अर्धवार्षिक पत्रिका)

प्रवेशांक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मैसूरू
राजभाषा विभाग, भारत सरकार
(मुख्यालय: भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू)

राजभाषा सरस्वती

(नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मैसूरू की अर्द्धवार्षिक पत्रिका)

प्रवेशांक

संरक्षक

प्रो. बसवराज कोडगुंटी

निदेशक,
भारतीय भाषा संस्थान सह अध्यक्ष,
नराकास, मैसूरू

संपादक

डॉ. पंकज द्विवेदी

सहायक निदेशक(प्र.)
भा भा सं एवं सचिव,
नराकास, मैसूरू

सह–संपादक

डॉ. बीरेश कुमार
एसआरपी, रापसे–भारत,
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू

डॉ. अमित कुमार झा
एसआरपी, रापसे–भारत,
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू

संपादक मंडल

1. श्री कुमार संभव, सहायक निदेशक(भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, भा. भा. सं., मैसूर
2. श्री रामवृक्ष राय पुस्तकालयाध्यक्ष सह राजभाषा अनुभाग(प्रभारी), भा. भा. सं., मैसूर
3. श्रीमति कांतारानी, राजभाषा अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेलवे, मैसूरू
4. सुश्री अनीता एस., राजभाषा अधिकारी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूरू

प्रकाशक & मुद्रक का नाम:
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू

लेआउट–डिजाइन:
विशालिनी एम.जी.
जी. युवराज

अस्वीकरण: इस पत्रिका में व्यक्त भाव या विचार रचनाकारों के निजी हैं। उनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

विषय–क्रम

पृष्ठ सं.

- भाषा प्रौद्योगिकी और पुनर्सृजन – प्रो. उमा सरस्वती 01
- भारत के विकास में भारतीय भाषाओं की भूमिका - अंकिता तिवारी 05
- तत्ववाद (द्वैतवाद) के प्रवर्तक संत श्री मध्वाचार्य - डॉ. वीरेश कुमार 09
- मैं मोटरसाइकिल बोल रहा हूँ – पवन टिब्बा 11
- दर्द तो होगा - डॉ. शिवांगी प्रिया 15
- तेंदुआ – सरिता के. शेणै 16
- भाषा- सुमन - एस. के. उपाध्याय 18
- कैसे कहूँ हॅप्पी न्यू इयर - डॉ. नारायण रेड्डी 19
- विचार – वी. ज्योतिलक्ष्मी 20
- व्यथा–आर. पी. सिंह 21
- असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है – सुश्री एस. अनिता 22
- यात्रा वृत्तांत – विकास कुमार 23
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – रूपेश पाण्डेय 24
- आत्मनिर्भर भारत – के.एम. अलकनंदा 28
- रोजगार मेला – गुनगुन जायसवाल 32
- जी–२० देशों में भारत की भूमिका – पवन कुमार मिश्रा 34
- भारत की अध्यक्षता में जी–२० देशों का सम्मेलन – भाग्यलक्ष्मी पी. 37
- विश्वास – डॉ एम नारायण रेड्डी 40
- पापा की परी – जोगेन्द्र सिंह 41
- नाभिकीय ऊर्जा, विकिरण एवं आम अवधारणाएं – सुरेश कुमार 42
- सीट मिल गयी? – सरिता के. शेणै 46
- मानक प्रपत्र – एस. के. उपाध्याय 48
- अपनी मशाल जलायें हम – कांता रानी 53
- हिन्दी का संघर्ष जारी है – डॉ. सत्येन्द्र अवस्थी 54
- अनोखा द्वीप : अंडमान – अमेया नायर 56
- कार्यालयी आलेखन और टिप्पणी लेखन – डॉ. पंकज द्विवेदी 58
- मातृभाषा में स्कूली शिक्षा: एनईपी–२०२० के विशेष संदर्भ में – डॉ. अमित कुमार झा 64
- हम हिंदी में इतना अवश्य कर सकते हैं 67
- संगीत कणिकाएँ - सौरभ दास 68
- भारतीय भाषाओं में रचनात्मक संवाद और सांस्कृतिक विविधता – दीपा मिश्रा, उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' 70
- तस्वीरों में नराकास

संदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की पत्रिका 'राजभाषिका' के प्रवेशांक को अपने समक्ष पाकर प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए डॉ. पंकज द्विवेदी और उनकी संपादकीय टीम के सदस्य एवं अन्य कर्मी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इस कार्य को अत्यंत दक्षता के साथ अंजाम दिया है और नराकास, मैसूरू की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ा है। पत्रिका के आलेखों में विविधता है और इसमें भाषा दर्शन, साहित्य और राजनीति से लेकर प्रौद्योगिकी और तकनीकी आलेखन जैसे विषयों को समेटने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इसमें ललित निबंध, संस्मरण, यात्रा–वृत्तांत, कविता एवं कहानी जैसे साहित्य रूपों को भी प्रमुखता दी गई है। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी एवं शिक्षामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधानजी तथा गृहमंत्री श्री अमित शाहजी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार एक आंदोलन का रूप ले चुका है। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि इस महती कार्य में यह पत्रिका अपना उचित योगदान देगी और इसके माध्यम से सदस्य कार्यालयों के कर्मियों के हिंदी लेखन कौशल एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा। तभी हमारा यह लघु प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। मैं इस पत्रिका के नियमित प्रकाशन की आशा करता हूँ।

प्रो. बसवराज कोडगुंटी
अध्यक्ष
नराकास, मैसूरू

संपादकीय

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मैसूरू की राजभाषा पत्रिका–"राजभाषिका" के प्रवेशांक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। नराकास, मैसूरू के द्वारा काफी समय पूर्व ही यह निर्णय लिया गया था कि एक राजभाषा गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। सदस्य कार्यालयों द्वारा यह मांग एक लंबे अर्से से की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सामग्री का संयोजन कर पत्रिका को मूर्त रूप दिया गया है। पत्रिका के प्रकाशन का एक अभीष्ट सदस्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों में हिंदी में लेखन के प्रति रूझान उत्पन्न करना एवं उनकी झिझक को दूर करना है। इसके अलावा नराकास, मैसूरू के सदस्य कार्यालयों में हो रही गतिविधियों को प्रमुखता प्रदान करना भी पत्रिका के प्रकाशन का उदश्य है।

जैसा कि आपको विदित है कि सुदूर दक्षिण भारत में अवस्थित होने के बावजूद नराकास, मैसूरू अपने सदस्य– कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न राजभाषा गतिविधियों को बखूबी अंजाम देता रहा है। नियमित रूप से नराकास की बैठकों के संचालन के अलावा हिंदी कार्यशालाओं, सेमिनारों, अभिविन्यास कार्यक्रमों तथा हिंदी प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त संयुक्त राजभाषा पखवाड़ा का भी आयोजन किया जाता रहा है। इन गतिविधियों में सदस्य कार्यालयों का योगदान सदैव सराहनीय रहा है एवं सभी कार्यालय बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ राजभाषा कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

कहना न होगा कि नियमित रूप से इन कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप सदस्य कार्यालयों में भी राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता एवं नई ऊर्जा का संचार हुआ है । परिणामतः नराकास, मैसूरू के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग में गति भी आई है जो निःसन्देह स्तुत्य है।

पत्रिका की साज–सज्जा एवं इसके कलेवर को आकर्षक बनाने के अलावा पठनीयता की दृष्टि से उपयोगी सामग्री का संकलन कर सरल भाषा में इस पत्रिका को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। सदस्य कार्यालयों से भी प्रकाशन योग्य कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है जिसका संयोजन इस अंक में यथास्थान किया गया है। परंतु अगले अंकों में सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रकाशन योग्य सामग्री समय पर उपलब्ध कराने की सहयोग की अपेक्षा रहेगी। पत्रिका के संबंध में आप अपने सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं। इस कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मैं उनकी इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ।

डॉ. पंकज द्विवेदी
सचिव
नराकास, मैसूरू

भारतीय भाषा संस्थान के बारे में

भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 17 जुलाई 1969 को भारतीय भाषाओं के विकास को संयोजित करने एवं उसमें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान विभिन्न भाषाओं में हुये अनुसंधान और साहित्यिक कार्यों को एक स्थान पर लाने के लिये एक नाभिक का काम करता है और इस प्रकार भारत देश में भाषाओं के क्षेत्र में हुये मूलभूत एवं विकासात्मक अनुसंधान कार्यों के मध्य दूरियों को कम करता है। यह भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता के तत्वों को उजागर करता है और इस प्रकार देश के जनगण की भावात्मक एकता को बढ़ाने में योगदान करता है। इसके निम्नलिखित प्रमुख कार्यभार हैं– भाषा से संबंधित मुद्दों पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना, अंतर्वस्तु और कॉर्पस तैयार करके भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देना, लघु, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं को संरक्षण प्रदान करना एवं उनका प्रलेखन करना तथा 20 भारतीय भाषाओं की शिक्षा अन्य भाषा भाषियों को प्रदान करना।

भारतीय भाषा संस्थान के सात क्षेत्रीय केन्द्र देश के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों जैसे–मैसूर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, सोलन, पटियाला और पुणे में अवस्थित हैं जो भारत सरकार के त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करते हैं और भाषिक अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा का काम करते हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वयन करने, वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा इनकी अनिवार्य एकता को सामने लाने, अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, भाषाओं की परस्पर समृद्धि में योगदान देने और इस प्रकार भारतीय जनगण की भावनात्मक एकता में योगदान करने के लिए की गयी थी। इसके प्रमुख कार्य है :–

- भाषा संबंधी मुद्दों पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना।
- भाषा शिक्षण संबंधी सामग्रियों और भाषा प्रयोग संबंधी निकायों का सृजन कर सभी भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देना।
- भारत की लघु, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं का प्रलेखन कर उन्हें लुप्त होने से बचाना।

- 20 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में शिक्षण–अधिगम को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय एकता, बहुभाषिकता और भाषिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
- विभिन्न सरकारी संस्थाओं को भाषा संबंधी परामर्श प्रदान करना और भारतीय भाषाओं के माध्यम से रोज़गार संबंधी अवसरों का प्रसार करना।
- भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं, योजनाओं और अन्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है :–
- राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत – इसके तहत भारतीय भाषाओं में शिक्षण–परीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी सामग्री का निर्माण किया जाता है तथा इन क्षेत्रों में परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- लिंगुइस्टिक डेटा कंसोर्टियम फॉर इंडियन लैंगुएजेस–इसके तहत भारतीय भाषाओं में वाक् निकायों का निर्माण किया जाता है।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन–इसके अंतर्गत ज्ञानपाठ का अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में तथा एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाता है।
- भारतवाणी–इस कार्यक्रम के तहत भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान–विज्ञान तथा कला और संस्कृति से संबधित सामग्री को एक मंच पर उपलब्ध कराया गया है।
- एसपीपीईएल–इस कार्यक्रम के माध्यम से लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा एवं उनके प्रलेखन का कार्य किया जाता है।
- आर्थोग्राफी डेवलपमेंट प्रॉजेक्ट फॉर नार्थ–ईस्टर्न लैंगुएजेस–इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर–पूर्व की भाषाओं के लिए लेखन प्रणालियों का विकास किया जाता है।
- इनके अलावा संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र कार्यरत हैं—

उत्तर–पूर्वी भाषाओं के विकास का केंद्र; लोक साहित्य, सृजनात्मक लेखन एवं कोश निर्माण केंद्र; भाषा नीति, योजना एवं समाज भाषाविज्ञान केंद्र; मानववैज्ञानिक भाषाविज्ञान केंद्र तथा भाषा एवं संज्ञान केंद्र आदि। संस्थान के अंतर्गत तीन सेवा इकाइयाँ भी संचालित हैं—कंम्यूटर अनुप्रयोग इकाई, शिक्षा तकनीकी इकाई तथा मुद्रण एवं प्रकाशन इकाई। संस्थान के मातहत कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और ओडिया भाषाओं के शास्त्रीय अध्ययन केंद्र भी संचालित हैं।

इनके अलावा संस्थान द्वारा सहायता अनुदान कार्यक्रम, कन्नड़ भाषा के लिए समेकित पाठ्यक्रम, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया एवं पंजाबी भाषाओं में ऑनलाईन आधारभूत पाठ्यक्रम तथा शोधवृत्ति एवं छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

यह संस्थान वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में निहित मूलभूत एकता को उद्घाटित करता है और अंतर–भाषिक शोध को बढ़ावा देता है जिससे भाषाओं की उन्नति होती है। इस प्रकार यह भारतीय लोगों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ाने में प्रकारांतर से अपना योगदान करता है जिससे वे महसूस करते हैं कि यद्यपि वे अलग–अलग भाषाएँ बोलते हैं तथापि वे एक जैसे वातावरण में पले हुए, एक ही मिट्टी की उपज हैं और उनकी परंपराएँ भी एक हैं।

उपलब्धियाँ

प्राथमिक शिक्षा में अल्पसंख्यक भाषाओं को स्थान दिलाने और माध्यमिक स्तर पर एक तृतीय भाषा पढ़ाने एवं बहुसंख्यक भाषाओं का लोक प्रशासन में प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा संस्थान द्वारा शैक्षणिक रणनीतियाँ बनाई गयी हैं। इससे भारतीय भाषाओं को इन रणनीतियों को लागू करने हेतु सामग्रियाँ और प्रशिक्षित मानव शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष स्वयं एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि के सहयोग से उत्तर–पूर्वी भाषाओं तथा जनजातीय एवं परिगणित समुदायों की भाषाओं हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनमें सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ एवं बैठक आदि अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। अपनी स्थापना के समय से ही संस्थान भारतीय भाषाओं में शोध, प्रशिक्षण एवं सामग्री उत्पादन में संलग्न रहा है। विगत 55 वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं–

- भारत की 118 भाषाओं में वाक्–प्रकारों में डाटा के अभिलेखागार का निर्माण।
- 80 जनजातीय एवं लघुतर भाषाओं का अध्ययन।
- भारतीय भाषाओं में फोनेटिक रीडरों तथा समाज भाषावैज्ञानिक विवरणिकाओं का निर्माण एवं बोली सर्वेक्षणों का आयोजन।
- 15 प्रमुख भाषाओं में 45 मिलियन शब्दों वाले निकायों का निर्माण।
- बंगाली, कन्नड़, तमिल एवं मणिपुरी आदि भाषाओं में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन, आदि ।
- बंगाली, मराठी, मलयालम, पंजाबी, कन्नड, ओड़िया भाषाओं में "स्वयम" पाठ्यक्रम का निर्माण एवं संचालन।

इसके अलावा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक ५९९ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है जो भारतीय भाषाओं के शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन से संबंधित हैं।

संस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से ७९ भारतीय भाषाओं में प्रवेशिकाओं (प्राईमर) का निर्माण किया गया है जिसमें असमिया और तमिल जैसी शास्त्रीय तथा बोडो, मणिपुरी, नेपाली और संथाली जैसी अनुसूचित भाषाओं के साथ–साथ तुलु, कोरावा और दिमासा जैसी अल्प ज्ञात भाषाएँ भी शामिल हैं।

उपलब्ध सुविधाएँ

संस्थान के पास समिति कक्ष, सम्मेलन कक्ष, समारोह कक्ष, प्राभ्यास कक्ष, अतिथिशालाएँ एवं शैक्षणिक तकनीकी से संबंधित ध्वन्यंकन तथा छायांकन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनका उचित शुल्क देकर अन्य संस्थान/व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं।

भाषा प्रौद्योगिकी और पुनर्सृजन

डॉ. उमा सरस्वती
अखिल भारतीय वाक्–श्रवण संस्थान, मैसूरू

भाषा–विकास के कालक्रम में देखा जाता है कि संकेत भाषा, चित्र भाषा आदि स्तरों को पार करते हुए भाषा प्रयोग ने साहित्यिक स्वरूप धारण किया। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद आदि के द्वारा भाषा की अभिव्यंजना शक्ति अधिकाधिक पैनी बनती चली गई। भाषा की बदली हुई आवश्यकताओं के साथ–साथ उसकी सूचना क्षमता भी बढ़ने लगी। आजकल हम देखते हैं कि साहित्य की परिधि को पार करते हुए विज्ञान, मानविकी, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य आदि न जाने किन–किन क्षेत्रों में भाषा की विस्तृत प्रविष्टि हो चुकी है। सुगम और उत्तम भाषा प्रयोग तथा उसके द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म अभिव्यक्ति की मांग आजकल बढ़ रही है और उस माँग की पूर्ति करना भाषाविदों का उत्तरदायित्व बन गया है।

इस दिशा में अनुवाद कला या अनुवाद विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही विविध भाषाओं के बीच खड़ी दीवारों को हटाकर अनुवाद ने ज्ञान के प्रसार में यथासंभव अपना हाथ बटाया है। विश्व के विविध प्रदेशों को, विविध भाषाभाषियों को और विविध संस्कृतियों को एकसूत्र में बांधने का श्रेय अनुवाद को रहा है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, संक्षेपानुवाद और रूपांतर आदि प्रकारों के साथ–साथ उसकी कई अन्य विधाएं भी आजकल प्रचलित हैं। कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा उनके अंगरूप में विद्यमान भाषा प्रौद्योगिकी के आविर्भाव के साथ–साथ बदलते हुए विकासोन्मुख विश्व के मंच पर इनकी नित्य नवीन भूमिका और कार्यप्रणाली देखी जा रही है। और भाषा की सूचना शक्ति के बहुमुखी आयाम सामने आ रहे हैं तथा अनंत संभावनाएँ भी दृष्टिगत हो रही हैं। भाषा प्रौद्योगिकी के एक विशिष्ट अंग के रूप में पुनर्सृजन या पुनर्सर्जन (transcreation) की क्या–क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, इसकी ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

वास्तव में पुनर्सृजन हमारे लिए नयी बात नहीं है, क्योंकि किसी मूल कृति को अनुवादक अपनी प्रतिभा के ढांचे में ढालकर एक अनुसृष्टि का अनुसंधान कर लेता है और एक समानांतर सृष्टि के रूप में लक्ष्य भाषा में कृति श्रेय का भाजन बन जाती है। लेकिन आज वैश्विक धरातल पर जब वाणिज्य और वित्तीय कारोबार का बोलबाला हो गया है, भाषा को 'एनकैश' करने की दिशा में अधिक प्रयोग किये जा रहे हैं। आज के माहौल में पुनर्सृजन के नये आयाम देखे जा सकते हैं। आजकल पुनर्सृजन में किसी भी बात या भाव को दूसरी भाषा में इस तरह परिवर्तित किया जा सकता है कि उस 'उत्पाद' या 'सेवा' का कुशलतापूर्वक 'विपणन' हो सके।

पुनर्सृजन की प्रक्रिया को ऐतिहासिक तौर पर हम तीन पायदानों पर देख सकते हैं :–

प्राचीन काल में पुनर्सृजन की दिशाएं – अभिजात साहित्य के संबंध में।

आधुनिक काल में पुनर्सृजन का प्रयोग – अभिजात कृतियों को लेकर।

आधुनिकी प्रौद्योगिकी के माहौल में व्यावहारिक विश्व में पुनर्सृजन।

हमारी पुरानी अभिजात साहित्यिक कृतियों का परवर्ती भाषा में सुगम और सुग्राह्य रूप में अनुवाद करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का तथा पुराने महाकाव्यों का अनुवाद हर ज़माने में होता रहा है। अनुवादकों ने कभी–कभी स्रोत कृति को हूबहु अपनी भाषा में लाने का प्रयत्न किया है, जिसे हम आज साधारणतया अनुवाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कभी–कभी अपने देश और काल के सुधी पाठकों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा अनुवाद कार्य हुआ है जो सिर्फ अनुवाद के सीमाक्षेत्र के अंतर्गत बंधा नहीं रहता, बल्कि इन सीमाओं को पारकर एक नयी कृति को लेकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। इस दृष्टि से हिंदी के तुलसीदास, केशवदास, कन्नड़ के पंप, रन्न, कुमारव्यास और कुवेंपु जैसे रामायण, महाभारत की रचना करनेवाले कवियों ने पुनर्सृजन का काम ही किया है। भारत की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में प्राचीन अभिजात कृतियों का इस तरह पुनर्सृजन हुआ है। इस दृष्टि से transcreation स्रोत कृति का नया अवतार बन जाता है। ऐसा पुनर्सृजन विशेषकर सांस्कृतिक भूमिका वाली कृतियों के साथ होता है क्योंकि शाश्वत मूल्यों वाले साहित्य का हर युग में नये सिरे से जन्म लेना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसी भी काल और देश के संदर्भ में किसी कृति के कलात्मक प्रतिवेदन या प्रतिबिंबन या उसकी प्रतिव्याख्या को पुनर्सृजन कह सकते हैं, यह प्रतिव्याख्या किसी सामाजिक उद्देश्य को लेकर चलती है, और इसमें आवश्यक प्रक्षेप, विवरण, विस्तारण, संक्षेपण तथा शैली एवं तंत्र की दृष्टि से नये नये सौंदर्यबोधक आविष्कार दृष्टिगत होते हैं। पुराने ज़माने में साहित्य की सृष्टि धार्मिक वातावरण में होती थी इसीलिए साहित्यकार समाज के लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए भी इस तरह के पुनर्सृजन करते थे। कन्नड़ के आदिकवि पंप और उनके पथ पर चले अन्य कवियों में यह भावना देखी जा सकती है।

तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस के प्रारंभ में इस तरह कहते हैं—

नानापुराण निगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि

स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबंधमतिमंजुलमातनोति

अर्थात्, अनेक पुराण, वेद और तंत्रादि शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायणों में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी

उपलब्ध श्रीरघुनाथजी की कथा को मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोही भाषा में विस्तृत करता हूँ।

हमारे यहाँ यक्षगान बयलाट जैसी कई प्रदर्शक कलाएँ हैं जहाँ प्राचीन साहित्य के कथाभागों को लेकर साहित्य की रचना होती है। ये भी पुनर्सृजन के अच्छे उदाहरण हैं। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन समाज की माँगों के अनुसार पुनर्सृजन या अनुसृजन की धारा बहती आ रही है।

प्रस्तुत लेख में पुनर्सृजन या transcreation को आधुनिक भाषा प्रौद्योगिकी के धरातल पर देखने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है। आज के औद्योगिक विश्व में हर चीज़ की महत्ता उसके व्यावहारिक मूल्य से होती है। कौन सी चीज़ या सेवा कितने मोल पर बिकती है, विपणन करने के लिए कौन–कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, विज्ञापन कैसे तैयार करें—इन बातों को लेकर आज ज़्यादा विचार–विमर्श किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से जो भी उत्पाद निकल रहे हैं, उनको अलग–अलग देशों में अलग–अलग तरह विज्ञापित कर विक्रय को बढ़ाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक तरह से अनुवाद अपने हृदयपक्ष को छोड़कर मस्तिष्क की बात बन गया है। साहित्य आजकल व्यवहार और वाणिज्य में बदल चुका है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा प्रौद्योगिकी (Information Technology and Language Technology) के क्षेत्रों में जो अनुसंधान और विकास हो रहा है, उनका लाभ ज्ञान के और अन्य क्षेत्रों को भी हो रहा है। इस दिशा में पुनर्सृजन या transcreation का उपयोग वाणिज्य और विज्ञापन के क्षेत्रों में भी हो रहा है। इस नवीन दृष्टि से पुनर्सृजन अनुवाद का एक प्रकार है जिसमें उद्दिष्ट उपभोक्ता के लिए भाषिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किसी पाठ्य सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। स्रोत सामग्री का जो प्रभाव उसके उपभोक्ताओं पर हो सकता है वही प्रभाव पुनर्सृजन द्वारा लक्ष्य भाषा के भाषिक और सांस्कृतिक समुदायों पर होना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम पुनर्सृजन के आधुनिक स्वरूप के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इस आधुनिक स्वरूप का मतलब यह नहीं है कि अनुवाद की साहित्यिक सुरभि पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। पुनर्सृजन के रूप में अनेक साहित्यिक कृतियों के नये–नये अवतरण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ।

आजकल पुनर्सृजन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, वैश्विक विज्ञापन (Global publicity), ब्रैंड विकास और लोकालाइजेशन बिजनेस (Localisation Business) आदि में प्रयुक्त हो रहा है। अनुवाद, स्थानीयकरण और कापी–एडीटिंग आदि को मिलाकर विज्ञापन के क्षेत्र में सेवाओं का एक पैकेट होता है। पुनर्सृजन में सृजनात्मकता और विषय–वस्तु के यथावश्यक रूपांतरण की आवश्यकता होती है और इसीलिए यहां काम करनेवालों को इस कार्यक्षेत्र में माहिर होने की ज़रूरत होती है।

आज के प्रौद्योगिकी संपन्न विश्व में पुनर्सृजन की भूमिका को इस तरह देखा जा सकता है—

1. बाज़ार जब विश्व स्तर का बन जाता है तब कंपनियों को अपने दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस रिलीज़ आदि को बहुभाषाओं में वितरित करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अलग–अलग देशों में भाषा धारित बाज़ार उनका लक्ष्य बन जाता है।
2. अनुवाद के पारंपरिक अर्थ में अलग–अलग देशों या स्थानों के हिसाब से बदलनेवाले भाषिक और सांस्कृतिक अंशों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

3. वैश्विक स्तर के उत्पादन को ही लीजिए। संस्कृति और सभ्यता के भेद के कारण एक देश में मार्केटिंग करने की तकनीक दूसरे देश से अलग होती है। बाज़ार के मुताबिक ब्रैंड संदेश को बनाने की आवश्यकता होती है। इसे ही स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन कहते हैं।
4. बढ़ती हुई संप्रेषण विधाओं के कारण शब्दों की अदाकारी महत्त्व की बात बन गयी है। शब्द बाजार की प्रवृत्तियों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।
5. इंटरनेट प्रौद्योगिकी की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ आनलाइन सहभागिता बढ़ रही है। डोक्यूमेंट को अलग–अलग टोलियों में बांटना या शेयरिंग करना तथा ऑनलाइन काम चलाना आज का मंत्र बन गया है।
6. आजकल मार्केटिंग के क्षेत्र में विज्ञापन के लिए आवश्यक दस्तावेज या डोक्यूमेंट, आवश्यक चित्र या कलाकृति आदि का पुनर्सृजन करने के लिए उन्हें वेब पर अपलोड किया जाता है और सहभागिता में काम चलता है। पुनर्सृजन में माहिर लोग अलग–अलग देशों और संस्कृतियों वाले समुदायों के लिए अलग–अलग भाषाओं में विज्ञापन तैयार कर देते हैं।
7. संदेश या विज्ञापन की तैयारी, प्रूफरीडिंग, संपादन आदि का काम विश्वभर में कुछ ही घंटों में हो जाता है। इससे समय की बड़ी बचत होती है।

कंपनी छोटी हो या बड़ी, इस प्रौद्योगिकी के ज़रिए वह अपने उत्पादनों के साथ विश्वभर के खरीददारों तक पहुँच सकती है।

भारत के विकास में भारतीय भाषाओं की भूमिका

अंकिता तिवारी
हिंदी रिसोर्स पर्सन, एलडीसी–आईएल

भाषा, समाज और संस्कृति के बीच एक अन्योन्याश्रित संबंध है। विश्व की प्रत्येक भाषा किसी न किसी समाज और संस्कृति की परिचायक होती है। इतिहास साक्षी है कि जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा पर विदेशी भाषाओं को हावी न होने दिया, उस राष्ट्र के विकास की गति निरंतर बढ़ती गयी है। विद्वानों का मानना है कि मातृभाषा ज्ञान के आदान–प्रदान का सबसे सरल और सुगम माध्यम है। इसका उदाहरण हम भारत की शिक्षा प्रणाली के रूप में देख सकते हैं जहाँ अंग्रेजी भाषा भारतीय समाज के कई वर्गों के लिए शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा बन कर खड़ी है। गणित और विज्ञान के सरल से सरल सिद्धांत और प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के अभाव में विद्यार्थियों के लिए लोहे के चने साबित होते हैं जिन्हें मातृभाषा में आसानी से सिखाया जा सकता है। परिस्थिति यह हो जाती है कि जिन छात्रों को अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, कालांतर में उनके लिए शिक्षा बोझ–मात्र बनकर रह जाती है और वे हर प्रकार के ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। आंकड़ें बताते हैं कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में भी जिन राज्यों ने शिक्षा व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं पर विशेष बल दिया है अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया है, वे हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसके विपरीत जिन राज्यों ने क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार कर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया है वहाँ शिक्षा समाज के एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सी हो गयी है। परिणामस्वरूप सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निम्नतम हो गया है। विश्व की प्रत्येक भाषा अपने आप में एक सांस्कृतिक महत्व रखती है । भाषा की इसी महत्ता को प्रकाशित करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाया जाता है जिससे हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अस्तित्व का आभास होता है तथा दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान एवं समान रूप से स्वीकृति का भाव उत्पन्न होता है। राष्ट्र के निर्माण और विकास में देश में बोली जाने वाली भाषाओं की एक अहम् भूमिका होती है जिसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं में शिक्षा को विद्यार्थियों का अधिकार बताया गया है।

भारतीय भाषाओं के लिए 2013 में हुए 'लोक भाषा सर्वेक्षण' के अनुसार देश में कुल 780 भाषाएं हैं तथा विगत 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं व 197 भाषाएँ लुप्तप्राय हैं। भाषा के लुप्त हो जाने से उस भाषा में उपलब्ध ज्ञान तथा उससे जुड़ी संस्कृति का अंत हो जाता है। वर्तमान युग में भारतीय भाषाओं को जीवित रखने एवं उसके विकास के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन भाषाओं का प्रयोग न केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में हो बल्कि व्यवहार में भी अधिक से अधिक हो। भाषाओं की मृत्यु को लेकर यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोचिरो मत्सूरा का कथन है कि "एक भाषा की मृत्यु उसे बोलने वाले समुदाय की अमूर्त विरासत, परंपराओं और वाचिक अभिव्यक्तियों का नष्ट हो जाना ही है।" गांधी जी ने भविष्य के इसी भाषाई संकट को महसूस कर यह कहा था कि "आप और हम चाहते हैं कि करोड़ों भारतीय आपस में अंतर्प्रान्तीय संपर्क कायम करें। स्पष्ट है कि दस पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी हम अंग्रेज़ी के द्वारा परस्पर संपर्क स्थापित ना कर सकेंगे।" वर्तमान स्थिति पर

गौर करें तो यह अंदेशा सत्य में परिवर्तित हो गया है । देश के नागरिक भाषिक दृष्टिकोण से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। हमारे व्यवहार–संस्कार जो हमारी भाषाओं से पनपते व सृजित होते हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति से दूर कर अंग्रेजी भाषा को अपनी भाषाओं से अधिक महत्व दे रहे हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि किसी भी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए उसकी भाषा उत्प्रेरक की भाँति कार्य करती है।

भारत के विकास के लिए भारतीय भाषाओं की अनदेखी कतई तर्कसंगत नहीं है। भारत का आत्मनिर्भर हो पाना भी संभव है जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा से सतत जुड़ाव महसूस करे। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में अपनी मातृ भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया है। वैसे प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाए यह कोई नया प्रश्न नहीं है। आजादी से पूर्व ही वर्ष 1938 में डॉ. जाकिर हुसैन समिति ने 'देशज शिक्षा' की बात कही थी जिसकी अनुशंसा प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री डी.एस. कोठारी की समिति द्वारा वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई थी। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०' के अनुसार अब बच्चे आठवीं कक्षा या उसके बाद भी अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस नई पहल से भारत के विकास में व्यावहारिक भाषा तथा शैक्षिक भाषा एक होने का अत्यंत गहरा प्रभाव बड़े स्तर पर हम देख पाएंगे। मातृभाषा में शिक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता को और अधिक मजबूत करने के साथ ही बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होगी। विभिन्न भाषा–वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जब हम किसी बच्चे को उसकी भाषा में शिक्षा देते हैं तो उसका मस्तिष्क उस भाषा में सहजतापूर्वक ज्ञान को आत्मसात करने में दूसरी भाषाओं की अपेक्षा अधिक सक्षम होता है। संपूर्ण मानवीय सभ्यता भाषा के माध्यम से ही विकसित हुई है। भाषा न केवल मानवीय सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ संपदा है, बल्कि वर्तमान युग में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाला शक्तिशाली उपकरण भी है। किसी भी राष्ट्र में उसकी भाषाएं लोकतंत्र को अनिवार्य रूप से मजबूती प्रदान करती हैं और भारत जैसे विकास के पथ पर अग्रसर देश के लोकतंत्र में जनता की बराबर भागीदारी में भारतीय भाषाओं का बहुत महत्व है।

वर्तमान परिदृश्य में भारत की अर्थव्यवस्था तथा नवाचार, व्यवसाय, शिक्षा, शोध व व्यापार इत्यादि के विकास में भारतीय भाषाओं की बढ़ती उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न भाषाओं की भागीदारी समाज के विभिन्न अंगों की भागीदारी को दर्शाती है। भाषाई तत्व कमजोर होने की वजह से देश के समावेशी विकास पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए देश के कई संस्थान तथा कम्पनियाँ आपस में मिलकर नई–नई तकनीक बना रहे हैं जिससे ज्ञान के आदान– प्रदान में भाषिक बाधाओं का अंत होता दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी की उपयोगिता वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में अवश्य है किंतु साथ ही भारत की संस्कृति एवं एकता के लिए भारतीय भाषाओं का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विभिन्न भारतीय भाषाओं को न केवल व्यावहारिक स्तर पर अपितु शैक्षिक स्तर पर भी ऊपर रखने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा समाज में भावों के आदान–प्रदान का माध्यम मात्र ही नहीं वरन् यह किसी भी देश के अर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सारथी भी है। प्रसिद्ध कवि, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी अपनी कविता 'निज भाषा' में मातृभाषा की महत्ता को कुछ ऐसे बताया है–

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल"

अर्थात् मातृभाषा के बिना किसी समाज का उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हमारी तरक्की का मूल आधार है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की बहुभाषिकता का भारतीय समाज व संस्कृति से बहुत गहरा रिश्ता है। सभी इस बात से भली–भाँति परिचित हैं कि भाषा हमेशा ही भारत के अर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों एवं विकास की प्रक्रिया में केंन्द्र बिन्दु रही है। आजादी के समय से अब तक भाषाई संबंधों में निरन्तर परिवर्तन के क्रम में क्षेत्रवादी प्रवृतियों ने विभिन्न भाषा–भाषियों के बीच कतिपय संघर्षों को जन्म दिया है। बावजूद इसके बहुभाषिकता हमारे राष्ट्र की 'संस्कृति की संवाहक' के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान कायम करने में सफल है ।

भारत सरकार समय–समय पर देश के युवाओं के सशक्त भविष्य हेतु 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत जहां एक ओर प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी योजनाएं क्रियान्वित करती है तो दूसरी ओर तकनीकीपरक शिक्षा पर बल देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन इत्यादि के जरिये नये रास्तों का निर्माण भी कर रही है जो भविष्य में व्यापार, अर्थतंत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश की तरक्की को नया आयाम दे सकते हैं। यदि ये प्रशिक्षण युवाओं को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाएँ तो अवश्य ही यह पहला आत्मविश्वास के साथ उनमें नई प्रतिभाओं का विकास करेगी।

वर्तमान भारत के विकास में अनुवाद प्रासंगिकता बहुआयामी हो गयी है। आज शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, नवाचार, साहित्य, पर्यटन, यात्रा और जनसंचार इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी एक नई क्रांति का सृजन कर रही है। इन क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की दिशा में विभिन्न संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं जिससे अनुवाद का क्षेत्र व्यापक होने के साथ–साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं तथा भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ रहा है एवं उन्हें सीखने की इच्छा भी बढ़ रही है।

आरम्भ से ही भारतीय भाषाएं सामाज के लिए प्रेरणास्रोत स्वरूप कार्य करती रही हैं। बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास 'आनंदमठ' से लिये गये गीत 'वन्दे मातरम्' ने भारत के कोने–कोने में राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह किया।

सरकार द्वारा भारत की भाषाई विविधता को बरकरार रखते हुए देश के कोने–कोने तक प्रत्येक भारतीय को डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता तथा उनका सहज उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ऐसी ही एक परियोजना के माध्यम से वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, कर्नाटक द्वारा कृषि एवं वित्त के क्षेत्र में 9 भारतीय भाषाओं में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल पहल की जा रही है। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब आबादी के उभरते स्थानीय बाजारों को नवाचारों एवं डिजिटल वित्तीय व कृषि सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा। यह परियोजना मुख्यतः गरीब अनपढ़ भारतीयों को डिजिटल वित्तीय एवं कृषि सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अनेक प्रौद्योगिकी संस्थान बड़े पैमाने पर अनुसंधान में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित

करने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के अनुसंधानों से भारत में न केवल प्रौद्योगिकी विकास को अंजाम दिया जा सकेगा बल्कि व्यापक रूप से अनुसंधान कार्यों का लाभ भारतीय शोध छात्रों को भी होगा।

अंततः सभी भाषाओं का समान व्यवहार निश्चय ही देश की उन्नति में प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और देश के चहुमुखी विकास को गति प्रदान करेगा।

सुविचार

- यौवनं धन सम्पत्तिः प्रभुत्वमअविवेकिता।
  एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्।।
- यौवन, भौतिक धन, स्वामित्व और विचारहीनता, इन चारों में हर एक दुर्भाग्य का कारण बनता है, जहां चारों एक साथ हैं, वहां तो दुर्भाग्य अवश्यमेव होगा।
- सच्चे मित्र के तीन लक्षण हैं– अहित को रोकना, हित की रक्षा करना और विपत्ति में साथ नहीं छोड़ना।
- ईश्वर एक ही है, भक्ति उसे अलग–अलग रूप में वर्णित करती है। – उपनिषद्
- भलाई करना मानवता है, भला होना दिव्यता है। – ला मार्टिन
- जितने दिन ज़िन्दा हो, उसे ग़नीमत समझो और इससे पहले कि लोग तुम्हे मुर्दा कहें, नेकी कर जाओ। – शेख़ सादी
- सुख बाहर से मिलने की चीज़ नहीं, मगर अहंकार छोड़े बगैर इसकी प्राप्ति भी होने वाली नहीं ।

–महात्मा गांधी

तत्ववाद (द्वैतवाद) के प्रवर्तक संत श्री मध्वाचार्य

डॉ. वीरेश कुमार
एसआरपी, एनटीएस–आई
सीआईआईएल, मैसूरू

भारत की भक्ति एवं संत परंपरा में तीन प्रमुख आचार्यों को गिना जाता है। श्री शंकराचार्य (अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक) श्री रामानुजाचार्य (विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक) और श्री मध्वाचार्य, जो तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है।

श्री मध्वाचार्य (1238–1317) भारत में भक्ति आंदोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। श्री मध्वाचार्य को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है (हनुमान और भीम क्रमशः प्रथम व द्वितीय अवतार थे)।

श्री मध्वाचार्य जी का जन्म सन् 1238 ई. में विजयदशमी के दिन वर्तमान कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के उडुपी के पास पाजक नामक एक गाँव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वासुदेव था। अल्पावस्था में ही ये वेद और वेदांगों के अच्छे ज्ञाता हुए और साथ–साथ खेलकूद, पर्वतारोहण, मल्लयुद्ध, भारोत्तोलन तथा तैराकी में भी उत्कृष्ट थे।

बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक खोज एवं शिक्षा के प्रति तत्परता दिखाई देती थी जिसके कारण वह अल्पायु में ही संत बनना चाहते थे, परंतु घर का एकमात्र पुत्र होने के कारण वह घर छोड़कर नहीं जा सके। वह अपने दूसरे भाई विष्णुचित, जिन्हें मध्व या माधव दर्शन के महान व्याख्याता के रूप में जाना जाता है, के जन्म के बाद घर छोड़कर सन्यासी बनने के लिए चले गए।

सन्यासी बनने के लिए वासुदेव जी (माधव) ने तत्कालीन दक्षिण भारत के शंकर मत के अनुयायी श्री अच्युतप्रेक्ष आचार्य से दीक्षा ली ।

इनसे विद्या ग्रहण करने के बाद गुरु के साथ शास्त्रार्थ कर इन्होंने अपना एक अलग मत बनाया जिसे "द्वैत दर्शन" कहते हैं। इनके अनुसार विष्णु ही परमात्मा हैं।

श्री मध्वाचार्य ने प्रस्थानत्रयी ग्रंथों से अपने द्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया। यह 'सद्वैष्णव' भी कहा जाता है, क्योंकि यह श्री रामानुजाचार्य के श्री वैष्णवत्व से अलग है।

श्री मध्वाचार्य ने "पंच भेद" का निरूपण किया जो 'अत्यन्त भेद दर्शनम्' भी कहा जाता है। उसकी पाँच विशेषताएँ हैं:–

(क) भगवान और व्यक्तिगत आत्मा की पृथकता
(ख) परमात्मा और पदार्थ की पृथकता
(ग) जीवात्मा एवं पदार्थ की पृथकता
(घ) एक आत्मा और दूसरी आत्मा में पृथकता तथा
(ङ) एक भौतिक वस्तु और अन्य भौतिक वस्तुओं में पृथकता।

वासुदेव (माधव जी) ने अपने आध्यात्मिक चिंतन एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन से निकले द्वितीय वाद के सिद्धांत को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास हिमालय से कन्याकुमारी तक दौरा करते हुए किया। इसी द्वितीय सिद्धांत के कारण वो माधवाचार्य के नाम से जाने गए। उन्होंने गोदावरी के निकट पद्मनाथ तीर्थ और कलिंग के निकट नरहरि तीर्थ को अपने शिष्यों के लिए अपनाया। उडुपी स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर की मूर्ति की स्थापना माधवाचार्य के कर कमलों से संपन्न हुई। उन्होंने आठ मठों की स्थापना की। द्वितीय संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने प्रभावित होकर अपने जीवन में उतारा था और आज यह परंपरा इस्कॉन के माध्यम से समस्त विश्व में पहुँच रही है। माधवाचार्य ने उपनिषदों, गीता एवं महाभारत, पुराणों एवं ऋग्वेद के ऊपर 40 से अधिक पुस्तकें एवं टीकाएँ लिखी। यहाँ तक कि प्रतिमा शास्त्र के ऊपर भी "तंत्र सार संग्रह" नामक पुस्तक लिखी। उनकी 'कर्मविपाक' नामक कृति संगीत शास्त्र के रूप में वैष्णव भक्ति संगीत में प्रसिद्ध है।

मध्वाचार्य कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत थे और वे कई बार प्रचलित रीतियों के विरुद्ध चले। उन्होंने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने द्वैत दर्शन के अनुरूप ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अपने वेदांत के व्याख्यान की तार्किक पुष्टि के लिये एक स्वतंत्र ग्रंथ 'अनुव्याख्यान' भी लिखा। उपनिषदों पर टीकाएँ, महाभारत के तात्पर्य की व्याख्या करनेवाला ग्रंथ 'महाभारत तात्पर्य निर्णय' तथा श्रीमद्भागवतपुराण पर टीका ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। इन्होंने ऋग्वेद के पहले चालीस सूक्तों पर भी एक टीका लिखी और अनेक स्वतंत्र प्रकरणों में अपने मत का प्रतिपादन किया। ऐसा लगता है कि ये अपने मत के समर्थन के लिये प्रस्थानत्रयी की अपेक्षा पुराणों पर अधिक निर्भर हैं।

।। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम ।।

।। हरि सर्वोत्तमा, वायु जीवोत्तमा ।।

सुविचार

- विचारों के युद्ध में, पुस्तकें ही अस्त्र हैं – जार्ज बर्नार्ड शॉ
- परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है और स्थिर होना मृत्यु है – जयशंकर प्रसाद
- जैसे आचरण की तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो, वैसा ही आचरण तुम दूसरों के प्रति करो – ल्यूक
- वृक्ष, सरोवर, सज्जन और मेघ–ये चारों परमार्थ हेतु ही देह धारण करते हैं – महात्मा कबीर

मैं मोटर साइकिल बोल रहा हूं ...

पवन टिब्बा

प्राध्यापक, उत्तरी क्षेत्र भाषा केंद्र, पटियाला

मैं एक सामान्य रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल हूं। वास्तव में बिल्कुल साधारण जिसमें कुछ भी विशेष नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि चलो आपके साथ पिछले दिनों की गई यात्रा को साझा करते हैं। खैर, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं लेकिन मेरे ड्राइवर को पता नहीं क्यों, हमेशा मुझ पर शक होता है कि मैं ठीक नहीं हूं, कुछ बीमार सा हूं। यह ठीक भी हो सकता है ! मैं उस से केवल दो साल छोटा हूँ और पुराना होने की वजह से नए का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? तो इस बार मेरा ड्राइवर मेरी तबीयत सुधारने के लिए दीवारों पर लिखे इश्तेहारों को पढ़कर कि–"सेहत बनाएं", मुझे एक हकीम या यूं कह लीजिए कि मैकेनिक किट्टू के पास ले गया। अब आप सोचेंगे कि यह किट्टू कौन है? ये वो शख्स है जिससे मैं पिछले तीन साल से ठीक होने की दवा ले रहा हूं, लेकिन वो हर बार इलाज में कुछ न कुछ छोड़ देता था ताकि मैं उसके पास आता–जाता रहूं।

हर बार की तरह इस बार भी जून के महीने में ठीक होने के लिए मुझे किट्टू के पास भेज दिया गया और वहां पड़े–पड़े अक्टूबर का महीना आ गया। किट्टू को काम क्या करना था, उसने तो मेरे ऊपर की मिट्टी तक नहीं झाड़ी। इसलिए उसे पहली नवंबर का अल्टीमेटम दिया गया। आखिर किट्टू को दया आ गई और उसने मुझे मेडिकली फिट सर्टिफिकेट देकर पहली नवंबर को पटियाला भेज दिया। हालांकि राजपुरा से कुछ पहले ही मेरी सांसें फूलने लगीं और मेरा पूरा बदन गर्मी से जल उठा था। पूरा ज़ोर लगाया गया। और जैसे–तैसे गिरते–उठते मैं पटियाला पहुंच ही गया। वहां जाकर मेरी असली टेस्ट राइडिंग के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की गई।

आखिर १६ नवंबर आना ही था, वह तारीख आ ही गई। हम तीन लोग थे, मैं, मेरा ड्राइवर और यूनिवर्सिटी वाला गुरूदेव। रात के एक बजे हम तीनों अंजान रास्तों पर चल पड़े। जहां मेरी आवाज सड़क की शांति को भंग कर रही थी, वहीं मेरी रोशनी अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रही थी । खैर, मुझे नहीं पता था कि इस बार मेरी ऐसी टेस्ट राइडिंग होगी जो लगातार 9 दिनों तक 2100 किमी तक चलने वाली थी। कोई इनसे पूछे कि कोई किसी ग़रीब के साथ यूं भी धक्का–मुक्की करता है क्या? लेकिन ताकतवर के लिए कहते हैं कि सात बीसी सौ होते हैं।

हमारा पहले दिन का पड़ाव बीकानेर था। यह पटियाला से 475 किलोमीटर दूर है। पहले दिन सुबह साढ़े चार बजे हम सरदूलगढ़ पहुँचे और मैं बन्द हो गया। मेरे ड्राइवर को लगा कि मेरी बैटरी खत्म हो गई है। उस ने मालूम नहीं किस– किस को गालियां दीं। दादा बहुत नाराज थे। यह कश्मकश सुबह 10 बजे तक चलती रही, फिर जाकर मुझ में जान पड़ी। फिर चले तो सिरसा, एलनाबाद, रावतसर, अर्जनसर, लूनकर्णसर होते हुए शाम को बीकानेर पहुंचे। तब कहीं सांस में सांस आई।

अगले दिन हमें बीकानेर घूमना था। घूमते–घूमते बाजार में जा निकले और एक बीकानेरी मिठाई की दुकान पर जा रुके। दोनों ने पहले कचौड़ी खाई और फिर किसी के कहने पर मावा कचौड़ी। मावा कचौड़ी मीठी कचौड़ी को कहते हैं। वे अपने होठों पर जीभ फेरते हुए मेरे पास आए और मुझ से पूछा तक नहीं। फिर वहां से हम बीकानेर का किला देखने गए। मुझे छांव में खड़ा करके वे खुद भीतर चले गए। शाही ठाठ –बाठ वाली बातें। रजवाड़ों ने महंगे टिकट रखे हुए थे। भारतवासियों के लिए अलग और विदेशियों के लिए अलग। इसी के सिर पर दुर्ग का व्यवसाय चलता है। अंदर एक बोर्ड लगा हुआ था कि बीते सालों में कितने देशी, विदेशी और छात्र दुर्ग को देखने आए। फिर दोनों मित्र लौटकर मेरे सामने बतियाने लगे कि किस प्रकार राजा–महाराजाओं ने अपने वैभव को बनाए रखने का साधन बनाया।

वहां से यह योजना बनी कि आज का आधा दिन बचा हुआ है और करणी माता का मंदिर भी यहां पास में ही है। कोई 35 कि.मी । क्यों न वहाँ चलें? वहाँ से चल पड़े। उस दिन बाबा नानक का गुरुपर्व था। हर जगह लंगर। उन्होंने लंगर देखा, रुके और फिर खाने लगे। नगर कीर्तन में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ट्रैक्टरों पर पंजाबी शब्द चल रहे थे और मोटरसाइकलों पर केसरी रंग के निशान फहरा रहे थे। वहाँ हमें पता चला कि हमने ग़लत रास्ता पकड़ लिया है। फिर किसी ने हमें वापस घुमाकर सही रास्ता दिखाया। हम लगे हवा से बातें करने। उड़ने वाला गियर पड़ा हुआ है। एक घंटे के बाद हम करणी माता मंदिर पहुंचे। मंदिर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। रेलवे स्टेशन मंदिर से करीबन 500 मीटर दूर है। पटियाला से देशनोक के लिए सीधी ट्रेन भी जाती है। उन्होंने मुझे बाहर अपने जूतों की रखवाली करते हुए छोड़ दिया। वापस आए और बतियाने लगे कि अंदर कितने चूहे हैं ! भक्त इन चूहों को करणी माता के भक्त समझते हैं और दूध, मूंगफली आदि पता नहीं क्या–क्या उन को डाला जा रहा है। कुछ चूहे मंदिर के पुजारी की गोद में बैठे हैं जैसे कि वे पुजारी के प्यारे बेटे हों। इसके बाद हम वापस चल दिए। रास्ते में उन्होने एक जगह ढाबे से खाना खाया। लोग मुझे देखकर हैरान हैं। वह पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं? इन दोनों ने बताया कि पंजाब से आए हैं। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। अगर मुझे बोलने दिया जाता तो मैं बताता कैसे इन लोगों के चक्कर में मारा–मारा फिर रहा हूँ। इस उम्र में मुझे ये दिन भी देखने थे !

शाम को ये दोनों बीकानेर घूमते रहे। मुझे होटल में ही छोड़ दिया गया था कि मैं कुछ सांस ले सकूँ। सुबह को जैसलमेर निकलना था जो यहाँ से 325 किमी दूर है। यूं तो मेरा ड्राइवर इतना बुरा इंसान नहीं है। जब बाजार गया तो हाथ में एक लीटर मोबिल आइल लेकर आया। मुझे भी थोड़ी राहत मिली। आधा लीटर तो डाल भी दिया। हालांकि यह कोई सस्ता सा ब्रांड का था। मैं इतने में ही खुश हो गया, चलो मेरे बारे में भी सोचते हैं।

अगले दिन हम सुबह 5 बजे अगली मंज़िल की तरफ़ निकल पड़े। जैसलमेर को जीपीएस पर खोजा और नेविगेशन निर्देशों के अनुसार सड़क पर चल पड़े। सड़क पूरी तरह खाली है, और शांतिपूर्ण वातावरण है। मैंने और चालक भाई साहब दोनों ने सोचा–चलो, हवा

से बात करते हैं। मेरी आवाज वातावरण की गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। धीरे–धीरे दिन भी चढ़ता गया। चलते गए, चलते गए और बस चलते गए। रास्ते में उनके लिए रोटी और मेरे लिए पेट्रोल होता था। जैसलमेर जाते समय किसी ने बताया कि रास्ते में रामदेवरा आएगा। वे बोले वह भी देखते जाएंगे, यहां बाबा रामदेव का मंदिर है। नए वाले बाबा रामदेव? नहीं रे! यह बाबा, बहुत समय पहले हुए थे। पूरे इलाके में बाबा रामदेव की भारी मान्यता है। रामदेव मंदिर से करीब पांच किलोमीटर पहले सड़क के दोनों ओर जूतों के ढेर लगे हुए ! पूरे राजस्थान से बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मुझे छाया में खड़ा किया और मैंने भी कुछ चैन की सांस ली। मैंने वहाँ एक घंटे में थकान उतारी। एकदम फिर से ताज़ा। रामदेवरा के बगल में पोखरण। पोखरण पूरे भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। यहां परमाणु परीक्षण किए गए थे। मुख्य सड़क के दाहिनी ओर कीकरों का विशाल जंगल। उस के पार कुछ भी दिखाई न दे। सड़क पर नागरिक यातायात कम है और सेना की आवाजाही अधिक है। पता चला कि आज पोखरण में फायरिंग का अभ्यास चल रहा है।

आगे चले तो जैसलमेर के युद्ध संग्रहालय में पहुंचे। जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है। लोंगेवाला चौकी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। कहा जाता है कि 1971 के भारत–पाक युद्ध में पाकिस्तान को यहीं पर मुंह की खानी पड़ी थी। बॉर्डर फिल्म भी इसी लोंगेवाला चौकी पर हुए युद्ध को लेकर बनी है। लोगों को दिखाने के लिए पाकिस्तान के नष्ट और कब्जे वाले टैंक, ट्रक और अन्य वाहन यहां खड़े किए गए हैं। अपनी वीरता के प्रदर्शन और शत्रु के दाँत खट्टे करने की गाथा सुनाने के लिए। इनके एक तरफ शहीद स्थल है जहां शहीद जवानों के नाम दर्ज हैं।

शाम करीब तीन बजे जैसलमेर पहुंचे। सीपीडब्ल्यूडी का अतिथि गृह जैसलमेर शहर के ठीक बाहर है। सामान रख कर हम शहर की ओर चल पड़े। पहले अमर सागर झील देखी, फिर लोकयान संग्रहालय देखा, फिर जैसलमेर किले का चक्कर लगाया। रात के अंधेरे में किला रोशनी से नहाया हुआ था। वापस कमरे में आए तो मुझे कुछ शांति महसूस हुई। वैसे बकौल मेरे ड्राइवर, जैसलमेर का किला कमरे से ऐसा दिखाई देता है, मानो वहां किसी परी ने अपने सुनहरे पंख फैला रखे हों।

अगले दिन सुबह फिर से किला देखने चले गए। मुझे नीचे खड़ा किया और दोनो ऊपर चले गए। हालांकि मुझे ऊपर ले जाया जा सकता था। लेकिन इनको कौन समझाए? किला देखकर और फोटो खिंचवा कर वापस आ गए। खैर, मुझे लगता है कि आदमी केवल इन जगहों पर फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। उसका उस जगह से कोई लेना– देना नहीं होता है। आज कल सोशल मीडिया का ज़माना जो है।

करीब एक बजे के आसपास सम मरुस्थल की तरफ़ चल पड़े। सम मरुस्थल यहां से 40 किमी दूर है। यहां रेत के बड़े–बड़े टीले हैं। ये उनके दर्शन करना चाहते हैं। सम मरुस्थल के रास्ते में कई पवन चक्कियाँ हैं। वे हवा के साथ घूमती हैं और बिजली पैदा करती हैं। सड़क लगभग खाली है और हर जगह रेत ही रेत है। दूर तक सुनसान निर्जन इलाका ।

अंत में हम सम मरुस्थल पहुंचे। उन दोनों ने भी चैन की सांस ली और मुझे भी चैन की सांस दिलवाई। हम वहाँ का रौनक मेला देखकर सम मरूभूमि से जैसलमेर वापस चले गए।

वापस स्वर्णिम जैसलमेर पहुंचने तक हमने घर से लेकर एक हज़ार किलोमीटर का सफर तय कर लिया था.... बाकी बातें फिर कभी....

सुविचार

- अच्छा स्वभाव, सोंदर्य के अभाव को पूरा कर देता है। – एडीसन
- दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। – प्रेमचंद
- दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िये, जब लगि घट में प्राण।। – तुलसीदास
- जब घर में अतिथि हो तब चाहे अमृत ही क्यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए – तिरुवल्लुवर
- मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है – अग्निपुराण
- पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि वह डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है – अज्ञात
- आत्मविश्वास, सफलता का मुख्य रहस्य है – एमर्शन

क्षणशः कणशश्चैव विद्यां अर्थं च साधयेत्।
क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्।।

- सीखने के लिए हर क्षण और धन–संग्रह के लिए हर छोटे सिक्के का उपयोग करना चाहिए। क्षण को नष्ट करके शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती और सिक्कों को नष्ट करने से धन संग्रह नहीं किया जा सकता।

दर्द तो होगा

शिवांगी प्रिया
रिसर्च एसोसिएट, निओ लिटरेट
सीआईआईएल

दर्द तो होगा
जब मुश्किल राह पर
यूँ नंगे पैर दौड़ोगी, दर्द तो होगा।
जब जलती जुबान के तल्ख़ अंगारे,
तुम्हारे कोमल मन को छू जाएँगे, दर्द तो होगा।

बारिश में भीगकर, ठंड से बदन तो टूटेगा,
आँसू बहाकर जो दिल को समझाओगी, दर्द तो होगा।

वक्त जो इस अनदेखी घड़ी का गुलाम है,
उसके काँटे जो पलटना चाहोगी, चुभन तो होगी, दर्द तो होगा।

अपने नन्हें से पंखों पर जब इतना बोझ उठाओगी,
अपेक्षाओं और उपेक्षाओं के इतने फेरे लगाओगी, दर्द तो होगा।

जब खामोशी का तीखा शोर गुँजेगा तुम्हारे कानों में,
और उन्हें पाटने को तुम जी भर कर चिल्लाओगी, दर्द तो होगा।

क्यूँ चाहती हो, घुटन ना हो इस निष्ठुर समाज में,
जब भी खुलकर साँस लेना चाहोगी, दर्द तो होगा।

जीना सीख सकती हो, पैमानों में जिंदगी भर कर,
पैमानों से जो बाहर आओगी, दर्द तो होगा।

सोचो ज़रा, थोड़ा ध्यान दो,
कब हुआ था इतना तीखा दर्द आखिरी बार, जब कुछ बदला था शायद तब,
जब जिंदगी में कुछ बदलना चाहोगी, दर्द तो होगा।

मुश्किल है जिंदगी, किसने कहा था कि आसान है,
जब कल से अपने आज और आज को आनेवाले कल से मिलाओगी, दर्द तो होगा।

दूभर है जिंदगी, और दूभर ही रहेगी,
अपना लो इसे या चाहे खुद को धोखे से बहलाओ, दर्द तो होगा।

गमगीन हो, संजिदा बनो,
खुशियाँ चाहो ना चाहो, दर्द तो होगा।

चाहे जो कहा, वो जान भी जाओ, मेरी कही बातों को मान भी जाओ,
और जो मानो इस बात को, तो मेरी जान खुलकर खिलखिलाओ,
क्यूँकि तुम चाहो ना चाहो, दर्द तो होगा।

तेंदुआ

श्रीमती सरिता के.
ईपीएफओ, मैसूरू

अफसोस, कि मुझे हर दिन तेंदुए का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन मुझे घबराहट सी होती है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा । न जाने क्यूँ मेरे बेटे को इस तेंदुए से इतना लगाव है। हर दिन तेंदुए के बार में एक नया प्रश्न के साथ मेरे सामने खड़ा रहता है। पर मुझे यह डर रहता है कि आज कौनसा प्रश्न मेरा इंतजार कर रहा है। तेंदुआ मेरे लिए एक अटूट गांठ बन गया है। मेरे बेटे को यह तेंदुआ बहुत पसंद है।

जब भी डिस्कवरी चैनल चालू किया और यदि उसमें तेंदुआ देखा गया, तो फिर मेरे ससुर मेरे बेटे से कितना भी रिमोट मांगे, उसमें उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। बेटा सुबह होते ही तेंदुए की विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए उठता है। उसका वर्णन करने का तरीका तो प्रफुल्लता देता है।

सारा दिन प्रश्न ही प्रश्न– "माँ, तेंदुए के पूरे शरीर पर धब्बे क्यों होते हैं? माँ, तेंदुआ इतना तेज़ कैसे दौड़ सकता है? अंग्रेजी में हम लेपर्ड और चीता भी कहते हैं, लेकिन कन्नड़ में हम दोनों को चीता क्यों कहते हैं? तेंदुए के पैरों में ताकत कहाँ से आती है? इतना पतला होने पर भी एक तेंदुआ अन्य जानवरों का शिकार कैसे कर सकता है? ऐसे कई सारे सवाल।

सच बोलूँ तो उसके कई प्रश्न ही भूल गयी हूँ। उत्तर तो दूर की बात है।

उसकी दिन की शुरुआत तेंदुए के बारे में नए सवालों के साथ होती है। उसके सवालों के जवाब के लिए गूगल पर भी सर्च किया गया। कभी–कभी मुझे लगता है कि गूगल के पास उसके सवालों के जवाब नहीं हैं।

एक दिन उसने मुझे कहा – मुझे असली तेंदुआ देखना है। मैसूरू जैसे शहर में रहकर तेंदुआ देखना मुश्किल है क्या? मैं उसे चिड़ियाघर ले गयी। वहां तेंदुए को देखकर मेरे बेटे की आंखें खुशी से चमक उठीं. लेकिन वो चमक

ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ?

"माँ,इन लोगो ने तेंदुए को उस पिंजरे में क्यों रखा है? उसे तेज़ भागने के लिए कोई जगह नहीं है,, वह बस इधर–उधर घूम रहा है।"

यह एक अच्छा विकल्प है। उसके प्रश्न में गहरा अर्थ प्रतीत हो रहा था। मेरे मन में भी यह सवाल उठा कि हम जानवरों को खुला घूमने देने की बजाय इस तरह कैद क्यों कर रहे हैं। इस बारे में आगे सोचने का समय भी मेरे बेटे ने नहीं दिया। और एक सवाल दाग दिया। वह बोलने लगा कि "मैं तेंदुए को दौड़ते हुये देखना चाहता हूँ"।

दौड़ते हुए तेंदुए को देखने की मेरे बेटे के इच्छा को पूरा करने के लिए उसे यूट्यूब दिखाया तो वह बोलने लगा कि 'मैंने डिस्कवरी में ऐसा कई बार देखा है।

पता नहीं, क्यूँ अचानक उसने तेंदुए के बारे में पूछना बंद कर दिया और अपने पिता से बाइक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई।

ऐसे में कुछ दिन पहले उसकी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहाड़ी घाटी के बारे में जानकारी दी गई थी। मुझे उसके चेहरे के भाव से पता चल गया कि उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। तो एक दिन मैंने स्कूटर लिया और कहा, "आओ, मैं तुम्हें पहाड़ी घाटी में ले जाऊंगी" और उसे चामुंडी की पहाड़ी घाटी दिखाने के लिए ललितादिपुर ले गयी।

बहुत दूर जाने के बाद मैंने कहा, "बेटा, 5 बज गए हैं। अब वापस चलो। यहां ढूंढने पर भी हमें आदमी नजर नहीं आ रहा है।"

खैर, मैंने स्कूटर मोड़ी। मैं बच्चे को लेकर पहाड़ी घाटी से काफी दूर निकल गई थी। वापस आते समय मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने एक तेंदुए को पूरी शान के साथ चलते देखा। तेंदुआ देखकर बेटा खुश हो गया। मैं घबरा गयी और समझ नहीं पा रही थी कि गाड़ी वापस ले जाऊं, या फिर वहीं रुकूं या तेंदुए के पास से आगे बढ़ जाऊं।

आख़िरकार मैंने अपने बेटे को चुप रहने को कहा और हम पास के छोटे मंदिर में बैठकर तेंदुए को देखते रहे। मेरे तो हाथ– पैर कांपने लगे थे। अपने बेटे को लेकर चिंतित थी। मैंने डर के मारे फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था।

तेंदुआ आगे चर रही भेड़ों के झुंड की तरफ दौड़ा और एक भेड़ को पकड़कर पहाड़ी की ओर भाग गया। अब मैं मेरे बेटे की तरफ देखने लगी। जो इतनी देर से तेंदुए को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। आखिर वह डर से रोने लगा। अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुँचना चाहती थी।

मैं दौड़कर गाड़ी के पास गयी और बेटे को लेकर गाड़ी ऐसे चलायी कि तेंदुआ भी मेरी तेज़ी के सामने हार माने। मैंने पति से यह बात बोली तो खूब डांट पड़ी। मैंने मेरे बच्चे को कहा था कि यह बात दादा– दादी से न बताए। वे डर जाएँगे और आगे हमें बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे ।

मेरी तो पूरा शरीर पसीना–पसीना हो रहा था। मेरे इतना समझाने के बाद भी मेरा बेटा अपने दादा–दादी को हमारी सफलता की कहानी बता रहा था।

उस घटना को याद करते हुए, मुझे आज भी डर लगता है और मैं सोचने लगती हूँ कि, "हे भगवान, अगर उस तेंदुए ने हम पर हमला किया होता तो मैं अपने बेटे की रक्षा कैसे कर पाती?"

इसी बीच मैं अपने बेटे की एक और इच्छा सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा––"माँ, हमने तेंदुए को पीछे से देखा। जब वह भाग रहा था तो हमने उसके चेहरे पर भाव नहीं देखे। उफ़, हम चूक गए। आशा है अगली बार उसे सामने से देखेंगे।

भाषा–सुमन

सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय
उपनिदेशक–राजभाषा (से.नि.)
सीएसआरटीआई, मैसूरू

भाषाओं का अद्भुत संगम
धर्मों का हृदयंगम।
है अनुपम यह देश हमारा
जय भारती, जय भारतम ।।

अलग भेष है, अलग है भाषा
एक है देश, एक ही आशा ।
हर भारतीय की एक ही आन
अपना भारत बने महान् ।।

उड़िया, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली
बंगला, मैथिली राजस्थानी बुन्देली।
अपने–अपने क्षेत्र की रानी
लोक संस्कृति की हैं ये वाणी ।।

तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम
दक्षिण की ये भाषा निर्मल ।
कोंकणी,डोगरी,उर्दू, हिंदी
है सब भारतमाँ की बिंदी ।।

हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई
हम सब भारतीय भाई– भाई ।
सभी भाषाओं का हो उत्थान
सबसे बढ़कर राष्ट्र महान्।।

भाषाओं का सुंदर उद्यान
फले निरंतर, न कभी हो म्लान ।
विविधता ही हमारी पहचान
सामासिक संस्कृति राष्ट्र की शान ।।

कैसे कहूँ हैप्पी न्यू ईयर

डॉ.एम. नारायण रेड्डी
जेआरपी–हिन्दी
एनटीएस–आई
सीआईआईएल, मैसूरू

लोग आपस में बधाई दे रहे हैं जोर से मिलाकर हाथ
पता नहीं एक ही रात में हो गई है, ऐसी क्या बात !
देखता हूँ, बद से बदतर हो रहे हैं हालात
इंसानियत को मिल रही है, हर तरफ से मात ।
कितना खराब है दुनिया का ऐटमोशफियर।
भला मैं कैसे कहूँ—हैप्पी न्यू ईयर ।।

अभी बंद नहीं हुए हैं बमों के धमाके
अभी हाथ थके नहीं हैं, गोलियाँ चलाके ।
हजारों मासूमों का लहू बहाके
अभी तो लोग हँस रहे हैं दूसरों को रुलाके ।
चारों तरफ है, फीयर ही फीयर।
भला मैं कैसे कहूँ—हैप्पी न्यू ईयर ।।

सर्दी में, गर्मी में, पगडण्डी पर सोते हैं लोग
ना पेट में रोटी, ना तन पे लंगोटी, जिंदगी को ऐसे ही ढोते हैं लोग।
और अपनी बदनसीबी पे रोते हैं लोग ।
क्यों इतने बेबस और लाचार होते हैं लोग ?
जीवन की गाड़ी को लगा है रिवर्स गीयर ।
भला मैं कैसे कहूँ—हैप्पी न्यू ईयर ।।

काम है, क्रोध है, घना अहंकार है, विकारों के वश में सारा संसार है
झूठ है, पाप और अनाचार है, छल–कपट और ठगी का व्यापार है ।
घृणा और हिंसा की खूब भरमार है ।
स्वार्थ के रिश्तों से प्यार हुआ डिस–अपियर।
भला मैं कैसे कहूँ—हैप्पी न्यू ईयर।।

विचार

वि. ज्योति लक्ष्मी
केलोनिवि, हुबली

कुछ लिखने की चाह ने, दिमाग पे ज़ोर दिया है।
हमारी सोई ख्वाहिशों ने, अपने परों को खोल दिया है।
कंबल ओढ़ सोये सपने, अब जगने लगे हैं ।
इन्द्रधनुषी रंग, सब ओर बिखरने लगे हैं ।।

दिल का पंछी, चहक–चहक कर उड़ने को तैयार है।
मन महक– महक जोड़ रहा, सारे सुर ओ ताल हैं ।
आकाश की गहराइयों में, मन डोल रहा है।
मंद– मंद मुस्कुराकर, कुछ बोल रहा है।।

प्रकृति की सुन्दरता ने, मन मोह लिया है।
कितना भी गुणगान करूँ, बस कम लगता है।।
वसुन्धरा के कण–कण में, सुन्दरता है समाई।
सूरज की लालियों से, हर वस्तु जगमगाई।।

चाँद की चाँदनी ने, माया जाल बुन दिया है।
बारिश और हरियाली ने, नशीला रस घोल दिया है।।
झरनों की कल–कल, समुद्र की गहराईयों में समाई।
कितनी भी तारीफ करो, न होगी इसकी भरपाई।।

नतमस्तक हूँ इस हुनर का, जिसने भी इसे रचा है।
कृतज्ञता के अलावा, अब मन में कुछ नहीं बचा है।

व्यथा

डॉ. आर. पी. सिंह,
मुख्य वैज्ञानिक
सीएसआईआर–सीएफटीआरआई,
मैसूरु

"ट्रिन ट्रिन ट्रिन", सुबह–सुबह मेरे फ़ोन की घंटी बजी। प्रातः काल की अथवा देर रात की फ़ोन की घंटी अक्सर आशंकाओं से भरी हुई होती है। "हेलो–हेलो", मेरे एक मित्र फ़ोन पर थे। प्राथमिक शिष्टाचार के उपरान्त बोले, "क्या आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे?" "हाँ, बिलकुल बताइये क्या काम है', मैंने कहा।" बाजार से मेरी कुछ दवाएं लानी थीं। बहुत सोचा, कि कैसे आपको तकलीफ दूँ।" "नहीं इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप दवाओं के नाम बताइये, मैं लाकर शाम को घर पर दे दूंगा, मैंने कहा। मेरे मित्र ने दवाओं के नाम बताये और फ़ोन रख दिया। दवाओं के नाम से पता चला कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी हो गयी थी। यह जान कर मुझे भी थोड़ा सदमा लगा क्योंकि मेरे मित्र को यह बीमारी होने का कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण या कोई बाहरी लक्षण कभी नहीं लगते थे। मेरे मित्र के बच्चे पास के ही शहर में कार्यरत हैं और अक्सर अपने माँ–बाप से मिलने आते रहते हैं। मेरे मित्र ने बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा पढ़ाया–लिखाया और परवरिश दी जिसका परिणाम है कि वे अच्छी जॉब कर रहे हैं और अपने–अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं।

शाम को मैं दवा लेकर अपने मित्र के घर पहुंचा, हाल–चाल पूछा और बीमारी के विषय में जानकारी प्राप्त की। बातचीत के दौरान जो सबसे कष्टदायक पहलू था, वह ये कि जब मैंने उनके पुत्रों के बारे में पूछा कि क्या बच्चे आये थे? तब इस पर उनकी प्रतिक्रिया कुछ अजीब ही थी। उन्होंने बताया कि बच्चे अपने काम में काफी व्यस्त थे, इस वजह से आ नहीं पाए। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। मन में विचारों की एक शृंखला सी कौंध उठी। हृदय द्रवीभूत हो गया। क्या हम इसी दिन के लिए बच्चों का लालन–पालन करते हैं, क्या इसी दिन के लिए हम स्वयं को कष्ट में रख कर बच्चों को उच्च से उच्चतम शिक्षा देते हैं। हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है कि जब हमें जीवन के तीसरे प्रहर में बच्चों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो उस समय उन्हें हमारे पास आने का भी समय नहीं रहता है? क्या व्यक्तिगत उपलब्धियों के सामने पारिवारिक/सामाजिक कर्तव्यों का कोई मूल्य नहीं ? इस प्रश्न का जवाब मैं आज तक नहीं ढूँढ पाया।

किसी ने सच ही कहा है कि एक माता–पिता के एक बच्चा हो, या दो,तीन, चार बच्चे हों, उनका लालन–पालन माता–पिता यथाशक्ति करते हैं किन्तु सभी बच्चे मिलकर वृद्धावस्था में एक माता–पिता की परवरिश नहीं कर पाते हैं। शायद यह जीवन मूल्यों में व्यावसायिकता के निरंतर समावेश का परिणाम है।

असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है

सुश्री एस. अनिता
हिंदी अधिकारी
सीएसआईआर–सीएफटीआरआई,
मैसूरू

यदि आप सफल व्यक्तियों के जीवन को परखते व उसका विश्लेषण करते हैं तो आप यही पाएंगे कि प्रायः सभी ने सफलता प्राप्त करने से पहले कई बाधाओं व मुश्किलों का सामना किया है। उनकी कठोर प्रतिज्ञा तथा कठोर परिश्रम के कारण ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। उन्हें स्वयं पर तथा ईश्वरीय सत्ता पर पूर्ण विश्वास था । वे केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना ध्यान केन्द्रित करते रहे।

हमारा मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जिसे हम बार–बार दोहराते हैं। ज्यादातर व्यक्ति जो असफल हो जाते हैं, वे अपनी क्षमता को कम महत्व देते हैं ।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख बिन्दु:–

1) अपनी शक्ति व कमज़ोरी को ध्यान में रखते हुए अपना सही मूल्यांकन करें।
2) कठोर परिश्रम के अलावा अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम व सहकारिता के साथ निरंतर योजनाएं बनाकर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
3) आप जो भी कार्य करें, उसकी उच्च गुणवत्ता, सफलता प्राप्त करने का एक प्रमुख कारक है।
4) आपके गुणों को कम करके आंकने वालों तथा आपकी बुराई करने वालों के साथ अपना समय नष्ट न करें।
5) किसी छोटी उपलब्धि को प्राप्त करने पर भी स्वयं को बधाई दें व अपनी असफलताओं को अनदेखा करें, पर उनसे सीख भी ज़रूर लें।

यह कभी न भूलें कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है।

सुविचार

आहारनिद्राभयसन्ततित्वं सामान्यमेतत्पशुभीर्नराणाम्।
ज्ञानं हि तेषामधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः।।

मनुष्य और पशुओं में भोजन, निद्रा, भय और सन्तानोत्पत्ति एक समान है, परन्तु ज्ञान ही वह गुण है जो मनुष्य में विशेष है, इसलिए ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान होता है।

यात्रा–वृत्तांत

विकास कुमार
कार्यपालक अभियंता (वि) का कार्यालय
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मैसूरू

मैं मुजफ्फरपुर, बिहार का निवासी हूँ और मैसूरू, कर्नाटक में कार्यरत हूँ। एक बार की बात है। जून 2023 के दौरान मैं मैसूरू से अपने गृह–जिला मुजफ्फरपुर की ओर ट्रेन से यात्रा कर रहा था। हालाँकि मैसूरू से सीधे कोई भी ट्रेन मुजफ्फरपुर नहीं जाती है लेकिन मुजफ्फरपुर जिले से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा है, वहां एक ट्रेन जाती है। तो इस यात्रा को मैं बागमती एक्सप्रेस द्वारा तय कर रहा था। यात्रा के दौरान मैं जिस बोगी में मैं सफर कर रहा था उसमें मेरे बर्थ के विपरीत एक महिला अपने दो जुड़वा बच्चों को लेकर सपरिवार सफर कर रही थी। उनके दोनों जुड़वा बच्चों की शक्ल बिल्कुल एक ही जैसी थी और विशेष बात यह थी कि दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक ही जैसे कपड़े एवं जूते भी पहने हुए थे। उन दोनों को देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था क्योंकि हमारा सफर काफी लंबा था, करीब 52 घंटे की यात्रा, तो मन लगाने के लिए मुझे वे दोनों मनोरंजन के साधन की तरह प्रतीत हुए। मैंने यात्रा के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के चॉकलेट एवं बिस्कुट खरीद कर अपने पास रखे थे। जब–जब मैं कुछ भी खाने की तैयारी करता था तब–तब उन दोनों बच्चों को भी चॉकलेट वगैरह दिया करता था। दिलचस्प बात यह है कि मैं उन दोनों जुड़वा बच्चों में से किसको चॉकलेट देता था, यह मुझे याद ही नहीं रहता था। कारण कि दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे थे। एक का नाम 'अंश' एवं दूसरे का नाम 'वंश' था लेकिन मुझे 'अंश' एवं 'वंश' में कुछ फर्क ही नज़र नहीं आ रहा था। मुझे यह जिज्ञासा जगी कि आखिर दोनों को पूरी तरह से कैसे पहचाना जाए कि 'अंश' कौन है एवं 'वंश' कौन है? उनका नाम मुझे उनके माता–पिता द्वारा बार–बार पुकारे जाने के पश्चात ज्ञात हुआ था। बहुत देर तक उनकी हरकतों का अवलोकन करने के बाद मुझे आखिरकार उन दोनों की विषमताओं का ज्ञान हुआ। बात यह थी कि जब मैं चॉकलेट उन दोनों बच्चों को देता था तो मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर मैंने 'अंश' को दिया था 'वंश' को, जबकि एक ही बच्चा बार–बार चॉकलेट ले जाता था और कंबल के अंदर दोनों छिप जाते थे । 'अंश' थोड़ा शांत स्वभाव एवं शर्मीला था और 'वंश' काफी चंचल एवं नटखट था। यही वो बच्चा था जो 'अंश' बनकर भी बार–बार चॉकलेट मांगकर जाता था। यही सब मनोरंजन करते हुए एवं बच्चों को हँसते–खेलते देख मेरी इतनी लंबी ट्रेन यात्रा आनंदमय एवं विनोदपूर्ण लमहों के साथ समाप्त हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

रूपेश कुमार पांडेय
अनुसंधान अध्येता, सीआईआईएल

प्रस्तावना

राष्ट्र की प्रगति और विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और शिक्षा के विधान राष्ट्र के भविष्य के प्रक्षेप पथ को नया आकार देने की शक्ति रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शैक्षिक ढांचे को आमूलचूल रूप से बदलने की एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। एनईपी 2020 एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो पारंपरिक सीमाओं से परे है। यह तीन दशक से अधिक के अंतराल के बाद शिक्षा के एक आशाजनक युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार, सिर्फ एक सुधार से कहीं अधिक है। यह एक आदर्श परिवर्तन का प्रतीक है जो भारत की जनता को शिक्षित तथा सशक्त बनाता है और समकालीन समय की मांगों और संभावनाओं के लिए उन्हें तैयार करता है। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करते हुए इसके मूलभूत सिद्धांतों, संभावित निहितार्थों और एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र की शैक्षिक प्रणाली एवं इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसका काफी समय से उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा था। यह आयोजन एक जीवंत समाज की बदलती आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए गहन परामर्श, सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श और समर्पण की संपूर्णता का प्रतीक है। 1986 में लागू पूर्ववर्ती नीति को 21वीं सदी द्वारा प्रस्तुत जटिल चुनौतियों और संभावित लाभों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता में संशोधित करने की आवश्यकता थी। पिछले वर्षों में, वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो मुख्य रूप से तकनीकी सुधार, वैश्वीकरण और सामाजिक गतिशीलता में बदलाव से प्रभावित है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करती है और प्रतिक्रिया में भारत के शैक्षिक ढांचे को फिर से संगठित करने का लक्ष्य रखती है।

एक आशावादी और दूरदर्शी दृष्टिकोण एनईपी 2020 की मूल विशेषता है। प्रस्तावित शैक्षिक ढांचा, छात्रों के बीच रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और समस्या–समाधान क्षमताओं को विकसित करने की परिकल्पना करता है। यह स्वीकार करते हुए कि महत्वपूर्ण विकास अवधि के दौरान निरंतर सीखने का मौलिक आधार स्थापित होता है, यह नीति प्रारंभिक अवस्था–बचपन के दौरान देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर अधिक ध्यान देने पर जोर देते हुए औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के अंदर प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को शामिल करके बच्चों के लिए एक ठोस शैक्षिक आधार स्थापित करने का प्रयास करती है।

अंतःविषय शिक्षा पर बल देनेवाली यह नीति पिछली प्रथाओं से एक उल्लेखनीय विचलन का रुख है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बार–बार अलग करने वाली अनम्य सीमाओं को पार करते हुए विविध प्रकार के विषयों और अनुशासनों के प्रति छात्रों के झुकाव को बढ़ावा देती है। इस पद्धति का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यापक कौशलों के साथ तैयार करना है जिससे उन्हें श्रम बाजार और व्यापक समाज की बदलती आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भीतर व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप को एकीकृत करके समग्र विकास की सुविधा प्रदान करती है जिससे छात्रों को व्यावहारिक कौशल और नौकरी का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

एनईपी 2020 में मूल्यांकन तंत्र महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है, जो एक अत्यधिक प्रगतिशील नीति तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीति उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं को याद रखने और उन पर निर्भरता से अधिक समावेशी और चालू मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। इस संशोधन का उद्देश्य परीक्षाओं के दौरान अनुभव होने वाले तनाव और चिंता को करते हुए अध्ययन की गई सामग्री की अधिक गहन समझ विकसित करना है।

इसके अलावा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह नीति एक ठोस शैक्षिक ढांचे में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है और इसके परिणामस्वरूप चल रहे व्यावसायिक विकास, परामर्श पहल और शिक्षकों के लिए एक सशक्त माहौल की स्थापना के महत्व को बढ़ावा देती है।

इस नीति में शिक्षा में समान पहुंच और समानता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण मामला भी शामिल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के उपयोग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा में असमानता को कम करना है। इसके अलावा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और भारत की भाषाई विविधता की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा का उद्देश्य केवल संचार नहीं है बल्कि यह संस्कृति, पहचान और ज्ञान के संचरण के लिए एक वाहन के रूप में भी कार्य करती है।

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक साहसी और दूरदर्शी योजना का प्रतिनिधित्व करती है जो भारत के शैक्षिक ढांचे में क्रांति लाना चाहती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह समाज की साझा महत्वाकांक्षाओं को शामिल करती है और इसका उद्देश्य समकालीन युग में फलने–फूलने के लिए अपनी आबादी को आवश्यक ज्ञान, क्षमताओं और सिद्धांतों से लैस करना है। यद्यपि आगामी मार्ग निर्विवाद रूप से कठिन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिक आशाजनक भविष्य के लिए एक रणनीतिक योजना प्रदान करती है जिसमें शिक्षा अपने व्यावहारिक उद्देश्य से आगे निकल जाती है और व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक रोशनी के लिए एक सतत खोज बन जाती है । जैसे–जैसे रणनीति स्थापित और विकसित होती है, भारत के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है जो लाखों लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालेगा और देश की उन्नति और आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

समग्र दृष्टिकोण

पारंपरिक ढंग से रटकर सीखने के प्रारूप से अधिक समग्र और बहु–विषयक दृष्टिकोण में बदलाव एनईपी 2020 के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह नीति मानती है कि शिक्षा केवल तथ्यों को याद रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या–समाधान रूपी कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का पुनर्गठन प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। यह विषयों के एकीकरण और पाठ्यक्रमों के अधिक लचीले विकल्प को प्रोत्साहित करता है जिससे छात्रों को अपने जुनून का पालन करने और विभिन्न विषयों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य ऐसे सर्वांगीण विकसित व्यक्तियों का निर्माण करना है जो तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल ढल सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को न केवल अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का साधन समझती है बल्कि यह इसे व्यक्तियों के समग्र विकास, और उन्हें आधुनिक दुनिया की जटिलताओं और चुनौतियों के लिए तैयार करने के साधन के रूप में देखती है। समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, यह नीति सर्वांगीण, अनुकूलनीय और सशक्त नागरिकों के निर्माण पर बल देती है जो समाज में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

मूलभूत शिक्षा

एनईपी 2020 मूलभूत शिक्षा पर जोर देती है। यह बच्चे के विकास में मजबूत प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को पहचानती है। यह नीति 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की वकालत करता है। इसके अतिरिक्त मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की परिकल्पना है। इस मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। मूलभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करके एनईपी 2020 सभी बच्चों के लिए एक मजबूत शैक्षिक नींव बनाने का प्रयास करती है।

लचीली और बहुभाषी शिक्षा

शिक्षा में लचीलापन एनईपी 2020 की एक प्रमुख विशेषता है। यह छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर अपने विषय चुनने की अनुमति देती है। यह लचीलापन उच्च शिक्षा प्रणाली तक फैला हुआ है, जहां छात्र कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं तक सीमित रहने की बजाय बहु–विषयक दृष्टिकोण चुन सकते हैं। बहुभाषावाद को भी प्रोत्साहित करने वाली इस नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के महत्व को मान्यता दी गई है। छात्रों को कम से कम पांचवीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखने का विकल्प दिया जाएगा। यह न केवल सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगा बल्कि समझ और संचार कौशल को भी बढ़ाएगा।

उच्च शिक्षा में सुधार

एनईपी 2020 उच्च शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इसका उद्देश्य पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका एक उल्लेखनीय पहलू एकल उच्च शिक्षा नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना है, जो कई नियामक निकायों का स्थान लेगा। इससे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही की बाधाओं को कम करने की उम्मीद है।

यह नीति विश्वविद्यालयों को बहु–विषयक संस्थान बनने के लिए प्रोत्साहित करती है और अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। यह अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है।

समावेशिता और डिजिटल लर्निंग

एनईपी 2020 में समावेशिता एक केंद्रीय विषय है। यह नीति सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक अक्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। इसमें दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र और समावेशी कक्षाएँ स्थापित करने की पहल की गयी है।

कोविड–19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा को अपनाने में तेजी ला दी है और एनईपी 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करती है। यह ई–सामग्री बनाने और ऑनलाइन तथा मिश्रित शिक्षण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है। यह न केवल शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है बल्कि छात्रों को डिजिटल युग के लिए भी तैयार करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह समग्र विकास, लचीलेपन, समावेशिता और अधिक आधुनिक और प्रासंगिक पाठ्यक्रम की ओर बदलाव पर जोर देती है। हालाँकि इस तरह की व्यापक नीति का कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह सर्वांगीण, कुशल और अनुकूलनीय व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार करने का वादा करती है जो 21वीं सदी में भारत की वृद्धि और विकास में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकते हैं। मूलभूत शिक्षा, लचीलेपन और समावेशिता पर बल के साथ एनईपी 2020 भारत के शिक्षा परिदृश्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

दुर्जन:स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति।
नोदर तृप्तिमायाती मूषक:वस्त्रभक्षक:।।

अर्थात्, जिस प्रकार चूहा वस्त्रों को पेट भरने के लिए नहीं काटता है उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव बिना किसी लाभ के भी दूसरों के कार्य में बाधा डालने वाला होता है।

विवादो धनसम्बन्धो याचनं चातिभाषणम् ।
आदानमग्रतः स्थानं मैत्रीभङ्गस्य हेतवः ।।

अर्थात्, वाद–विवाद, धन के लिये सम्बन्ध बनाना, माँगना, अधिक बोलना, ऋण लेना, आगे निकलने की चाह रखना – ये सब मित्रता टूटने का कारण बनते हैं इसलिए हमेशा इनसे दूरी बना कर रखनी चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत

के.एम्. अलकनंदा
प्रेस और पब्लिकेशन विभाग,
भाभासं, मैसूरू

प्रस्तावना

आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत अभियान माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत का दृष्टिकोण है। 12 मई 2020 को, हमारे प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की–जो भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है।

इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों को रेखांकित किया– अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सात क्षेत्रों में सरकारी सुधारों और समर्थनों की घोषणा की। सरकार ने कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल और स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली जैसे कई साहसिक सुधार किए।

इस योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई थी। आत्मनिर्भर का अर्थ है, स्वयं को दूसरे किसी व्यक्ति पर आश्रित ना रखना। भारत में रहने वाले सभी लोगों को स्वयं के ऊपर निर्भर रहना होगा । कोरोना काल के दौरान सारे विश्व में लॉकडाउन रहा जिसके कारण अलग तरह की समस्याओं जैसे खाने–पीने–रहने की अलग व्यवस्था जैसे संकटों का सामना करना पड़ा। इसी संकट को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यह पहल शुरू की गई है।

भारत प्राचीन काल से ही एक आत्मनिर्भर देश रहा है। अब हमें फिर से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर देश की प्रगति में अपना योगदान करना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को स्वयं पर निर्भर करने के लिए कई तरह के मौके दिए जाएंगे। ऐसे छोटे वर्ग के व्यक्ति जो स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें काफी कम दरों पर ऋण दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून–व्यवस्था और जनसंख्या–नियंत्रण पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से स्वदेशी चीजों को बढ़ावा एवं विदेशी चीजों के उपयोग को कम किया जाएगा। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर भारत स्वयं हर तरह की चीजों का उत्पादन करेगा एवं विश्व में उसका निर्यात करेगा।

आत्मनिर्भर अर्थतंत्र वह है जो अपने आप में पूर्ण हो। दूसरे शब्दों में, आत्मनिर्भरता किसी राज्य या समाज की वह आर्थिक नीति है जो किसी वस्तु या सेवा के लिये दूसरे देशों या समाजों पर निर्भर न हो। भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसी ही मजबूती की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भर भारत का सपना

भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शुरुआत सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी।उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू की थी। आंदोलन में उन्होंने भारत के देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए आग्रह किया था। इसके अलावा विदेशी चीजों का बहिष्कार कर भारत में ही उपयोगी चीजों के निर्माण पर जोर दिया था। आजादी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी जिसके कारण उनका यह सपना साकार ना हो सका। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दोबारा इस पहल को शुरू किया।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल शुरू कर दी। इस अभियान के अंतर्गत देश में ही उपयोगी चीजों का निर्माण किया जाएगा। भारत जिन भी चीजों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, उन चीजों को भारत में ही बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भारत अपने इन्फ्राट्रक्चर, संविधान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं को भी हल करने की कोशिश भी करेगा।

इसके अंतर्गत भारत स्वयं सभी क्षेत्रों में अपनी सामग्री और तकनीक का निर्माण करेगा। इस अभियान के चलते भारत के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, गरीबों को पर्याप्त भोजन दिया जाएगा एवं युवा उद्यमियों को उद्योग के लिए कर्ज दिया जाएगा एवं शिक्षा को बेहतर किया जाएगा।

विनिर्माण क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करना बड़ी चुनौती है। हालंकि वर्ष 2021–22 में भारत का निर्यात चार सौ अरब डालर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इस वर्ष पांच सौ नवासी अरब डालर का व्यापार घाटा हुआ है।

देश में अभी भी दवा, मोबाइल, चिकित्सा उपकरण, वाहन और बिजली उद्योग काफी हद तक चीन से आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नवंबर 2020 से तेरह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पीएलआइ योजना को करीब दो लाख करोड़ रूपए के प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 2022–23 के बजट में भी पीएलआइ योजना के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित किया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0

अब तक आत्मनिर्भर भारत की 2 फेज लॉन्च हो चुकी है। अब सरकार द्वारा इस अभियान की तीसरी फेज लांच की गई है जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जाएगा। तीसरी फेज के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ की गई है जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के भाग

- इस योजना के तीन भाग हैं। पहले भाग में उत्तर– पूर्वी क्षेत्र आता है जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- दूसरे भाग के लिए सरकार द्वारा 7500 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तीसरे भाग के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत योजना के फायदे और लाभ

आत्मनिर्भर भारत योजना के कई सारे लाभ हैं—जैसे कि इस योजना के माध्यम से भारत को तकनीकी रूप से विकसित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। भारत के नागरिकों की मांगों को पूरा करने एवं सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं एक समान जीवन देने की कोशिश की जाएगी। देश की युवा शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ छोटे कुटीर उद्योगों और मत्स्य पालन इत्यादि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

यदि हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है, तो इससे भारत को कई तरह के फायदे होंगे जैसे कि—

- आत्मनिर्भर भारत बनने से देश में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी।
- हमारे देश को कच्चे माल एवं अन्य सामग्री के लिए किसी देश पर आश्रित नहीं होना होगा।
- देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।
- देश बेरोजगारी के साथ गरीबी से भी मुक्त होगा ।
- भारत के नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी।
- भारत के पास हर क्षेत्र में उपयोगी सामग्री मौजूद होगी।
- भारत स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करने वाला एकमात्र देश बनेगा।
- स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण से भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी।
- भारत को उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए दूसरे देशों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी।

आत्मनिर्भर बनने के पांच स्तम्भ

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित 5 स्तंभों के बारे में बताया है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे।

I. अर्थव्यवस्था—भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिसके लिए देश में उद्योग, रोजगार, निर्माण और व्यापार आदि को बढ़ावा देना होगा।

II. तकनीकी—अब भारत को अपने सभी कार्य क्षेत्र को तकनीक की सहायता से विकसित करना है ताकि भारत में हर तरह की तकनीक मौजूद हो।

III. इन्फ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) —यदि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो भारत को आत्मनिर्भर बनने में काफी सहायता मिलेगी ।

IV. मांग—भारत में उद्योगों की संख्या काफी अधिक है जिसके कारण कच्चे माल के लिए भारत को हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है । अगर हम स्वयं कच्चे माल का निर्माण करेंगे तो हमें किसी के सामने कच्चे माल के लिए अपनी मांग नहीं रखनी होगी। इसके अलावा भारतवासियों की मांगों को भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

V. जनसंख्या—भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करना भी बेहद जरूरी है ताकि सभी लोगों को समान सुविधाओं का लाभ मिल सके।

आत्मनिर्भर भारत के समक्ष चुनौतियां

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को पहले कई सारी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है, जैसे कि—

लागत और गुणवत्ता – भारत में स्वयं के उत्पादों को बनाने में सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ता और लागत हो सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में बनने वाले सभी उत्पाद(प्रोडक्ट) की गुणवत्ता अच्छी हो और उसकी लागत कम हो।

आर्थिक समस्या – भारत में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी उद्योग को शुरू करने के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से यदि छोटे उद्योगपतियों को उद्योग के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तो काफी हद तक आर्थिक समस्या खत्म हो सकती है।

अवसंरचना(इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार –विदेश की अधिकतर बड़ी कंपनियां भारत आने से इंकार करती है जिसका एक मुख्य कारण भारत का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं का अभाव है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो इस समस्या को हल करना होगा।

निष्कर्ष

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, सरकार की कोशिश तभी सफल होगी, जब भारत के नागरिक इस योजना में अपना सहयोग देंगे। देश के नागरिकों को विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए आज भारत जिन चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर है उन चीजों को भारत में ही बनाना चाहिए। देश के युवाओं को स्वयं के रोजगार की तलाश करनी चाहिए एवम उन्हें छोटे–छोटे उद्योग शुरू कर वस्तुओं का निर्माण कर भारत के बाजार विदेशी वस्तुओं को बाहर करना चाहिए।

न विना परवादेन रमते दुर्जनोजन:।
काक:सर्वरसान भुक्ते विनामध्यम न तृप्यति।।

अर्थात् , दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को दूसरों की निंदा किए बिना आनंद नहीं आता है, जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी में जाए बिना उससे रहा नहीं जाता है।

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात् , जिन लोगों का हृदय बड़ा होता है उनके लिए पूरी धरती ही उनका परिवार होती है और जिनका हृदय छोटा का होता है उनकी सोच हमेशा अपने– पराए की ही होती है।

शैले शैले न माणिक्यं,मौक्तिम न गजे गजे।
साधवो नहि सर्वत्र, चंदन न वने वने।।

अर्थात् , प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता और प्रत्येक हाथी के सिर में मोती नहीं होता है। सज्जन लोग सभी जगह नहीं पाए जाते और सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं।

रोज़गार मेला

गुनगुन जायसवाल
जेआरपी, भारतवाणी
सीआईआईएल, मैसूरू

रोज़गार मेला

आज मैंने एक मेला देखा
न चैत का, न फाल्गुन का,
न पौष का, न कुम्भ का,
पर भीड़ थी हर मेले से ज्यादा।
जाति, धर्म, रंग, भेष–भूषा में सब थे न्यारे,
पर दिख रहे थे बहुत बेचारे।
आंखों में स्पष्ट झलक रही थी अनिद्रा,
मानो काम न हो कोई दूजा।
फिर भी थकान–बदहाली से रहे थे सब जूझ,
क्योंकि काम न था कोई दूजा।
बताओ, बताओ कौन सा था वो मेला?
नाम था उसका रोजगार मेला।
तमाम विविधताओं से सब थे पूर्ण,
फिर भी पता नहीं क्यों इस बार थे सब एकजुट।
एक तरफ थी पंजीकरण की होड़,
दूसरी तरफ मुफ़्त की चाय कैसे मिले, इसका न मिल रहा था कोई तोड़।
जैसे– तैसे बस इस बार मिल जाए एक नौकरी,
हो जाए सबकी छुट्टी,
हे भगवान कर दो बस इतना,
सवा किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा पक्का।
कब तक रहूँगा बन के बोझ,
माता–पिता के बढ़ रहे हैं अब दवाई के डोज।
पीएच.डी किए हो गए अब बरस पाँच,

न रह गई अब खुद से खुद को कोई आस
बस इस बार मेरिट में हो जाऊँ पास।
सब सुख लहै रोज़गार के सरना, वो रक्षक काहू को डरना...
उत्सुक, उत्साहित और आकांक्षी मन ने न जाने किए कितने ही प्रयास,
दे चुका हूँ परीक्षाएँ तमाम,
फिर भी रह जाता हूँ इंटरव्यू में नाकाम।
साल दर साल डिग्रियों की संख्या में हो रही है उन्नति,
लेकिन एक पक्की नौकरी पाने में हो जाती है दुर्गति।
पीछे से एक भाई ने पीठ थपथपाते हुआ कहा आगे बढ़ो भाई, किस चिंता में लीन हो?
अपने विचारों को समेटते हुए चार कदम आगे बढ़कर मुड़कर पूछा "किस स्ट्रीम से हो भाई?"
जवाब आया – "मैकेनिकल इंजीनियरिंग"।
उत्सुक मन ने पूछा "अभी क्या करते हो?"
"गोलगप्पे बेचता हूँ... बीस के पाँच"
"कितना कमा लेते हो?"
"महीने के साठ हज़ार"
"फिर क्यों खड़े हो भाई लाइन में?"
भीड़ थोड़ी कम करो,
हम पर थोड़ी रहम करो।"
"जो मिल जाए पक्की नौकरी तो आदमी लगा कर साइड बिजनेस बना लूँगा।
अजी मूनलाइटनिंग करूंगा हुजूर।"
अब कुछ कहने को नहीं बचा,
अनगिनत विचार कौंध रहे थे, मन में तभी आया एक और उत्तम विचार,
क्यों न हो यह मेला वर्ष में दो बार।
इस बार नहीं, तो शायद उस बार ही सही।
खुद से कहा– मैं भीड़ हूँ,
मैं भीड़ में एक हूँ,
मैं इस भीड़ का प्रतिनिधित्व करता हूँ...
मैं इस बेरोजगारी का प्रतिनिधित्व करता हूँ
यह भीड़ वर्ष दर वर्ष बढ़ती रहेगी,
मैं और मुझ जैसे फिर–फिर इस भीड़ में शामिल होते रहेंगे,
जब तक हासिल न होगी नौकरी एक,
जाएंगे ऐसे ही रोज़गार मेलों में हम बार–बार,
बार–बार समाचारों में हम सुर्खियां बनेंगे,
हमारे नाम पर वोट बटेंगे,
पुनः, पुनः पुनश्च।

जी–20 देशों में भारत की भूमिका

पवन कुमार मिश्रा
2 वायु सेना प्रवरण बोर्ड,
मैसूरू

जी–20, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए की गई थी। जी–20 में शामिल 20 देशों का योगदान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है और इसकी जनसंख्या का दो–तिहाई हिस्सा है। जी–20 के सदस्य देशों में, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रुस, मैक्सिको, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं।

जी–20 भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारे देश भारत के पास 01 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी–20 की अध्यक्षता रही और भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 'भारत मंडपम' में 09 सितंबर से 10 सितंबर 23 तक शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र की प्रस्तावना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् हम एक पृथ्वी, एक परिवार हैं और हमारा साझा भविष्य है (One Earth, One Family, One Future), की भारतीय विचार धारा को दर्शाती है। जी–20 के लोगो (Logo) को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक जी–20 सम्मलेन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इन कार्यक्रमों में उचित प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों को देश भर के 56 आयोजन स्थलों पर लगभग 200 से अधिक बैठकों में सम्पन्न किया गया।

जी–20 शिखर सम्मेलन के इतर, भारत की 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बात हुई। बातचीत के दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मुक्त व्यापार समझौता के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई। बांग्लादेश ने सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा के सहयोग पर चर्चा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत की चिंता पर भरोसा दिलाया। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से भी सकारात्मक चर्चा हुई।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया भर से जुटे नेताओं ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की तथा विश्व भर की मीडिया में भारत द्वारा आयोजित जी–20 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन छाया रहा जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और मजबूत हुई है। भारत ने पूरी ताकत और तैयारी के साथ जी–20 देशों का नेतृत्व किया और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने, और विकासशील देशों के एजेंडों को विश्वपटल पर रखने में सफल हुआ। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर जिसमें वैश्विक जलवायु संकट, वित्तीय विनिमयन और आर्थिक विकास, डिजिटल फासले को कम करना, आतंकवाद भ्रष्टाचार व्यापार को बढ़ावा, विकासशील देशों की सहायता और आपसी समन्वय आदि पर, भारत ने प्रमुखता से जी–20 देशों के समक्ष अपनी बात रखी है और इनमें से बहुत से विषयों पर सफलता प्राप्त की ।

भारत देश की जी–20 देशों में एक अग्रणी भूमिका है । इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता से भारत को कई लाभ प्राप्त हुए है । संक्षेप में, ये बिन्दु निम्नलिखित है—

(अ) इस विभाजित विश्व में भारत की सर्वस्वीकार्यता बढ़ी है। रुस–यूक्रेन युद्ध जैसे विषय को इस शिखर सम्मेलन से दूर रखा गया तथा सभी देशों के साथ आपसी संबंध और कूटनीति से विश्व में भारत का परचम लहराया है।

(ब) भारत की अगुवाई में अफ्रीकन यूनियन भी जी–20 देशों का सदस्य बन गया है, यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब सदस्य देशों के साथ, अफ्रीकी देशों से भी भारत का व्यापार और सहयोग बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी होगी।

(स) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित देश' बनाना है । भारत ने इस शिखर सम्मेलन के सफलतम आयोजन तथा द्विपक्षीय वार्ताओं से यह साफ कर दिया है कि भारत अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

(द) भारत के चंद्रयान–3 मिशन की सफलता ने स्पेस में भारत को एक नई ऊँचाई प्रदान की है जिसकी प्रशंसा विश्व के सभी राष्ट्रों और 56राष्ट्राध्यक्षों ने की है। सम्मेलन के पहले, यह सफलता विश्व मंच पर भारत को और सशक्त रूप में परिभाषित करती है।

(य) सभी राष्ट्रों को मंच पर लाकर, एक साथ सभी मुद्दों पर चर्चा और आपसी सहमति बनवाना, भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री की कुशलता का परिचायक है।

(र) भारत की जी–20 की अध्यक्षता ने हमारी शैक्षिक प्राथमिकताओं, प्रासंगिक वास्तविकताओं, एवं राष्ट्रीय आवश्यकता संबंधी गतिविधियों, एक गति आधारित वृद्धि और दीर्घकालिक प्रणालीगत नीति दृष्टि को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। सभी जी–20 भागीदार देशों ने सहयोग, ज्ञान साक्षातकरण एवं नवोन्मेषी दृष्टिकोण को बढ़ाने पर वचनबद्धता व्यक्त की है ।

(ल) भारत की जी–20 की अध्यक्षता जन केंद्रित थी और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी । शिखर सम्मेलन के नतीजे परिवर्तनकारी है और आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने में योगदान करेंगे।

निष्कर्ष

जी–20 की बैठक से भारत को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। साथ ही जी–20 के सभी भागीदार देशों को लाभ प्राप्त होगा और भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देश बनने में सहायता मिलेगी। इस बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार वैश्विक कार्यस्थल के अवसर, बाजरा उत्पादन और खपत के माध्यम से मजबूत खाद्य सुरक्षा और जैव–ईंधन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर बल दिया जिससे भारत ही नहीं, इस समूह के अन्य विकासशील देशों को दूरगामी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे।

जय हिंद ! जय भारत !

भारत की अध्यक्षता में जी–20 देशों का सम्मेलन

भाग्यलक्ष्मी पी.
नक्शा नवीस
कोचिंग डिपो कार्यालय

दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह जी–20 का वर्ष 2023 का सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में हुआ। नई दिल्ली का यह शिखर सम्मेलन कई देशों के लिए मील का पत्थर बन जाएगा।
भविष्य में भी यह भारत की इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जायेगा।

जी–20 की बैठक में जिस तरह आमंत्रण पत्रों, पहचान पत्रों और आयोजन के अन्य दस्तावेजों में इंडिया की बजाय भारत को आगे किया गया उसके जरिए भी संदेश देने का प्रयास किया गया है।

सम्मेलन से ठीक पहले भारत यह भी बताया गया कि हमारी विरासत विदेशी आक्रांताओं के आने से काफी पहले से समृद्ध है। जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर यह कहते हैं कि भारत अब 1983 वाला नहीं है और हम 2023 में पहुंच गए हैं तो यह मायने रखता है। दुनिया भी अब इसका अर्थ समझने लगी है।

जी–20 स्वदेशी सांस्कृतिक विरासतों एवं कारीगरों के कौशल को भी मिला मंच

जी–20 की भारत की अध्यक्षता कई मायने में अनूठी साबित हुई है। इसने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं एवं प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मुखर किया है और जलवायु कार्रवाई एवं वित्त, उर्जा रूपातंरण, सतत विकास लक्ष्यों (एस डीजी) के कार्यान्वयन तकनीकी बदलाव जैसे क्षेत्रों से जुड़ी महात्वाकांक्षाओं को सशक्त किया है। जिस बात ने जी–20 की भारत की अध्यक्षता को और अधिक असाधारण बनाया है, वह है जी–20 से संबंधित विभिन्न आयोजनों एवं गतिविधियों में देशभर के लोगों की व्यापक भागीदारी या जन भागीदारी। यह अध्यक्षता सिर्फ सरकार के शीर्ष स्तर तक ही समिति नहीं रही है। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लोगों की सक्रिय भागीदारी के जरिए जी–20 की भारत की अध्यक्षता सही अर्थों में आम–जन का जी– 20 महासम्मेलन साबित हुई है ।

कुल 60 शहरों में आयोजित लगभग 220 बैठकें, जी–20 की विभिन्न बैठकों में लगभग 30,000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति, इन बैठकों ने जुड़े विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों में 100,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ–साथ देश के सभी कोने से नागरिकों की भागीदारी जी–20 की सफलता में विभिन्न तरीकों से आम लोगों के साथ जुड़ी हुई है।

इसके अलावा जी–20 की भारत की अध्यक्षता ने देश के सहकारी संघवाद के विशिष्ट मॉडयूल को रेखाकिंत किया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जी–20 के प्रतिनिधियों को स्वागत करने, स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उत्साह जगाने और अपनी–अपनी पंरपराओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक

दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की है। कई मामलों में इसने विकास की इन पहलों को आगे बढाने का अवसर प्रदान किया है जिन्होंने इस तरह के आयोजन में योगदान दिया है।

आर्थिक लाभ –निश्चित रूप से जी–20 कार्यक्रम को जिस तरह से देशभर में लागू किया गया है, उसके आर्थिक लाभ निरंतर सामने आ रहे हैं। देशभर में जी– 20 का उत्सव मनाकर, हमने समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की है जो भारत और दुनिया, दोनों के लिए लाभदायक साबित हो। यह बात पूरी गंभीरता के कही जा सकती है कि कुल मिलाकर इसने भारत को वैश्विक स्तर के लिए तैयार तथा पूरे विश्व को भारत के लिए और अधिक तैयार कर लिया है।

विभिन्न कार्य समूह और सहभागिता समूह भी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सामाजिक रूचि एवं प्रतिबद्धता पैदा करने के एक शक्तिशाली मंच साबित हुए हैं। विज्ञान जैसे मामलों में उन्होंने हमारे सामने पेश आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में सहयोगात्मक सोच के निर्माण में योगदान दिया है। इसी प्रकार श्रम के मुद्दे पर पारस्परिक लाभ के लिये अनुभवों के आदान–प्रदान के अवसर प्रदान किये गये हैं । युवा जी–20 विशेष रूप से प्रभावशाली रहा और इसने जनभागीदारी के दृष्टिकोण को मजबूत तरीके से पुष्ट किया । कुल 1563 बैठकों में 125,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी भारत की अध्यक्षता के तहत एक ऐसी उर्जा का संचार करने में सक्षम रही जो वास्तव में उल्लेखनीय थी । अकेले सिविल–20 ने दुनिया भर के 45 लाख लोगों पर प्रभाव डाला । जी–20 की प्रक्रिया में सोशल मीडिया एक ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा जिसने नागरिकों को प्रेरित किया तथा सार्वजनिक सहभागिता को मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर 14 ट्रिलियन से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। जनभागादारी के क्रम में दो विश्व रिकार्ड बने। वाराणसी में जी–20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख विद्यार्थियों का शामिल होना, इनमें से एक था। वहीं 450 लंबानी कारीगरों ने लगभग 1,800 अनूठे पैच का एक अद्भूत संग्रह बनाकर अपने कौशल और शिल्पकारी का प्रदर्शन किया ।

भारत की अध्यक्षता के दौरान उन विषयों पर व्यापक बहस एवं चर्चाएं हुईं हैं जो हमारी सामूहिक संभावनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । उनमें वैसी चर्चाएं प्रमुख थीं जिनमें समाज की स्वीकृति संलग्न थीं क्योंकि कोई भी लक्ष्य तभी व्यावहारिक होगा जब उसका संदेश वैश्विक समुदाय के माध्यम से फैले । प्रधानमंत्री मोदी ने जी–20 की भारत की अध्यक्षता को जनता की अध्यक्षता करार दिया है।

जी 20 शिखर सम्मेलन मानव केन्द्रित समावेशी विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व को यह विश्वास दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सतत भविष्य के लिये सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) एवं हरित विकास समझौते की प्रगति में तेजी लाना चाहते हैं और 21वीं सदी के लिये बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं। हम तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। हम लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और विश्वशांति सुनिश्चित करने के लिये सामूहिक रूप से काम करेगें।

उन्होंने कहा कि यह मेरा दृढ विश्वास है कि नई दिल्ली जी–20 शिखर सम्मेलन मानव केन्द्रित और समावेशी विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

देश के सांस्कृतिक लोकाचार में निहित, भारत जी 20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुम्बकम – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारे वैश्विक दृष्टिकोण के साथ गहराई से मेल खाता है जबकि पूरा विश्व एक परिवार है । भारत की जी–20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई–उन्मुख रही है। हमने सक्रिय रूप से ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी चिंताओं को उठाया है ।

जी–20 शिखर सम्मेलन मे भारत की ग्लोबल साउथ को लेकर की गई प्रतिबद्धता और समय विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। भारत को बहुपक्षीय प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण साझेदार की संज्ञा दी गई है। इस सम्मेलन के तीन सत्रों में एक धरती, एक परिवार व एक भविष्य की थीम पर मंथन हुआ। इस मंथन में पहले दिन एक धरती, व एक परिवार पर चर्चा हुई तो दूसरे दिन तीसरे व अंतिम सत्र में एक भविष्य पर मंथन के साथ समापन हुआ ।

भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में जी–20 देशों के सदस्यों व आमंत्रित सदस्यों सहित 41 विदेशी प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए।

भारत ने विश्व को बता दिया कि जी–20 शिखर सम्मेलन मानव केन्द्रित और समावेशी विकास में एक नया रास्ता तय करेगा। महात्मा गांधी को याद करते हुए भारत ने संदेश दिया कि सभी के लिये इस मिशन का अनुकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है।

इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट : भारत ने अमेरिका और खाडी देशों के साथ संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट की घोषणा की। क्षेत्र में चीन के बढते प्रभाव को देखते हुए यह पहल हुई है और चीन से दुखी देशों के लिये यह बहुत बड़ी राहत है।

बिजनेस वेल्थ : भारत ने दुनिया को बताया कि भारत में बिजनेस करना सरल व सुरक्षित है जिससे आर्थिक विकास होगा और बिजनेस देशों की आर्थिक सेहत सुधरेगी। भारत अब हथियार, हवाई जहाज और अन्य सामग्री अपने ही देश में बनाकर दूसरे देशों को बेचेगा । दूसरे शब्दों में भारत अब विकासशील देश न रहकर विकसित देशों के श्रेणी में आ रहा है।

भारत ने जी– 20 के मंच से यह भी संदेश दिया है कि भारत किसी भी प्रकार से आंतकवाद का बढ़ावा नहीं देगा और न ही किसी आंतकवादी, उग्रवादी को अपने यहां शरण देगा।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जी–20 के भव्य आयोजन में अपनी हर क्षेत्र में कई उपलब्धियों को दिखाकर विश्व में भारत ने अपना निश्चित रूप से कद बढा लिया है।

सुविचार

हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यं कंठस्य भूषणम्।
श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम, भूषणैःकिं प्रयोजनम्।।

अर्थात् , हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है और कान की शोभा शास्त्र सुनने में हैं तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है।

न ही कश्चित् विजानाति किं कस्य श्वो भविष्यति।
अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्॥

अर्थात्, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर लें, यही बुद्धिमान की निशानी है।

आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते।
नीयते स वृथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥

अर्थात् , सभी रत्नों से कीमती जीवन है जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए इसे निरर्थक कार्यों में व्यतीत करना बहुत बड़ी गलती है।

विश्वास

डॉ.एम. नारायण रेड्डी
जेआरपी–हिन्दी
एनटीएस–आई
सीआईआईएल,मैसूरु

विश्वास क्या है ? इसकी पूर्ण जानकारी न होने पर भी हम इस शब्द का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। यह एक ऐसी कड़ी है जो रिश्तों एवं कार्य के प्रति हमें वफादार बने रहने की प्रेरणा देती है। दुनिया में प्रत्येक कार्य विश्वास पर ही आगे बढ़ता है। ऐसा एक भी काम नहीं है जो विश्वास के बिना हो सके। संसार में व्यक्ति कोई भी काम तभी कर सकता है जब उसके प्रति उसे विश्वास हो। यूँ तो विश्वास हरेक प्राणी में होता है, लेकिन मनुष्य का विश्वास उच्च कोटि का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्वास मानव मन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्वास एक मानसिक भावना है जो आगे चलकर एक दृढ़ संकल्प बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आधार जानकारी और कामना पर निर्भर होता है। ये दोनों मिलकर विश्वास को एक सजीव रूप देते हैं। विश्वास को बनाए रखने के लिए सफलता की आवश्यकता होती है। इसमें एक ऐसी शक्ति है जो अपूर्ण को भी पूर्ण बना देती है। विश्वास में एक ऐसा गुण है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है और भगवान की सेवा में मग्न करा देता है। विश्वास एक ऐसी भावना है जो दो व्यक्तियों को एक बंधन में बांधकर एक दूसरे के लिए मर–मिटने को प्रेरित करती है। साथ ही मानव सम्बन्धों का मूल स्तम्भ विश्वास ही है। यह एक ऐसी कल्पना है जो व्यक्ति को देशभक्त बनाकर उसको देश के लिए अपने को अर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। संसार के सारे वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रेरक–भाव विश्वास से ही जन्म लिया करते हैं। मानव प्रगति की नींव विश्वास है। सुख–दुःख का संतुलन विश्वास पर ही निर्भर है। सफलता के लिए विश्वास ऑक्सीजन है। यदि निराशा मृत शरीर है तो, विश्वास संजीवनी है। विश्वास आशा का मूल स्रोत है। विश्वास एक दिया है जिसके आलोक में मनुष्य सही मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करता है।

विश्वास नामक शक्ति मनुष्य के आत्मविश्वास एवं आत्मबल को इतना बढ़ा देती है कि वह कोई भी कठिन कार्य सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। यही कारण है कि राम ने रावण पर, पाण्डवों ने कौरवों पर, भारतीयों ने अंग्रेजों पर विजय पायी। विश्वास ने ही मानव का चन्द्रमण्डल पर पदार्पण कराया। विश्वास ने ही तुलसी को रामभक्त, सूर को कृष्णभक्त, कबीर को निर्गुणोपासक और गाँधी को अहिंसोपासक बना दिया। परंतु हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। यदि इस जग में अच्छाई है तो, बुराई भी उसी मात्रा में निवास करती है।

विश्वास का दूसरा रूप है – अंधविश्वास, अतिविश्वास या अभिमान जो हानिकारक है। इसके कारण अहम् भावना, लालच तथा मानवीय कमजोरियाँ जैसे—काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि उत्पन्न होते हैं। अंधविश्वास व अतिविश्वास के कारण ही दुर्योधन भीम से तथा शिशुपाल और कंस कृष्ण से बलवान होने पर भी पराजित हुए थे। हिट्लर और मुसोलिनी दूसरे विश्व–युद्ध में हार गये। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन को अमेरिका से पराजित होना पड़ा। अंधविश्वास के कारण ही बिन लादेन ने अमेरिका के 'विश्व व्यापार केंद्र' का नाश किया। आतंकवादियों ने पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो का अन्त किया। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सबके प्रति विश्वसनीय बनें तथा इस बात पर भी पूरा ध्यान दें कि हम किसी के अंधविश्वास का शिकार न बनें। अतः यदि हम विश्वास के सकारात्मक रूप को अपनाते हैं तो, हमारा जीवन सुखमय एवं शांतिमय बन सकता है।

पापा की परी

जोगेन्द्र सिंह
सहायक लेखा अधिकारी
केलोनिवि, हुबली

आज भी याद है मुझे 29 नवंबर, 2021 की वो शाम जब मैं मेटरनिटी वार्ड के दरवाजे के बाहर खड़ा अपने होने वाले बच्चे की पहली किलकारी सुनने को बेकरार खड़ा था। तभी एक प्यारी सी किलकारी मेरे कानों में गुंजी। वो किलकारी थी मेरी बेटी की, जिसके आने से मानो मेरी दुनिया ही बदल गयी।

हाँ, वो आयी थी नन्ही सी जान, अपने पापा की परी। उसे पहली बार गोद में उठाते ही मैंने आदमी से बाप बनने का सफर तय कर लिया था।

याद है मुझे कैसे उसकी नन्ही सी आँखें मुझे ढूँढ़ती रहती थी, और कैसे मेरे आने भर के अहसास से वो झूम उठती थीं।

कैसे वो रात–रात भर अपनी माँ को जगाती थी और मेरी गोद में आकर खामोश सो जाती थी। छः महीने की होने के बाद भी दूध ना पीने के बहाने जो थे, आज भी वो उन्हीं बहानों से दूध नहीं पीती है। फिर आया वो लम्हा जिसके लिए शायद मैं पहले से ज्यादा बेसब्र था। मेरी बेटी का पहला शब्द वो था "पापा"। आज भी हर वक्त उसके प्यारे से मुँह से पापा–पापा ही सुनता हूँ।

मेरी परी जिसे अपने कन्धों पर बैठा पूरी दुनिया घूमा हूँ जिसकी एक मुस्कुराहट पर पूरी दौलत न्योछावर है, वही तो है मेरी जान, अपने पापा की परी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है। याद है मुझे कैसे पहली बार बिना सहारे के अपने नन्हे कदमों से चल कर मेरे पास आयी थी।

कैसे वो मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चलने की ज़िद करती रहती थी। अब वो नन्हे कदम, चलना सीख गये हैं। वक्त उड़ता ही जा रहा है। मेरा दिल ये सोचकर शान्त हो जाता है कि एक दिन मेरी परी पंखों से उड़कर, अपने पापा के घर को छोड़कर, एक नयी दुनिया को रोशन करेगी।

पर मेरी बेटी, मेरी शान है मेरे जीने की वजह है। मेरा अभिमान है क्योंकि वो हमेशा ही रहेगी अपने पापा की परी!

नाभिकीय ऊर्जा, विकिरण एवं आम धारणाएं

श्री सुरेश कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
विरल पदार्थ परियोजना
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मैसूरु

विकिरण (Radiation) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ से तरंग या कण के रूप में ऊर्जा का त्वरित उत्सर्जन होता है और इस तरह के पदार्थ को रेडियोधर्मी या रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है। विकिरण आज की उत्पत्ति नहीं है, यह सृष्टि के निर्माण के साथ ही प्राकृतिक रूप से वातावरण में उपलब्ध रहा है। यह बात अलग है कि तब हम इससे अनभिज्ञ थे, और यदि किसी को मालूम भी रहा होगा, तो हमारे पास इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन मानव की विकास यात्रा के साथ विज्ञान एवं आविष्कारों का दायरा बढ़ता गया और विकिरण का स्वरूप भी। आज विकिरण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सन् 1895 में एक्स–रे के आविष्कार से कृत्रिम विकिरण का अस्तित्व माना जाता है। एक्स–रे एवं गामा–रे दोनों भार रहित ऊर्जा के कण हैं और प्रमुख अंतर उनके ऊर्जा स्तर तथा उनकी उत्पत्ति से है। गामा–रे रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक से स्वत: उत्पन्न होता है जबकि एक्स–रे नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन के कक्षा परिवर्तन से उत्पन्न किया जाता है।

विकिरण को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: विद्युत–चुम्बकीय (Electromagnetic) विकिरण जैसे रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, प्रकाश, एक्स–रे, गामा–रे इत्यादि तथा कण (Particle) विकिरण जैसे अल्फा–रे, बीटा–रे, न्यूट्रॉन, इत्यादि। अल्फा–रे, बीटा–रे एवं न्यूट्रॉन के साथ–साथ पराबैगनी किरणों से अधिक ऊर्जा वाली किरणें करने जैसे एक्स–रे, गामा–रे आदि को आयनकारी विकिरण के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस लेख में रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले आयनकारी विकिरण यानि कृत्रिम विकिरण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित हानियों को ध्यान में रखकर चर्चा की गई है। परन्तु उससे पहले प्राकृतिक विकिरण के बारे में जानना आवश्यक है।

प्राकृतिक विकिरण

सूर्य से आने वाली किरणें भी विकिरण का एक रूप है जिससे पृथ्वी पर सृष्टि का संचालन हो रहा है। आज भी हमारे बड़े–बुजुर्ग इस बात पर बल देते हैं कि हर रोज कम से कम आधे घंटे प्रातः कालीन सूर्य की रोशनी में रहो, जिससे शरीर में विटामीन–डी पर्याप्त मात्रा में बनती रहे और शरीर ऊर्जावान व कांतिमय बना रहे। केला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है जबकि इसके अन्दर पाये जाने वाले पोटैशियम में इसका एक आइसोटोप K–40 भी होता है जो रेडियोधर्मी है। यह शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के संपर्क में आता है इसके बावजूद शायद इसकी मात्रा कम होने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि विकिरण मानव जीवन व प्रकृति के अन्य जीव–जंतुओं के लिए भी लाभदायक है। हालाँकि इसकी अत्यधिक मात्रा प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। पाठकों की जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि मैसूरू शहर और उसके आस–पास के क्षेत्रों की तुलना में चामुण्डी पहाड़ पर विकिरण की मात्रा ज्यादा है फिर भी वहां पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं वह हमेशा से ही विकिरण के साथ ही रहते आ रहे हैं। चाहे वह सूर्य की किरणें हों या धरती पर उपलब्ध विभिन्न पदार्थों से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा। जैसा कि चित्र सं.1 में देखा जा सकता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके आसपास बहुत सारी वस्तुओं से विकिरण होता ही है। लेकिन भ्रांतिवश हम विकिरण के नाम से ही डर जाते हैं और

इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ही ज्यादा सोचकर भयभीत रहते हैं। इसका कारण है जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिरे परमाणु बम, चेर्नोबिल एवं फुकुशिमा की घटनाएँ और उसके दुष्परिणाम। वैसे यह सच्चाई भी है कि प्राकृतिक विकिरण का प्रभाव उतना अधिक नहीं है जितना मानव निर्मित कृत्रिम विकिरण का परन्तु यह हानिकारक प्रभाव भी विकिरण की अधिक मात्रा होने पर ही होता है। चित्र सं.2 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्राकृतिक विकिरण की मात्रा अन्य स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक है फिर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम है।

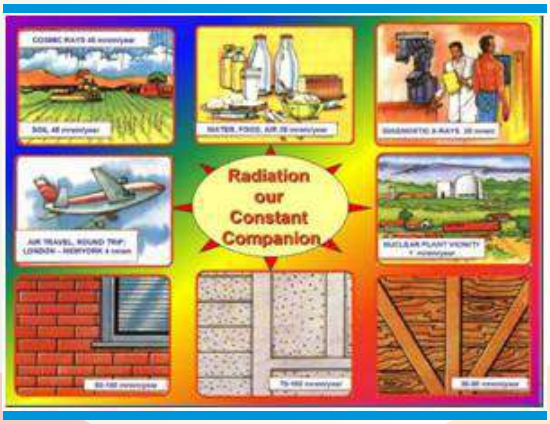

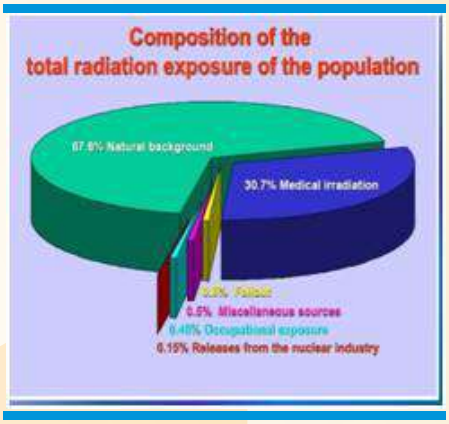

कृत्रिम विकिरण

आज यहाँ हम जिस विकिरण की बात कर रहे हैं वह प्राकृतिक विकिरण नहीं बल्कि कृत्रिम विकिरण है। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने कृत्रिम विकिरण के दायरे को इतना व्यापक बना दिया है कि मानव जीवन के हरेक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में इसका सुरक्षित उपयोग किया जा रहा है। यदि हम इसकी व्यापकता की बात करें तो विद्युत उत्पादन, खाद्य, कृषि, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष, नाभिकीय पनडुब्बी इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। खासकर असाध्य रोगों का पता लगाने और उनके उपचार में कृत्रिम विकिरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इनमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है।

बिजली उत्पादन: हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोयला एवं प्राकृतिक गैस प्रमुख है। चूँकि इसका भंडार सीमित है और इसके उपयोग से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वायुमंडल का तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या अपना विकराल रूप आए दिन दिखा रही है।

जहाँ तक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली आदि की बात है तो ये सब प्रकृति आधारित स्रोत हैं जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन की तुलना में कई गुना कम होता है लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण का होना अत्यावश्यक है। साथ ही इन प्राकृतिक स्रोतों से आवश्यक मात्रा में बिजली उत्पादित करना भी कठिन है।

नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरह ही नाभिकीय ऊर्जा से भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है जिससे प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यह स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में आती है इसके उपयोग को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसकी सहायता से इच्छित मात्रा में कई वर्षों तक अनवरत बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। भारत में आज न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

(एनपीसीआईएल) के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बहुत से देशों में नाभिकीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसकी उपयोगिता को समझते हुए बांग्लादेश और अरब के देशों सहित कई अन्य देश भी नये संयंत्र लगा रहे हैं। फ्रांस में बिजली के कुल उत्पादन का 65–70% हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है जो अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है।

चिकित्सा: चिकित्सा के क्षेत्र में नाभिकीय विकिरण का उपयोग अनेक रूपों में किया जा रहा है। एक्स–रे से लेकर रोगों की पहचान और निदान के लिए हर स्तर पर विकिरण का उपयोग किया जाता है। खासकर कैंसर का पता लगाने से लेकर इसके उपचार तक में विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। शल्य चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु–विषाणु मुक्त रखने आदि के लिए भी विकिरण का उपयोग किया जाता है।

खाद्य: नाभिकीय विकिरण का उपयोग खाने–पीने की चीजों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। विशेष तौर पर जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, मौसमी फलों और सब्जियों आदि को जीवाणु और विषाणुरहित रखने के लिए उन्हें विकिरित किया जाता है जिससे ये वस्तुएं लंबे समय तक ताजा और पौष्टिक बनी रहती हैं। आजकल अमेरिका सहित कई देशों को निर्यात किये जाने वाले मौसमी फलों और सब्जियों को विकिरित करना अनिवार्य हो गया है। अर्थात विकिरण की सीमित खुराक का हमारे जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

कृषि: कृषि के क्षेत्र में नाभिकीय विकिरण का उपयोग उच्च उत्पादकता और बारं–बार इस्तेमाल किये जाने वाले संकर बीजों के उत्पादन के लिए किया जाता है। विकिरण का उपयोग करके तैयार किये गए बीजों में जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं और फसल भी उच्च किस्म की होती है।

उद्योग: औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए तो विकिरण का उपयोग यहाँ कई रूपों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तेल या गैस के भूमिगत पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए विकिरण सबसे आसान और सटीक तरीका है। इसका उपयोग लेज़र के रूप में भी किया जाता है। वेल्डिंग में कमी का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा दुनिया के अनेक देश अपनी सुरक्षा के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार के अस्त्रों–शस्त्रों को बनाने के लिए करते हैं जो राष्ट्र की आत्मरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

विकिरण के प्रति आम अवधारणाएं

जापान में गिरे परमाणु बम की वजह से नाभिकीय ऊर्जा के प्रति जन मानस पर बुरा असर पड़ा है। दुर्भाग्य से नाभिकीय ऊर्जा की शक्ति का पहला प्रदर्शन विनाश के लिए किया गया जबकि मानवता के लिए इसकी उपयोगिता बाद में सामने आई जो आम लोगों को बहुत कम मालूम है। इसके विपरीत कुछ बड़ी तकनीकी खोजों से लोगों का जीवन तो आसान हुआ लेकिन उसके प्रयोग का दुष्परिणाम कई सालों के बाद दिखाई दिया। इसके लिए कुछ उदाहरण देना जरूरी है। शुरुआत में प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया

NATURAL BACKGROUND RADIATION

Source	Dose Received (in $mSv.Yr^{-1}$)
Cosmic – from the Sun and outer space	0.4
Terrestrial – from the earth's crust	0.5
Radon – from decay of U / Ra	1.2
Internal – from our body (eg. ^{40}K)	0.3
Total – from Nature	**2.4**

लेकिन इसके दुष्परिणाम कई सालों के बाद दिखाई दिए जिसकी वजह से इसके उपयोग पर विभिन्न प्रकार से रोक लगाई गई है। इसी प्रकार रेफ्रीजरेटर में प्रयोग होने वाली शीतलक गैस की वजह से ओज़ोन की परत में कमी की जानकारी कई वर्षों के बाद वैज्ञानिकों को हुई। इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के दुष्परिणामों के प्रति भी से लोग जागरूक हो गये हैं।

विकिरण से संबन्धित भ्रान्तियों को समझने के लिए अन्य प्रकार के उदाहरणों से अधिक आसानी होगी। हमारे जीवन में नमक बहुत ही उपयोगी है लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में खाने से धीरे–धीरे कई बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि लम्बे समय तक ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आग भी उर्जा का एक रूप है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन आग को यदि सही से नियन्त्रित न किया जाए तो घर, गांव, जंगल आदि जलकर खाक हो जाते हैं। ऊपर चित्र सं. 3 में देखा जा सकता है कि प्रकृति में विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले प्राकृतिक विकिरण की मात्रा 2.4 है, जो हमें अपने आप ही मिल रही है।

कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज का अनियन्त्रित या आवश्यकता से अधिक उपयोग हमेशा हानिकारक होता है। ऐसा कहा जाता है कि 'अति सर्वत्र वर्जयेत' अर्थात जिस प्रकार किसी भी चीज की आवश्यकता से अधिक मात्रा हमेशा ही अस्वास्थ्यकर होती है, ठीक उसी प्रकार विकिरण की भी स्वीकार्य से अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। नाभिकीय ऊर्जा एवं विकिरण भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं इसलिए विकिरण को समझने की आवश्यकता है, न कि इससे डरने की।

सुविचार

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता॥
अर्थात्, हमेशा प्रिय वचन ही बोलें क्योंकि इसे सुनकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं।
इसलिए ऐसा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।

भूमेः गरीयसी माता, स्वर्गात उच्चतरः पिता।
जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गात अपि गरीयसी।।
अर्थात्, भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।
(इसलिए उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए)

सीट मिल गयी

श्रीमती सरिता के शेणै
ईपीएफओ, मैसूरू

सीट मिल गयी?

हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? बच्चे के लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल सीट मिल गयी। नहीं जनाब। बस में सीट मिल गयी। अजीब लग रहा है ना? यह बस यात्रा हम मंगलोरियन लोगों के कॉलेज जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने बिना बस से यात्रा किए कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। आप अपने जीवन के एक बहूमूल्य अनुभव से वंचित हैं।

अगर आप यहां बस से सफर करना चाहते हैं तो कंडक्टर के हाथ में पैसे देके भूल जाइए। आपको बिलकुल टिकट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

यह बेंगलूरु नहीं मंगलूरू है। यहाँ बिना टिकट यात्रा करने पर कोई जुर्माना लगाने नहीं आएगा। हमारे यहाँ कंडक्टर नाम के वास्ते टिकट ज़रूर फाड़ेगा और उसे हवा में फेंक देगा। इसे पकड़ने का दुस्साहस हरगिज नहीं करें, क्योंकि यह पहुंच से बाहर है, इसे पकड़ो तो साथी यात्रियों के साथ लड़ाई की गारंटी है।

अहा ! सुबह आठ बजे से किसी गर्भवती महिला की तरह लदी–फँदी लगने वाली बसों को देखना अच्छा लगता है। दूसरे शहरों के लोग बिलकुल बस में नहीं चढ़ेगे। अनगिनत यात्रियों से भरी और एक तरफ झुकी हुई बस में बस पैर रखने भर की जगह मिल जाए तो काफी है, पूरा शरीर तो स्वयं ही घुस जाता है। फिर, हम मैंगलोर वाले पूरे शरीर को धीरे–धीरे अंदर घुसाने का हुनर रखते हैं। कई बार मैंने सीढ़ियों पर केवल एक पैर रखकर यात्रा की है।

बस के सफाईकर्मी "पोडोडाची। पिरावडु यान उल्ले" (तुलु भाषा में, इसका अर्थ है – डरो मत। मैं पीछे हूं), यह कहके आश्वासन भी देते हैं। दरवाजे की दोनों सलाखें पकड़ कर, हमारी रक्षा के लिए खड़े मसीहा की तरह दिखावा करके बोलते है, "हैम, राइट पोई" (तुलु भाषा में, इसका अर्थ है – हैम, चलो चलते हैं)।

किताबें, बैग आदि अगर किसी सीट पाने वाले व्यक्ति पर फेंक दे तो हमारा काम ख़त्म हो गया। स्टॉप पर उतरना और जिस व्यक्ति को हमने किताबें दी थी, उससे किताब लेना भी एक साहसिक कार्य है। चूँकि एक ही क्षेत्र में चार कॉलेज हैं, हमारा केनरा कॉलेज, बेसेंट कॉलेज, एस.डी.एम लॉ कॉलेज, श्रीदेवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए जिस बस में हम जाते हैं उसमें बहुत भीड़ होती थी।

कॉलेज में कोई समारोह हो तो बात ख़त्म। जो लोग अच्छी पोशाक और मेकअप के साथ घर से निकलते हैं और कॉलेज पहुंचते हैं, वे नागवल्ली की तरह विखरे हुये बाल पाएंगे।

एक बार एक कॉलेज में पारंपरिक दिन था। बस स्टॉप पर एक महिला खूबसूरत हेयरस्टाइल बनाकर खड़ी थी। मैं मन ही मन हँसने लगी। मैंने धीरे से सहेली की कान में कहा कि "सोचो, नीचे उतरते समय उस लड़की के बाल कैसे होंगे। मेरा अंदाजा सही था, जैसे ही लड़की बस से नीचे उतारने के लिए तैयार हुयी, साफ–सुथरा, सुंदर हेयरस्टाइल, नागवल्ली के जैसा हो गया। फिर गुस्से में उसने मामूली बाल बना लिया। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है।

जो लड़कियां साड़ी पहनकर पारंपरिक दिन पर उत्सव मनाने कॉलेज जाती थीं, उनकी हालत का बखान नहीं किया जा सकता। उनकी साड़ी के प्लेट्स एक तरफ और साड़ी का पल्लू दूसरी तरफ उड़ रहे होते थे। मेरी सहेली ने भी साड़ी पहनी थी। उसकी माँ ने अच्छे से पिन लगाके भेजा था, इस कारण वह बच गयी।

लेकिन हमारा एक सीनियर लड़का अपनी गरिमा बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहा। जहां लड़कियां साड़ी पहनकर आई थीं, वहीं कुछ लड़के धोती पहनकर आए थे। बेचारा बस से उतार रहा था, उसकी सफेद धोती को किसी ने पैर से नीचे दबा दिया और फिर क्या हुआ? वह नीचे बस स्टॉप पर है, और उसकी धोती बस में है । किसी ने धोती वापस फेंकी तो उसमें जूते की छवि स्पष्ट उभर गई थी। धोती मिलते ही फटाफट से उसने उसे फिर से लपेटा। और एक पल भी बिना रुके, कैम्पस में चला गया । जब भी वह सामने आता था तो उसकी यह स्थिति याद आती थी।

अब, उडुपी–मैंगलोर बस के बारे में क्या कहें? उन्होंने वेगदूत का (सुपर एक्सप्रेस) बोर्ड लगा दिया है। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि यह वेगदूत नहीं है, यमदूत है। मैंगलोर से उडुपी पहुंचने के लिए आपको जान हथेली पर रखनी होगी। ऐसा आभास होता था कि हम रॉकेट पर उड़ान भर रहे हैं।

हमारे मैंगलोर के बस कंडक्टरों की महिमा अनंत है। नए लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वे कितनी सहजता से स्थानों को पहले पड़ाव से आखिरी पड़ाव तक उनके क्रम में अत्यंत प्रवाह तथा वेग से बोलते है।

"कावूर, पणजीमोगेरे, गुड्डेयांगडी, पंप हाउस, कूलूर, फोर्थ माइल, कोडिक्कल, कोट्टारा, चौकी, उर्वस्टोर, चिलिम्बी, लेडीहिल, लाल बाग, बल्लाल बाग, पीवीएस, बंट्स हॉस्टल, ज्योति, हंपनाकट्टे, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक कहके एक ही सांस में चिल्लाने का उनका अंदाज लोगों को हैरान कर देगा।

इतना ही नहीं, इस बस यात्रा की कई यादें हैं। एक बार फिर मैं आपके साथ और भी मजेदार यादें शेयर करूंगी, अभी के लिए इतना ही काफी है, हँसते रहें, प्रसन्न रहें।

मानक प्रारूप

सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय
उपनिदेशक(रा.भा)–से नि
सी एस आर टी आई, मैसूरू

सेवा में / To

विषय :– ..... से संबंधित मासिक / तिमाही / छः माही /
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के संबंध में ।

Sub:- Submission of Monthly/Quarterly / Half yearly / Annual progress report in respect of .....– reg.

महोदय Sir,

उपर्युक्त विषय ..... से संबंधित ..... से ..... तक की अवधि की मासिक /तिमाही / छः माही / वार्षिक प्रगति रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न हैं । यह आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

With reference to the above mentioned subject, I am to enclose herewith monthly/quarterly/half yearly/annual progress report in respect of ..... for the period .....to..... for your information and necessary action.

भवदीय / Yours faithfully,

मानक प्रारूप

सेवा में / To

विषय :– कार्यारम्भ प्रतिवेतन प्रस्तुत करने के संबंध में।

Sub:- Submission of Joining report – reg.

संदर्भ :– दिनांक ..... का छुट्टी का मेरा आवेदन।

Ref :- My leave application dt. ……..

महोदय Sir,

दिनांक ..... से ..... तक ..... दिन अर्जित / परिणत / अर्धिवेतन अवकाश पर रहने के पश्चात मैं आज दिनांक ..... के पूर्वाह्न में काम पर योगदान दे रहा हूँ।

I am reporting for duty today on …….. in the (F/N) after availing ……. Days EL / commuted / Half pay / leave from …….. to ……..

भवदीय / Yours faithfully,

मानक प्रारूप

सेवा में / To

.....

.....

.....

विषय :– सामान्य भविष्य निधि अंशदान बढ़ाने / कम करने के संबंध में।

Sub:- Enhancement / Reduction of GPF subscription – reg.

महोदय / Sir,

अनुरोध है कि ..... माह से मेरे सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की रकम वर्तमान रु. ..... प्रति माह से बढ़ाकर / घटाकर रु. ..... प्रतिमाह कर दिया जाए। तदनुसार मेरे वेतन से ..... माह से कटौती की जाए।

मेरा सा.भ.नि. खाता सं. ..... है।

I am to request you kindly to enhance / reduce my GPF contribution from Rs. ..... to Rs. .....p.m. from the month ..... Accordingly deduction may please be made from my salary from the month of.....

My GPF Acctount No. is .....

भवदीय / Yours faithfully,

मानक प्रारूप

सेवा में / To

.....

.....

.....

विषय :– आकस्मिक / प्रतिबंधित अवकाश हेतु आवेदन ।

Sub:- Request for Casual leave / Restricted leave – reg.

महोदय / Sir,

यह सूचित करना है कि शारीरिक अस्वस्थता / पत्नी की बीमारी / अत्यावश्यक निजी कार्य की वजह से मैं दिनांक ..... से ..... तक को कार्यालय नहीं आ सकूँगा ।

अत: अनुरोध है कि मुझे उपर्युक्त तारीख के लिए ..... दिन आकस्मिक / प्रतिबंधित अवकाश मंजूर करने की कृपा करें ।

It is to inform that due to physical indisposition / illness of wife / urgent personal work, I will not be able to attend the duty from …….. to ……..

I, therefore request you kindly to grant CL/RH for …… days on aforesaid dates.

भवदीय / Yours faithfully,

मानक प्रारूप

सेवा में / To

.....

.....

.....

विषय:– ..... से संबंधित..... से..... अवधि की

तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में |

Sub:- Quarterly progress report pertaining to ..... for the Quarter .....to.....- Reg

महोदय/Sir,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस पत्र के साथ इस केन्द्र/ एकक की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ..... से..... अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग 1/ एवं भाग 2) विहित प्रपत्र में विधिवत भरकर आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

With reference to the subject cited above, I am to enclose herewith duly filled in Quarterly progress report in respect of progressive use of Hindi for the period..... to..... in the prescribed Format (Part- 1 & Part- 2) pertaining to this Centre/unit which is submitted for information and necessary action at your end.

भवदीय/Yours Faithfully,

संलग्न/Encl– यथोपरि/As Above

अपनी मशाल जलाएं हम

कान्ता रानी
राजभाषा अधिकारी,
दक्षिण पश्चिम रेलवे, मैसूरू

विविध पुष्प के इस गुलशन में नारी सशक्तिकरण मनाएं हम
लिंग–भेद की दीवार तोड़कर, अपनी मशाल जलाएं हम
नफरत की बारूदी गंधों में
प्रेम–प्रीति पनपा दें हम
हम पर 'बुरी नज़र' पड़ने पर
'काली' बन दिखा दें हम
सारे जग का तिमिर मिटाकर, नई ज्योत्स्ना लाएं हम
बेड़ियों की दीवारें तोड़कर अपनी मशाल जलाएं हम
अब तो हवा चली बासंती
गूंजी कोयल की बोली है
चले मनाने नारी को
अब देव, धरा पर आए हैं
परिवर्तन का महामंत्र, अब हर जन को बताएं हम
बेड़ियों की दीवारें तोड़कर अपनी मशाल जलाएं हम
नीरस –तरुओं को 'अमृतरस'
आज पिलाने आएं हैं हम
है 'सुषुप्त' जो उनको भी
जागृत करने आएं हम

अवसान हुआ पतझड़ का, अब फागुनी बयार बिखेरने आए हम
बेड़ियों की दीवारें तोड़कर, अपनी मशाल जलाएं हम
हो धरा यह स्वर्ण–विहग
हो पूरित उत्साह उमंग से
दुश्चिंतन, दुष्प्रभाव दूर हो
'अंगद पांव' जमाने आएं हम
21वीं सदी में समता का, गीत मिलजुल कर गाएं हम
बेड़ियों की दीवारें तोड़कर अपनी मशाल जलाएं हम
बंसती योजना,नव साधना
नूतन बनाने की है चाह
जग की 'सरिता' में हम सब
अपना 'शालिग्राम' खुद बनने आए
नव बसंत की नई दृष्टि से, अब नूतन सृजन कराएं हम
बेड़ियों की दीवारें तोड़कर अपनी मशाल जलाएं हम
हमारे अधिकार हमें अब दे दो
'कोमलांगी' शब्द तुम्हारा,
तुम्हें लौटाने आएं हम
लिंग–भेद की दीवार तोड़कर,
अपनी मशाल जलाएं हम।

हिंदी का संघर्ष जारी है

डॉ. सत्येन्द्र कुमार अवस्थी
एलडीसीआईएल
भाभासं, मैसूरू

भाषा सम्प्रेषण का प्रमुख माध्यम है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है जिसका देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान करता है। भाषा ही व्यक्ति का उसकी संस्कृति के साथ प्रथम परिचय करवाती है और यह भाषा ही है जो प्रत्येक नागरिक को एक अस्मिता प्रदान करती है। वास्तव में भाषा और अस्मिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। एक ओर भाषा व्यक्ति को समाज से जोड़ती है तो दूसरी ओर उसे एक पहचान भी प्रदान करती है। किसी भी भाषा का अस्तित्व उस समुदाय के अपनी भाषा के प्रति मनोभाव पर निर्भर करता है।

सम्पूर्ण भारत में अनेकानेक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ दर्ज हैं और संवाद के लिए हिंदी व अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। लगभग 100 कि.मी. के उपरांत बोलियों के स्वरूप में भी अन्तर आ जाता है। भारत में लगभग 70 भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं और इसके अतिरिक्त रेडियो स्टेशन 100 से अधिक भाषाओं में अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

वर्तमान में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली व समझी जाती है। यह इसके लिए गौरव की बात है कि इसका प्रयोग भारत के लगभग सभी राज्यों में किया जाता है। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा हिंदी के संदर्भ में अनेकानेक कार्यक्रम सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आज हिंदी सम्पूर्ण विश्व में फैल चुकी है तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10-12 सितम्बर 2015 को भोपाल में हुआ। इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन समय-समय पर शिक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय करता है। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा की स्थापना की गई थी जिसकी भारत में कई शाखाएँ हैं तथा महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को वर्धा में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई थी।

उपरोक्त तथ्य हिंदी का एक पक्ष हैं। इस भाषा का यथार्थ कुछ और ही है। भारत में भाषाई विवादों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन यहाँ हम मई-जून 2014 में हिंदी को लेकर हुए सियासी विवाद पर दृष्टि डालते हैं जब गृह मंत्रालय ने हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसके अनुसार, सोशल मीडिया पर विभाग के सभी अकाउंटों पर हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है या फिर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग होना चाहिए। इस निर्देश के आते ही राजनीतिक वाक् युद्ध छिड़ गया। जिस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की टिप्पणी इस प्रकार थी कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है जो कई बार तमिलनाडु के लोगों के विरोध का कारण बना। इसी परिप्रेक्ष्य में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएँ हैं। अभी यह विवाद थमा नहीं था कि उड़ीसा विधानसभा में जब एक विधायक हिंदी में प्रश्न पूछना चाहता था तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसे बीच में रोककर कहा कि आप या तो उड़िया में या फिर अंग्रेज़ी में प्रश्न पूछें।

जून 2014 में ही घोषित सिविल सेवा परिणामों में अंग्रेजी का वर्चस्व दिखाई दिया। इस परीक्षा में प्रारम्भ के 25 अभ्यर्थियों में से 24 अंग्रेजी माध्यम से थे। इसे भारतीय भाषाओं के प्रतियोगियों के साथ अन्याय बताया गया है। कई विद्वानों ने ने उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व को ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अत्यन्त घातक माना है।

अगस्त 2015 में एक विद्यार्थी को संघ लोक सेवा आयोग के एक साक्षात्कार में बुलाया गया और वह पूरे उत्साह के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ । वह अर्श से फर्श पर तब आ गया जब उससे कहा गया कि 'आपका कार्य हिंदी में है तथा आपने जो भी कार्य किए होंगे वे हिंदी में होंगे, यहाँ तो कार्य अंग्रेजी में होगा, आपको हिंदी में कार्य करना है तो केंद्रीय हिंदी संस्थान या केंद्रीय हिंदी निदेशालय जाइए।.....।' इन बातों से वह स्तब्ध रह गया और उसका उत्साह शून्य हो गया। उसकी शक्ति और इसका सामर्थ्य सब गुम हो गए। वह यह सोचने लगा कि इन्हें क्या उत्तर दें, क्योंकि ये प्रश्न उसकी आशा, अभिलाषा तथा अभिरुचि से परे थे परन्तु उसने अपने–आपको संभालकर अन्य प्रश्नों के उत्तर दिए।

उपरोक्त घटनाएँ अंग्रेजीकरण की ओर संकेत करती हैं। यदि अंग्रेजी की बात करें तो यह विश्व के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के किसी भी देश की भाषा नहीं है। 43 यूरोपीय देशों में से 40 देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है।

यूरोप के कुछ देशों के नाम उनकी मातृभाषा सहित इस प्रकार हैं—

देश	भाषा
डेनमार्क	डेनिश
इटली	इटालियन
चेक गणराज्य	चेक
यूक्रेन	यूक्रेनियन
रूस	रूसी
बुल्गारिया	वल्गेरियन
फ्रांस	फ्रांसीसी
आयरलैंड	आयरिश

इनके अलावा सऊदी अरब, ईराक, कुवैत, सीरिया आदि की भाषा अरबी है। इंडोनेशिया की भाषा डच है। श्रीलंका की सिंहली व तमिल है।

सन् 1916 में गाँधी जी ने अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन, लखनऊ में कहा था कि, 'मेरी हिंदी टूटी–फूटी है परन्तु मैं इसी में बोलता हूँ। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से मुझे पाप लगता है।' यदि वर्तमान परिवेश के संदर्भ में कहें तो आज अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। वास्तव में नौकरशाही में कार्य करने वाले अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, अन्य भाषाओं को तो पास में फटकने भी नहीं देते। लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयों तक में अधिक कार्य अंग्रेजी में ही होते हैं तथा जहाँ आज हिंदी उपेक्षा की शिकार है। स्वतंत्रता के सात दशकों के उपरांत भी भारत की भाषा समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्या का क्या समाधान है? यदि कोई किसी से यह पूछे कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अभी तक इस राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। यह एक चिंतनीय विषय है।

यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक ओर तो हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है दूसरी ओर इसे कई तरह से बाधित किया जाता है। हिंदी के संदर्भ में समय–असमय विवाद उभर कर सामने आते रहते हैं। इस प्रकार के विवादों से हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हानि होती है। विद्यार्थियों की मेहनत, लगन, पैसा, समय, कैरियर तथा उनके सपने सब खत्म हो जाते हैं। और तो और, विद्यार्थियों में हीन भावना भी आ जाती है तथा वे निरुत्साहित हो जाते हैं। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय हैं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, तभी हम हर भाषा का विकास सुनिश्चित कर पाएंगे।

अनोखा द्वीप : अंडमान

अमेया एम. नायर
(पुत्री–श्रीमती लक्ष्मी उन्नीथन)

मैंने अपने परिवारवालों के साथ 13 मार्च 2023 को अंडमान घूमने का कार्यक्रम तय किया। मैसूरू से हमारी हवाई यात्रा शाम 3:30 बजे थी। हम शाम 5 बजे चेन्नई पहुँच कर वहां एक होटल में रुक गए । चेन्नई से हमने अंडमान के लिए सुबह 5:30 बजे उड़ान भरी और 7 बजे अंडमान पहुंच गए। हवाई अड्डे से हम बंदरगाह गये, बंदरगाह से हमने स्वराज द्वीप के लिए नाव ली जहां रिसॉर्ट में एक कमरा पहले ही बुक कर लिया था। रिसॉर्ट पहुंचने और कमरे की जांच करने के तुरंत बाद, मैं और मेरा भाई पूरे रिसॉर्ट को देखने गए। रिसॉर्ट समुद्र तट पर स्थित था। हम दोनों भाई खाली समय का आनंद लेने के लिए समुद्र तट पर लगाई गई कुर्सियों और झूलों को देखकर बहुत खुश हुए। साथ ही हमने जो रिसॉर्ट बुक किया था उसमें नहाने के लिए एक बड़ा पूल भी था। घूमने के बाद हम लंच के लिए गये। मुझे लगा कि अंडमान और केरल के खाने में काफी समानता है।

खाने और कुछ देर आराम करने के बाद हम एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक राधानगर बीच देखने गए। यह समुद्री तट अपने शांत वातावरण और रोमांचक गतिविधियों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। हमारी यात्रा के समय, बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक उसकी सुन्दरता का आनंद लेने आए थे। राधानगर बीच का नीला पानी और इसकी सफेद रेत ने मुझे एक विशेष अनुभव दिया जहाँ मैं अपने परिवार के साथ समय इत्मीनान से बिताती थी। राधानगर समुद्र तट देखने के बाद हम वापस आये और रात्रि भोजन के बाद आराम किया।

अंडमान न केवल मनोरम , शांत और सुंदर वातावरण से परिपूर्ण है बल्कि बिभिन्न गतिविधियों का अद्भुत नजारा पेश करता है। यहाँ घूमने आये लोगों को करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। यह स्कूबा डाइविंग के लिए एक शानदार स्थान है। अगले दिन सुबह 6 बजे हम स्कूबा डाइविंग के लिए गए। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ । अंडमान यात्रा का मेरा पसंदीदा हिस्सा स्कूबा डाइविंग ही है। उसके बाद हम कमरे में वापस आये, नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम किया। हम अंतहीन समुद्र तट से आकर्षित थे, इसलिए थोड़े आराम के बाद हम फिर से समुद्र तट पर गए।

अगले दिन शाम को खाने के बाद हम कयाकिंग के लिए गये। कयाकिंग करते समय एक नाव में दो लोग बैठ सकते हैं। मैं और मेरे पिता एक नाव में और माँ और मेरा भाई दूसरी नाव में कयाकिंग करने गए। मेरे लिए कयाकिंग करना एक महान साहसिक कार्य था और इससे मुझे बहुत सी नई चीज़ों से परिचित होने का मौका भी मिला। मुझे यह रोमांचकारी और आरामदायक भी लगता था।

अगले सुबह हम नाश्ते के पहले काला पत्थर बीच पर सूर्योदय देखने के लिए गये। अंडमान में सूर्योदय एक ऐसा नजारा है जो हर किसी के मन और आंखों को प्रिय लगता है। सूर्योदय के बाद आसमान को लाल होते देखना एक बेहद दिलचस्प नजारा है। उस समुद्र तट पर जल आधारित अनेक खेल होते हैं। हमने जेट सकिंग, बनाना राईड, डॉल्फिन राईड आदि कुछ खेल खेले। उसके बाद हम वापस कमरे में आये और खाना खाया। इसके बाद हम सूर्यास्त देखने के लिए गए। इसके बाद हम कमरे में पहुंचे और खाना खाकर सो गए।

बाद में हमारा लक्ष्य ऐतिहासिक सेलुलर जेल का दौरा करना था। सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल का उपयोग ब्रिटिशों द्वारा राजनीतिक कैदियों को सुदूर द्वीपसमूह में निर्वासित करने के लिए किया जाता था। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान बटुकेश्वर दत्त, योगेन्द्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई उल्लेखनीय वीरों को यहां कैद किया गया था। आज, यह परिसर एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में है।

फिर हम लाईमस्टोन–केव देखने गए। यह अद्भुत गुफा कुछ मिलियन वर्ष पुरानी हैं। इसके अंदर गुफाओं के फर्श से उभरी हुई शंक्राकार चट्टान जैसी संरचना मिलेगी। यह देखना दिलचस्प है कि गुफा के अंदर इन चट्टानों को कितनी खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया है, यह लहरों के रूप में प्रवाहित एक कलाकृति की तरह दिखती है। मैं गुफा के अंदर की संरचनाओं को देखकर आश्चर्यचकित थी। यह लगभग अविश्वसनीय है कि प्रकृति इतनी आनंददायक चीज़ के सृजन में कैसे सक्षम है।

फिर हम लाईमस्टोन–केव देखने के चले गए। ये अद्भुत गुफा कुछ मिलियन वर्ष पुरानी हैं। इसके अंदर गुफाओं के फर्श से उभरी हुई शंक्राकार चट्टान जैसी संरचना मिलेगी। यह देखना दिलचस्प है कि गुफा के अंदर इन चट्टानों को कितनी खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया है, यह लहरों के रूप में प्रवाहित एक कलाकृति की तरह दिखता है। मैं गुफा के अंदर की संरचनाओं को देखकर आश्चर्यचकित थी। यह लगभग अविश्वसनीय है कि प्रकृति इतनी आनंददायक चीज़ के सृजन में कैसे सक्षम है।

इसके बाद हम घर आने की तैयारी करने के लिए वापस कमरे में आ गए। वहां से चेकआउट करने के बाद हम 5 बजे की फ़्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंचे और वहाँ से शाम 6 बजे तक जब हम मैसूरू में अपने घर पहुँचे तो एक बहुत ही सुखद यात्रा की यद्यपि समाप्ति हो चुकी थी, पर अभी भी वे दृश्य मेरे मानस पटल पर सजीव थे।

कार्यालयी आलेखन और टिप्पणी लेखन

डॉ. पंकज द्विवेदी
सचिव
नराकास, मैसूरू

आलेखन (Drafting) पत्राचार का एक अंग है। आलेखन को प्रारूपण भी कहते हैं। आलेखन के भिन्न–भिन्न रूप हैं। कार्यालयों में काम करने वालों को आलेखन में निपुण होना चाहिए। यह निपुणता दो बातों पर निर्भर है:–

- भाषा का अच्छा ज्ञान।
- आलेखन के विभिन्न रूपों और उसके विशिष्ट नियमों की जानकारी।

भाषा के अच्छे ज्ञान से तात्पर्य है—शुद्ध, स्पष्ट, सुगठित और शिष्ट भाषा के प्रयोग की क्षमता। अर्थात् अशुद्धि, अस्पष्टता, विघटन और अशिष्टता आदि दोषों से युक्त भाषा का प्रयोग।

अस्पष्टता का उदाहरण—

"मनुष्य के समान चूहे भी अपनी रक्षा के लिए बिल बनाते हैं––!"

अर्थ – चूहे तो बिल बनाते ही हैं, मनुष्य भी बिल बनाते हैं।

स्पष्ट भाषा प्रयोग का उदाहरण—

"जैसे मनुष्य अपनी रक्षा के लिए घर बनाते हैं वैसे ही चूहे अपनी रक्षा के लिए बिल बनाते हैं।"

द्विरुक्ति (Repetition) रचना, खासकर गद्य का प्रधान दोष है और हर लिपिक को इससे बचना चाहिए।

उदा. – सिवाय सरदार पटेल को छोडकर कोई भी इस देश को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकता था।

मेरे पिताजी अभी तक वापिस नहीं लौटे हैं।

मेरे कहने के बावजूद भी वह नहीं गया।

मेरे भाई ने बड़ी वाली कलम स्वयं ले ली और छोटी वाली कलम मुझे दी।

टिप्पण और आलेखन में आवश्यक है कि विभक्तियों का ठीक प्रयोग हो–अर्थात अभिव्यक्ति पर अंग्रेजी को दुष्प्रभाव से बचा जाय।

उदा. Mr. Nagaraj serving for the last 25 years has decided to fight for the presidentship of the association.

गलत अनुवाद/विभक्तियों का गलत प्रयोग

श्री नागराज ने जो 25 वर्षों से सेवा में हैं, संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का निश्चय किया है।

सही रूप—

"विगत 25 वर्षों से सेवारत श्री नागराज ने संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का निश्चय किया है।"

विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी सही आलेखन की एक प्रमुख विशेषता है।

अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में ये विराम–चिन्ह आए—

. , ; – – ? " " ' ' ( ) [ ] !

इनका उचित प्रयोग होना चाहिए वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।

प्रसिद्ध उदाहरण : रोको, मत जाने दो।

रोको मत, जाने दो।

आलेखन के प्रकार

आलेखन के मुख्यतः दो प्रकार हैं—

(1) प्रारंभिक आलेखन (Primary Drafting)

(2) उच्चतर आलेखन (Advanced Drafting)

प्रारंभिक आलेखन – वैयक्तिक और सामाजिक पत्र। जैसे— पारिवारिक पत्र आवेदन पत्र पदाधिकारियों से पत्र-व्यवहार व्यावसायिक पत्र संपादक के नाम पत्र, आमंत्रण-पत्र आदि। इस प्रकार के पत्रों में निजता/वैयक्तिकता (Subjectivity) अधिक होती है।

उच्चतर आलेखन – इसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रचारों का समावेश होता है। इनमें objectivity (वस्तुनिष्ठता) अधिक होती है। इसके अंतर्गत पत्र, परिपत्र, सूचना, निविदा, समझौते का मसविदा आदि आते हैं। यह एक मिथ्या धारणा है कि आलेखन की जानकारी सिर्फ लिपिकों या सहायक संवर्ग के कर्मियों को ही होनी चाहिए। पदाधिकारियों को भी आलेखन का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

आलेख (Draft) तैयार करते समय निम्न तत्वों का विशेष समावेश होना चाहिए—

(1) विषय (subject) – आलेख का विषय स्पष्ट हो। ताकि वह आसानी से समझ में आ जाय। इसके लिए पारदर्शी भाषा (Transparent Language) का प्रयोग होना चाहिए।

(2) निर्देश/संदर्भ (Reference) में विषय की पृष्ठभूमि का निर्देश होना चाहिए। जैसे पिछले पत्र की संख्या, दूरभाष/सम्मुख वार्ता का निर्देश आदि।

(3) मूलपाठ की संरचना – प्रारूप का मूल पाठ (Main Text) तीन भागों में विभाजित होना चाहिए—

I. विषय का स्पष्ट व सप्रसंग कथन।

II. विषय का युक्तिपूर्ण (Logical) समर्थन।

III. तर्कपूर्ण निष्कर्ष (Logical Conclusion) निकालते हुए अपनी सिफारिश या संस्तुति (Recommendation) देना।

संस्तुति (Recommendation) के बारे में यह भ्रम है कि यह सदा सकारात्मक (Positive) ही होती है। लेकिन यह नकारात्मक (Negative) भी हो सकती है। हालाकि यथासंभव Negative संस्तुति से अधीनस्थों को बचना चाहिए। अथवा नकारात्मक को भी सकारात्मक बना कर प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे—"ऐसी स्थिति में कार्यादेश (work order) निर्गत करना उचित नहीं होगा/अनुचित होगा।"

"मांगों को स्वीकृत नहीं किया जाय/अस्वीकृत किया जाय।"

(4) अनुच्छेदों की क्रम संख्या दें, जिसे आमतौर पर 2 से शुरू करते हैं। पहले पाराग्राफ के सामने 1 नहीं लिखते। यदि ज़रूरी हो तो उपशीर्षक भी दे सकते हैं।

(5) भाषा – आलेखन की भाषा साहित्यिक भाषा Poetic Language से अलग होती है। यह तथ्यपरक होती है , भावपरक नहीं।

यह सरल, स्पष्ट और शिष्ट हो तथा इसमें गँवारू शब्दों का प्रयोग न हो। शिष्ट भाषा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है– गँवारू शब्दों के उदाहरण – पियक्कड़–मद्यप/शराबी, हँसोड़–हास्यप्रिय, बुझक्कड़–बुद्धिमान, बनियाँ–वणिक, जुलाहा–तंतुवाय/बुनकर, नटुआ, नचनिया–नर्तक, गवैया–गायक। वाक्य छोटे–छोटे हों और उनसे एक ही निश्चित अर्थ निकले।

(6) उद्धरण – किसी नियम/आदेश का हवाला देना हो तो उसके मूल शब्दों को ही उद्धत करना चाहिए—भाव या आशय को नहीं।

(7) प्रतिलिपियाँ – एक से अधिक लोगों को भेजनी हो तो उसका उल्लेख हो।

(8) संलग्नक – संलग्नकों का उल्लेख नीचे हो।

पत्र का प्रारूप

1. संख्या/पत्रांक/दिनांक/स्थान
2. प्रेषक के कार्यालय का नाम
3. प्रेषक का नाम व पदनाम
4. प्रेषिति का नाम, पदनाम, पता
5. संबोधन
6. विषय/संदर्भ
7. मूलपाठ
8. स्वनिर्देश और हस्ताक्षर
9. संलग्नक
10. प्रतिलिपि

टिप्पण/टिप्पणी लेखन (Noting)

परिभाषा

- किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन के निष्पादन (Disposal) को सरल बनाने के लिए जो सम्मति लिखी जाती है उसे टिप्पण कहते हैं।
- टिप्पण लेखन का कार्य लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया—
- टिप्पण में 3 बातों का समावेश होता है—
  - I. उस पत्र से पूर्व के पत्रादि का सारांश।
  - II. विचाराधीन प्रश्न या मुद्दे का विवरण या विश्लेषण।
  - III. इस संबंध में कार्रवाई का सुझाव

विवरण या विश्लेषण से तात्पर्य है—उस मुद्दे का इतिहास, उससे संबंधित नियम, संबद्ध सरकारी नीति आदि।

उदा. अनुकंपा पर नियुक्ति का नियम है परन्तु सरकारों की हमेशा यह नीति रहती है कि इस संबंध में अधिकतम् सतर्कता (शिथिलता) बरती जाय।

टिप्पण की विशेषताएँ—

1. यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए।
2. टिप्पण मूलपत्र (original letter) पर नहीं लिखना चाहिए।

   इसके लिए किसी अन्य कागज़ या बफ़शीट का प्रयोग करना चाहिए और उसे मूल पत्र में पिनअप (नत्थी) करना चाहिए।

3. किसी बात का खंडन यदि आवश्यक हो तो यह अत्यंत शिष्ट भाषा में होना चाहिए। तथा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप या आरोप से सदा बचना चाहिए।

   उदा. आवेदक/प्रार्थी झूठ बोल रहा है/का कथन असत्य है। [x]

   प्रार्थी का कथन यथार्थ से परे है/तथ्यों से रहित है। [✓]

4. टिप्पण लिखने के बाद लिपिक बाईं ओर अपना हस्ताक्षर/प्रथमाक्षर करे और दाईं ओर स्थान पदाधिकारी के लिए छोड़ें।

5. टिप्पण सदा स्याही से लिखा हुआ या टंकित होना चाहिए।

6. टिप्पण में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चलन से बाहर के कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। उदा. – आरोप्य, आरोपित, आरोपी। इनके स्थान पर वादी, प्रतिवादी आदि का प्रयोग उचित है।

   उदा. – प्रारूप अनुमोदनार्थ उपस्थापित है।

   प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

   सभी प्रपत्र अनुमेलित कर दिये गये हैं।

   सभी प्रपत्र मिला दिये गये हैं।

नोट:– पत्र–प्रारूपण और टिप्पण के अलावा अन्य प्रकार की सरकारी सामग्री इस प्रकार है – ज्ञापन (Memorandum) अर्द्धसरकारी पत्र (Demi-official letter) कार्यालय आदेश (office order), परिपत्र (circular), अनुस्मारक/स्मार–पत्र (Reminder) अधिसूचना (Notification), प्रेस विज्ञप्ति (Press communiqué/Release/Note; विभिन्न आवेदन जैसे—छुट्टी के लिए आवेदन, वेतन के लिए आवेदन, वरीयता के लिए आवेदन आदि।

अन्य सरकारी आलेखनों का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए—

ज्ञापन (Memorandum/Memo)

ज्ञापन वह सरकारी पत्र–व्यवहार है जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच सम्पन्न होता है।

ज्ञापनों का प्रयोग निम्न प्रयोजनों से होता है—

1. प्रार्थना–पत्रों, नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के उत्तर में।
2. पत्रों की प्राप्ति की स्वीकृति देने हेतु।
3. अधीनस्थ कार्यालयों को ऐसी सूचना देने के लिए जिन्हें सरकारी आदेश नहीं कहा जा सकता है।
4. ज्ञापन हमेशा अन्य–पुरुष शैली में होता है।

   उत्तमपुरुष/प्रथम पुरुष–मैं; मध्यमपुरुष–तुम, तू। बाकी सब अन्य पुरुष (वह, उसने, उसे, वे, उनका, उनको आदि)।

ज्ञापन की संरचना

- ★ ऊपर विषय–निर्देश
- ★ ना कोई संबोधन ना कोई वि–निर्देश
- ★ मूल पाठ
- ★ नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर और पदनाम
- ★ नीचे बाईं तरफ प्रेषिति (जिनको भेजा जाता है) का पदनाम और कार्यालय का नाम

अर्द्धसरकारी पत्र (Demi-official DO)

- ★ इसका प्रयोग विभिन्न अधिकारियों के मध्य पत्राचार के लिए होता है।
- ★ ये पत्र पदाधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं।
- ★ इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय/बिन्दु पर उस अधिकारी की व्यक्तिगत राय/निजी सम्मति प्राप्त करना होता है।
- ★ या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करना होता है जो विषय उस पदाधिकारी के संज्ञान में है।
- ★ किसी मामले की ओर किसी पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार के अर्द्ध–सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है।
- ★ अर्द्धसरकारी पत्र उत्तम पुरुष/प्रथम पुरुष (मैं शैली) में लिखा जाता है।
  - ☐ [ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है]
- ★ यह मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है जिसमें 'प्रिय' संबोधन का प्रयोग होता है।
- ★ अंत में स्व–निर्देश के लिए "आपका विश्वासभाजन" (Your's faithfully) के बदले आपका सद्भावी (Your's Sincerely) लिखा जाता है।
- ★ प्रेषक अधिकारी केवल अपना हस्ताक्षर करता है, पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता।
- ★ इसकी प्रतिलिपि किसी और को प्रेषित नहीं की जाती है।

कार्यालय आदेश (Office Order)

- ★ कार्यालय–आदेश किसी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय–समय पर जारी औपचारिक निर्देशों की सूचना है।
- ★ इसका संबंध उस मंत्रालय/कार्यालय के किसी एक या अनेक कर्मचारियों से होता है।
- ★ इसके अंतर्गत नियुक्ति, अवकाशों की स्वीकृति, पदशुद्धि आदि विषय आते हैं।
- ★ कार्यालय द्वारा बनाए गये सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है।
- ★ इसकी रचना उत्तम पुरुष/प्रथम पुरुष (मैं) शैली में की जाती है।
- ★ नीचे दाहिनी ओर पदाधिकारी का पदनाम और हस्ताक्षर होता है।
- ★ स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता जैसे—विश्वास भाजन, भवदीय, सद्भावी आदि।
- ★ नीचे बाई तरफ उन कर्मियों का नामोल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश निकाला गया है।
- ★ यह आमतौर पर एक पंक्ति का होता है।

परिपत्र (Circular)

कोई भी सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञापन जब एक साथ एकाधिक प्रेषितियों को भेजा जाये तो उसे 'परिपत्र' कहते हैं। जैसे—

- केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को भेजा गया।
- केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों को।
- मंत्रालय के सभी विभागों को, अनुभागों, अधिकारियों और अधीनस्थ कार्यालयों को
- यह भी उत्तम/प्रथम पुरुष (मैं शैली) में लिखा जाता है।
- इसकी संरचना पत्र, आदेश या ज्ञापन जैसी ही होती है। ऊपर 'परिपत्र' लिखा रहता है।

अनुस्मारक (Reminder)

- इसे स्मार पत्र भी कहा जाता है।
- अनुस्मारक जिस पत्र के लिए भेजा जाना है उसी के विषय और प्रारूप को दुहरा दिया जाता है।
- जैसे—सरकारी पत्र के अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र जैसा और अर्द्धसरकारी पत्र के अनुस्मारक का प्रारूप अर्द्ध–सरकारी पत्र जैसा ही होगा।

अधिसूचना (Notification)

अधिसूचना का प्रयोग सरकारी नियमों, आदेशों, अधिकारों और नियुक्तियों आदि को गजट में प्रकाशित करने के लिए होता है।

प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique/Release/Note)

उद्देश्य :– किसी भी निर्णय का विस्तृत रूप से प्रचार–प्रसार करना।

प्रेस Communique और प्रेस नोट में अंतर।

- कम्यूनिक्यू को ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जाता है।
- प्रेस नोट को संपादक संपादित कर सकता है।
- दोनों का उद्देश्य जनता को किसी सरकारी निर्णय से अवगत कराना ही है।
- कम्यूनिक्यू का स्वरूप औपचारिक होता है।
- प्रेस विज्ञप्ति का स्वरूप अनौपचारिक होता है।
- प्रेस विज्ञप्ति में निष्कर्ष पहले दिया जाता है। जिसे Intro (इन्ट्रो) कहते हैं।
- सामान्य लेखन में निष्कर्ष बाद में दिया जाता है।
- Drafting या प्रारूपण असल में Composition रचना का अंग है। (Grammar and Composition)
- इसके Steps या चरण—
    - किसी बात पर विचारपूर्वक (भावपूर्वक नहीं) मनन कर उसे हृदय में क्रमबद्ध करना—
      (careful deliberation on an issue and it's arrangement in mind)
    - उन विचारों को स्पष्टतापूर्वक, क्रमबद्ध ढंग से शुद्ध भाषा में अतिसंक्षेप में लिखना।

    इसके लिए शब्दभंडार (Vocabulary) और वाक्य संरचना (Sentence structure) का ज्ञान होना चाहिए और स्पष्टता इसकी एक प्रधान विशेषता होनी चाहिए।

मातृभाषा में स्कूली शिक्षा: एनईपी–2020 के विशेष संदर्भ में

डॉ. अमित कुमार झा
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत
भारतीय भाषा संस्थान,मैसूरू

किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के विकास में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन कष्टमय होता है। इस विषय पर संस्कृत में एक श्लोक है –

"विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् |
पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् ||

अर्थात् विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है, विनय से मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से वह धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त होता है उस धर्म से सुख की प्राप्ती होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी सुखों के केंद्र में विद्या ही है। शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान या गणना ज्ञान से नहीं है अपितु शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है।

विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रो. बेंजमिन एस. ब्लूम, शिक्षा के उद्देश्यों की वर्गिकी (टीईओ) के जन्मदाता हैं। उनका मानना है कि किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व के तीन पक्ष होते हैं– संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं मनोदैहिक पक्ष। इनके अनुसार शिक्षा का चरम उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व के इन तीनों पक्षों का संतुलित विकास करना है।

आधुनिक समय में प्रत्येक समाज में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। समय के साथ प्रत्येक समाज या देश की जरूरतों में परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है एवं आगे यह विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहता है। इसलिए भारत में ऐसी चिर प्रतीक्षित शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के बाद शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित ऐसे कौशलयुक्त युवाओं का सृजन हो सके जिनमें गौरवशाली भारतीय संस्कृति की जीवंतता, भारतीय भाषाओं में प्रवीणता तथा भारतीय दृष्टि के अनुरूप ज्ञान–विज्ञान में दक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई शिक्षा नीतियाँ बनाई गईं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूर किया। इस नीति को बनाने वाली समिति की अध्यक्षता कृष्णा स्वामी कस्तुरीरंगण ने की। इससे पहले भारत में 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इस शिक्षा नीति के 34 साल बाद 2020 की नई शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।

इस शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति की बहुत–सी बातों में बदलाव किया गया। पूरी शिक्षा नीति को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया – स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा।

नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है एवं कम–से–कम पाँचवी कक्षा तक विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है।

कोई भी व्यक्ति किसी अन्य भाषा में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही मौलिक चिंतन करता है। जो ज्ञान अपनी मातृभाषा में प्राप्त किया जाता है वह संपूर्णता के साथ छात्र के मस्तिष्क द्वारा शत–प्रतिशत स्वीकार्य होता है तथा इस प्रकार के ज्ञान की छाप अमिट होती है। अपनी भाषा ही सारी उन्नतियों का मूलाधार है जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था–

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
निज भाषा उन्नति बिना मिटै न हिय को शूल।।

किसी और भाषा में प्राप्त किया गया ज्ञान उधार का ज्ञान होता है। जैसा कि कहा जाता है कि उधार का

जीवन कभी सफल नहीं होता है उसी प्रकार किसी और भाषा में लिए गए ज्ञान से हमे तात्कालिक लाभ तो हो सकता है लेकिन वह ज्ञान लंबे समय तक हमारा साथ नहीं दे सकता।

यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली कोई घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, कम-से-कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं / मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा शिक्षा का माध्यम बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा / मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। किसी भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं है की वह भाषा शिक्षा का माध्यम हो ।

अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा को सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाएगा। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मातृभाषा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह संकल्प भी व्यक्त किया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र को लागू किया जाना पूर्व की तरह जारी रहेगा। हालांकि तीन-भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों, और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विज्ञान और गणित की उच्चतर गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा/मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सकें। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा संस्कृत एवं अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के शिक्षण पर भी विशेष बल दिया गया है।

बहुभाषिक होना एक अच्छी बात है लेकिन किसी और भाषा को सीखने के क्रम में अपनी मातृभाषा को भुला देना कदापि उचित नहीं है। दुनिया के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इससे बड़ा लाभ होता है। भारत की भाषाएँ दुनिया में सबसे समृद्ध, वैज्ञानिक, सुंदर और अभिव्यंजक हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और पद्य दोनों) का विशाल भंडार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षण-

अधिगम को सरल एवं रोचक बनाए जाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों जैसे, फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत आदि के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और मोबाइल ऐप्स के द्वारा भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़ते हुए, और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए भाषाओं को सिखाया जाएगा। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक शिक्षण–अधिगम शास्त्र पर आधारित होगा।

इनके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का भी प्रावधान है कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों के अलावा, विदेशी भाषाएं, जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कारवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व–संस्कृतियों के बारे में जानें, और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को बढ़ा सकें और दुनिया भर में सहजता से घूम–फिर सकें।

भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और इसकी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जो मुक–बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहाँ संभव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा।

स्कूली स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से बच्चों के पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर भी घटेगी।

प्रत्येक घटना या नीति के दो पक्ष होते हैं। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान कर पाना नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है। क्योंकि इसके लिए उन भाषाओं में बच्चों की पाठ्य सामाग्रियों एवं दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होगी जिसकी अभी कमी है। सरकार को इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आज के समय में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। पलायन के कारण शिक्षा भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। भाषा भाषी जब पलायन करके अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उस प्रदेश में उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दे पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। मातृभाषा में शिक्षा की एक अन्य चुनौती सामान्य जनमानस में अपनी मातृभाषा को लेकर बैठी हीन भावना भी है। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा न देकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाना गर्व की बात समझते हैं। जब तक मातृभाषा पर गर्व नहीं करेंगे एवं मातृभाषा में शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेगे तब तक इस नीति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है।

इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2040 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का है। इसके लिए सरकार, शिक्षकों एवं सामान्य नागरिकों को मिलकर एक साथ प्रयास करना होगा जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संदर्भ–सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020 access on 24.09.2021 08:00AM
3. https://hindi.swarajyamag.com/national-education-policy-mother-tongue/amp/ access on 22.09.2021 09:30PM
4. https://www.bhagwatkathanak.in/2020/09/vidya-dadati-vinayam-shlok-sanskrit.html access on 15.09.2021 07:30PM

हम हिंदी में इतना अवश्य कर सकते हैं

भारत संचार निगम लिमिटेड
मैसूरू

- हिंदी में हस्ताक्षर करें।
- हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दें।
- हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें।
- हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिंदी में पते लिखें।
- परिपत्र, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र और सूचना आदि को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें।
- मुलाकाती कार्ड, रबर की मोहर, नाम–पट्ट, पत्र शीर्ष आदि दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में बनवाएं और उसका प्रयोग करें ।
- विभाग के सभी कम्प्यूटरों पर बहुभाषी सॉफ्टवेयर यूनिकोड लोड करें।
- फाइल कवर, लेखन सामग्री (stationary) आदि द्विभाषी में हो।
- हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें।
- बधाई–पत्र लिखने और उपस्थिति पंजी तथा फार्म इत्यादि भरने का काम हिंदी में करें।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें।
- हिंदी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएं।
- हिंदी कार्ड की सहायता से छोटी–छोटी टिप्पणियाँ लिखने का प्रयास करें।
- फाइलों के ऊपर विषय हिंदी–अंग्रेजी में लिखें ।
- उच्चतर अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी फाइलों में हिंदी में टिप्पणी लिखें और अपने अधीनस्थ स्टाफ को हिंदी में टिप्पणी/मानक पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अन्य अनुदेशों के साथ राजभाषा अनुदेशों का भी सख्ती से पालन किया जाए।
- हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजें।
- हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए गए आँकड़े तथ्यपूर्ण हों।
- अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें।

संगीत–कणिकाएँ

सौरभ दास
कार्यपालक अभियंता
कें.लो.नि.वि., मैसूरू

जब मर जाऊँ तो दफना देना दूर कहीं वीराने में
शानदार जिंदगी की ख्वाहिश थी मुझे
मौत कैसी भी आए कोई परवाह नहीं

यादों में बने रहना है तो दिल तोड़िए
मुहब्बत करने वालों को लोग भूल जाते हैं

बस जिद से जी रहा हूँ अभी अपने अन्दाज में
अगर कभी अमीर होने का शौक पाला
तब सोचूंगा जमीर का क्या करना है

एक कलम ही सुनती है दिल की आवाज
दर्जी तभी इसका घर दिल के पास बनाता है

रोज़– रोज़ बोली मत लगा मेरी खरीद की
मोहब्बत हुई तो मुफ्त में बिक जाऊँगा

आँधियों में चिराग जलाकर दिखाए हैं
आने दो बरसात को उसे भी देख लेंगे

बेहालों की बस्ती में हाले दिल न पूछो
मार डालेंगे ये अगर हँस के कुछ बोल दिया

जीत तुम्हें बहुत मुबारक
मुझे मेरी हार ही सही
जीत तुम्हें कल छोड़ देगी
हार जीतने तक मेरे साथ ही रहेगी

गुजारिश है कि ख्वाबों में इत्तिला करके आना
आजकल में गहरी नींद सो रहा हूँ
लोग पत्थर लिए खड़े हैं फर्क नहीं पड़ता
मैं मशरुफ़ हूँ शीशे का घर बनाने में

थोड़ी शिकायतें तो हैं तुझसे जिंदगी
पर तुझे जी के ही मानेंगे ऐ जिंदगी

गैरों की महफ़िल में खामोश ही रहता हूँ
मैं बोलूँगा तो महफ़िल उनकी नहीं रहेगी

अच्छा हुआ जो मैं अंधा हो गया
यहाँ नज़र वाले भी चश्मा लगाते हैं
रात भर अंधेरे में रहते हैं
दिन में काजल लगाते हैं

बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ मैं
सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ
लोग क्या सोचेंगे
लोगों को सोचने देता हूँ

बदलते–बदलते पूरा बदल चुका हूँ मैं
हाँ एक गुंजाइश फिर भी बाकी है
सच से सामना हुआ तो झूठ नहीं बोलूँगा

सच क्या है ये शायर से न पूछो
उसकी शायरी दिन भर बोलती है

मेरे कत्ल की साजिश तुमसे न हो पाएगी
जब दिल करे आइने में खुद को देख लेना

चिंता की चिता को हर रोज जलाता हूँ
ख़यालों की हवा है, पूरा जलने कहाँ देती है

जब कहने को कुछ न हो तो
बताने को बहुत कुछ होता है
घर से निकलना सिर्फ दौलत कमाने
बाहर इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा
सिर्फ झूठो की एक मंडी है बाजार में
भूखे ही रहना सच कभी नहीं मिलेगा

बड़ी बेरहम है दुनिया
इसे मत बख्शो

आँख से काजल चुरा लेगी
अगर नज़र मिलाना छोड़ दिया

बस मुहब्बत ने मार डाला हमें
नफ़रतों के साथ तो जी रहे थे

मौत गुमनाम होती है तो हो
ज़िंदगी मशहूर ही चाहिए

बरसात की बूँदों से एक चीज़ तो सीखी है
खुशियाँ हमेशा छोटी ही आएँगी
हँसना है तो देर तक भीगना होगा

बदला तो ले लिया
माफ भी करके देखो
ज़्यादा आसान लगेगा

दिल की बातें छुपायी जाती है
बोलकर गलती मत कर देना
मुझे मत डराओ
गमों की गर्मियों में
बरसों मेहनत की है
खुशी की बर्फ़ जमाने में
मौत का खौफ तो है मुझे
बस एक ही तलब है
मौत आने तक
जी भर के जियूँगा
अपनो को भी मौका दो नाराज़ होने का
गैरों से रोज़–रोज़ लड़ना अच्छा नहीं लगता

पहले हरकतें इरादे शरारतों से होती थी दोस्ती
अब रईसी ओहदा और नाम से होती थी

चारों ओर बस इसी बात का जिक्र है
लोगों को जिस बात का खौफ था
मैंने उसका मज़ाक बना दिया

जिन ज़ख्मों को कुरेदकर तुम खुश होते हो
तुम्हें नहीं पता
वो सालों से रोज़ हमें दर्द की राहत देते हैं
मोहब्बत से लूट लो मुझे
सर झुकाना नहीं आता
रोज–रोज बिकता हूँ मैं
तुम्हें भाव लगाना नहीं आता

भरे बाजार करना मेरी इज़्ज़त की नीलामी
बंद कमरे में तुम्हें कीमत अच्छी नहीं मिलेगी
हर बार जीत कर
बहुत कुछ हासिल किया
एक बार हार कर देखो
बचा हुआ भी आ जाएगा
बातों को शक्लों को यादों को
भूलने की एक बीमारी है मुझे
शायद इसलिए कभी
बीमार नहीं पड़ा
मैं उसे कतई पसंद नहीं
बस यही बात
मुझे बेइंतहा पसंद है
कल की फिक्र तुम करो
मैं आज हाथ धोकर बैठा हूँ
अपने राजों को दिल से बचाकर रख
ये आवारा रोज यहाँ वहाँ घूमता है

भारतीय भाषाओं में रचनात्मक संवाद और सांस्कृतिक विविधता

दीपा मिश्रा,
उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'

0. भूमिका

भारत को अक्सर एक देश कहने के बजाय एक उपमहाद्वीप के रूप में वर्णित किया जाता है, और इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी हैं। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसी भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलता और बौद्धिक समृद्धि है। परन्तु भारत में हजारों वर्षों से ऐसी विविधता बरकरार है। अपने विशाल भूभाग में, जहाँ 1.3 अरब से ज्यादा लोग सैकड़ों भाषाओं और बोलियों में संवाद करते हैं और अनेक तरह की सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं, जहाँ अनेक धर्मों का भी पालन होता है, वहाँ कैसे इतनी विविधता में भी अखंडता संभव है – यही विदेशियों के लिए आश्चर्यजनक है। अक्सर देखा जाता है कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के समृद्ध मिश्रण में सभी प्रान्त के लोग भाग लेते हैं। फिर भी, भारत केवल अलग–अलग पहचानों का समूह मात्र नहीं है ; यह निरंतर रचनात्मक आदान–प्रदान के माध्यम से एकजुट एक सभ्यतागत स्थान है – एक ऐसी पारिस्थितिकी जहाँ भाषाएँ एक–दूसरे को प्रभावित करती हैं, जहाँ साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होता है, और जहाँ कलात्मक और सांस्कृतिक प्रथाएँ सीमाओं को पार करके एक साझा, बहुस्तरीय विरासत का निर्माण करती हैं। अगर हम आचार्य शिशिर कुमार दास सम्पादित दो खण्डों में साहित्य अकादेमी से प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन लिटरेचर' की और देखें – इसमें कोइ आश्चर्य नहीं है की 1801 में बांग्ला में 'राजा प्रतापादित्य चरित' पुस्तक आने के एक वर्ष के भीतर ही मराठी में उसका अनुवाद छप जाता है। बहुत सारे तेलुगु भाषी पाठकों को पता ही नहीं है कि बंकिमचंद्र अथवा शरतचंद्र ने तेलुगु में नहीं, बांग्ला में मूल उपन्यास लिखा था। यह निबंध इस बात की पड़ताल करता है कि साहित्य, अनुवाद, मौखिक परंपराओं, प्रदर्शन कला और आधुनिक माध्यमों के माध्यम से भारतीय भाषाओं के बीच रचनात्मक संचार और अंतरभाषी आदान–प्रदान ने कैसे भारत की सांस्कृतिक विविधता को आकार दिया है और उसे कायम रखा है। यह तर्क देता है कि भाषाई अंतःक्रिया न केवल आपसी समझ को सुगम बनाती है, बल्कि नवाचार, सह–अस्तित्व और सामूहिक पहचान को प्रेरित करने वाला एक शक्तिशाली सांस्कृतिक इंजन भी है।

1. भारत का भाषाई परिदृश्य : सभ्यतागत मानदंड के रूप में विविधता

भारत की भाषाई विविधता अद्वितीय है। संविधान 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है, जबकि वर्गीकरण के आधार पर कुल भाषाओं और बोलियों की संख्या 400 से 1,600 से अधिक तक होने का अनुमान है। ये भाषाएँ चार प्रमुख परिवारों से संबंधित हैं:

इंडो–आर्यन (जैसे, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती), जिसे अक्सर भारोपीय परिवार का अंग माना गया है

द्रविड़ (जैसे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा सोलह अन्य छोटी छोटी भाषाएँ)

ऑस्ट्रोएशियाटिक (जैसे, संथाली, मुंडारी)

तिब्बती–बर्मी (जैसे, मणिपुरी, बोडो, विभिन्न हिमालयी भाषाएँ)

यह विविधता सहस्राब्दियों के प्रवास, बस्तियों, सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं और साहित्यिक परंपराओं से उत्पन्न हुई

है। भारत की विशिष्टता यह है कि बहुभाषिकता हमेशा से एक सामाजिक मानदंड रही है, अपवाद नहीं। कई भारतीय क्षेत्रों में, लोग नियमित रूप से तीन या अधिक भाषाएँ बोलते हैं – एक घर के लिए, एक समुदाय के लिए, और एक व्यापक संचार के लिए। ऐसी भाषाई समृद्धि रचनात्मक संचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है। जब समुदाय भाषाई सीमाओं के पार परस्पर क्रिया करते हैं, तो कला, विचार और कहानियाँ एक–दूसरे तक पहुँचने लगती हैं, और दोनों संस्कृतियों को सूक्ष्म और गहन तरीकों से रूपांतरित करती हैं।

2. अंतरभाषी संचार के ऐतिहासिक आधार

2.1 प्रारंभिक संयोजक ढाँचे के रूप में संस्कृत और प्राकृत

सदियों से, संस्कृत एक अखिल भारतीय बौद्धिक भाषा के रूप में कार्य करती रही है, जिसने विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों और धार्मिक साधकों को एक सूत्र में पिरोया है। हालाँकि यह अधिकांश लोगों के लिए एक स्थानीय भाषा नहीं थी, फिर भी संस्कृत के विचार अनुकूलित और स्थानीयकृत रूपों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित हुए। संस्कृत के साथ–साथ, विभिन्न प्राकृत और अपभ्रंश साहित्यिक बोलियों के रूप में कार्य करते रहे, जिन्होंने प्रारंभिक क्षेत्रीय भाषाओं को प्रभावित किया।

पंचतंत्र, कथासरित्सागर या जातक कथाओं जैसी कहानियों के भाषाई सीमाओं के पार प्रसार ने साझा नैतिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के प्रसार को सुगम बनाया। इन कृतियों का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद, पुनर्लेखन और पुनर्कथन किया गया, जिससे एक ऐसा सांस्कृतिक ताना–बाना निर्मित हुआ जो एक साथ विविध और परस्पर जुड़ा हुआ था।

2.2. भक्ति आंदोलन : भारतीय भाषाओं में भक्ति–साहित्य का निर्माण

भारत में सबसे परिवर्तनकारी अंतरभाषी घटनाओं में से एक भक्ति आंदोलन था, जो लगभग 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। विभिन्न क्षेत्रों के संतों और कवियों – कबीर, मीराबाई, तुकाराम, गुरु नानक, अंडाल, बसवन्ना, नम्मालवार, और अन्य – ने स्थानीय भाषाओं में रचनाएँ कीं, जिससे आध्यात्मिक विचार आम लोगों तक पहुँचे।

भक्ति काव्य भाषाई सीमाओं के पार पहुँचा :

तमिल भक्ति रूपों ने कन्नड़ और तेलुगु साहित्य को प्रभावित किया।

उत्तर भारतीय संतों की कविताएँ हिंदी, पंजाबी, ब्रज और अवधी में प्रसारित हुईं।

फ़ारसी में सूफी काव्य ने उत्तर भारतीय स्थानीय भाषाओं के साथ गहरा संपर्क स्थापित किया, जिससे हिंदुस्तानी और इंडो–फारसी सांस्कृतिक संश्लेषण का उदय हुआ। यह आंदोलन सांस्कृतिक लोकतंत्र का उदाहरण था : भाषा अभिजात वर्ग के नियंत्रण के बजाय सशक्तिकरण और सामूहिक अभिव्यक्ति का एक साधन बन गई।

2.3 व्यापार मार्ग और भाषाई आदान–प्रदान का प्रसारण

समुद्री और स्थल–आधारित व्यापार नेटवर्क ने गुजराती, मराठी, कोंकणी, तमिल और अरबी भाषी समुदायों के बीच निरंतर आदान–प्रदान को सुगम बनाया। कालीकट, सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे बंदरगाह ऐसे संगम स्थल बन गए जहाँ भोजन, वस्त्र, लिपियाँ और साहित्यिक रूपांकनों का मिश्रण हुआ। भारतीय भाषाओं ने अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली और बाद में अंग्रेजी से अनगिनत उधार लिए गए शब्दों, जैसे "शर्बत", "बिरयानी", "दफ्तर", "लुंगी", "अंजाम" और कई अन्य कई शब्दों को आत्मसात किया।

इस तरह के अंतर्संबंधों ने शब्दावलियों को समृद्ध किया और साहित्य की नई विधाओं का निर्माण किया, जैसे गोवा में भारतीय–पुर्तगाली गीत या उत्तर भारत की संकर रेख्ता कविता।

सिन्धु से प्राची की दिशा में प्रसरित आर्यों ने जिस अमूल्य निधि को आर्यावर्ता के चतुर्दिशा में फैलाया वह है भाषिक संपदा। भारतीय भाषाओं पर कार्य करने वाले 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया' के कृतिकार जार्ज ग्रियर्सन ने कहा कि 'भारत जिसे जादूगरों का देश कहा जाता वहाँ सबसे मूल्यवान है यहाँ की भांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता'।

भारत में 'चार कोस पर पानी बदले आ कोस पर बानी' एक ध्रुव सत्य है। एक मिथिलाञ्चल में ही तीस प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है। कालिदास ने जल, बादल, चन्द्रधनुष, वन, पवन, सुख, दुःख सबकी भाषा को वर्णित किया है। सम्पूर्ण 'मेघदूतम्' मेघ को ही सम्बोधित एक विरह काल है। 'वाणभट्ट की आत्मकथा' की भट्टिनी, आषाढ़ का एक दिन की माल्लिका, प्रकृति की भाषा को जानती–बूझती है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पदा है भाषा और भाषा को उदारतापूर्वक वितरित करने का माध्यम है रचनापरक संवाद। इसी रचनात्मकता ने हमें विश्व साहित्य से परिचित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। गोर्की, ताल्सतॉय, काफ़्का, हैमिंग्वे, नीत्शे, थॉमस हार्डी, मिल्टन को जैसे हमने पढ़ा और समझा उसी प्रकार गीताञ्जलिकार रवीन्द्र, कालिदास, भास, कौटिल्य, वात्स्यायन, माघ, भवभूति, पतञ्जलि, मण्डन, वाचस्पति को बिश्वके अन्य प्रभाग के साहित्य रसिकों ने समझा। गोर्की की 'द मदर' घर–घर की माँ अपनी संवेदनशीलता और स्वाभाविक सारल्य के कारण ही बन जाती है। शताधिक भाषाओं में इसका अनुबाद होता और इसमे नूतनता का सन्निवेश होता जाता। भाषा, भाव और अर्थ की क्षमता, संवेदना और सहृदयता के कारण बादलों से भी सघन और जल युक्त है। कब, कहाँ और कैसे भावों की वर्षा सहृदय पाठकों को भिंगो दे कहना मुश्किल है।

इस तरह के अंतर्संबंधों ने शब्दावलियों को समृद्ध किया और साहित्य की नई विधाओं का निर्माण किया, जैसे गौवा में भारतीय–पुर्तगाली गीत या उत्तर भारत की संकर रेख्ता कविता।

3. साहित्यिक आदान–प्रदान : अनुवाद, रुपांतरण और संकर शैलियाँ

3.1 सांस्कृतिक संवाद के रूप में अनुवाद

भारत में अनुवाद की दुनिया की सबसे मजबूत परंपराओं में से एक है। ग्रंथों का शब्दशः पुनरुत्पादन शायद ही कभी होता था। इसके बजाय, उन्हें "रुपांतरित" किया जाता था, स्थानीय संदर्भ, शैली और पाठकों के अनुसार अनुकूलित किया जाता था। इससे केवल प्रतियों के बजाय नई कृतियाँ रची गई।

रामायण इसका सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है, क्यूंकि ए के रामानुजन के कथनानुसार भारत में कम से कम तीन सौ रामायण ग्रंथों की रचना हुई है ;

वाल्मीकि के संस्कृत महाकाव्य ने कंबन के रामावतारम् (तमिल), तुलसीदास के रामचरितमानस (अवधी), कृत्तिबास ओझा के कृत्तिवासी रामायण (बंगाली), एजुथचन के मलयालम संस्करण और दर्जनों अन्य को प्रेरित किया। प्रत्येक पुनर्कथन अपने क्षेत्र की संस्कृति, मूल्यों और सौंदर्यशास्त्र को दर्शाता है।

इसी प्रकार महाभारत, गीता और पुराणों का लगभग हर भारतीय भाषा में रूपांतरण किया गया।

कई रामायणों और महाभारतों का सह–अस्तित्व भारत के मूलभूत सांस्कृतिक सिद्धांत को दर्शाता है : एकता के

लिए एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, सांस्कृतिक सामंजस्य विविध भाषाई स्वरों के माध्यम से व्यक्त साझा आख्यानों से उभरता है।

3.2 बहुभाषी साहित्यिक दुनिया

भारतीय लेखक ऐतिहासिक रूप से बहुभाषी रहे हैं। अमीर खुसरो ने फारसी, हिंदवी और ब्रज में लिखा। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगाली रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यू.आर. अनंतमूर्ति (कन्नड़), महाश्वेता देवी (बंगाली), ए.के. रामानुजन (अंग्रेजी और कन्नड़), और गिरीश कर्नाड (कन्नड़ और अंग्रेजी जैसे आधुनिक लेखकों ने भाषाई समदायों के बीच सेतु का निर्माण किया। और तो और मध्य युग में विद्यापति के सदृश महान लेखकों ने भी एक ही साथ चार चार भाषाओं में पुस्तक लिखीं हैं – मैथिली, संस्कृत, प्राकृत तथा अवहट्ट में।

ये आदान–प्रदान पाठकों का विस्तार करते हैं, विचारों का प्रसार करते हैं और साहित्यिक विधाओं को समृद्ध बनाते हैं। आज, भारत में प्रकाशन मंच और अनुवाद पाठकों को असमिया उपन्यासों से लेकर मलयालम लघु कथाओं और हिंदी दलित आत्मकथाओं तक, विभिन्न भाषाई स्पेक्ट्रम के साहित्य से जोड़ते हैं।

4. मौखिक परंपराएँ और क्षेत्रीय प्रदर्शन संस्कृतियाँ

4.1 कहानी सुनाने की परंपराएँ

कथाकलाक्षेपम, पंडवानी, कीर्तन, बाउल गीत, लोरियाँ और लोककथाएँ जैसी मौखिक कहानी सुनाने की प्रथाएँ सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रही हैं। कहानीकार अक्सर श्रोताओं और भाषा के आधार पर सहज रूप से कथाओं का रूपांतरण करते थे।

उदाहरण के लिए:

कर्नाटक के यक्षगान रंगमंच ने पड़ोसी मलयालम और तुलु परंपराओं को प्रभावित किया।

राजस्थान के गाथागीतों के गुजराती और पंजाबी में रूपांतर हैं।

पूर्वोत्तर की कहानी कहने की परंपराएँ तिब्बत, म्यांमार और दक्षिण–पूर्व एशिया के मूल भावों को एकीकृत करती हैं।

इन माध्यमों के माध्यम से, स्थानीय पहचान व्यापक सांस्कृतिक प्रतिमानों से मिलती है, जिससे जीवंत बहुसंस्कृतिवाद का निर्माण होता है।

4.2 संगीत और भाषाई संमिश्रण

भारतीय शास्त्रीय संगीत अंतरभाषाई आदान–प्रदान का एक और माध्यम है। हालाँकि कर्नाटक संगीत रचनाएँ अक्सर तेलुगु, संस्कृत या तमिल में होती हैं, फिर भी इन्हें पूरे भारत में बजाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत फॉरसी और स्थानीय भाषाओं से काफी प्रभावित हैं।

आधुनिक भारतीय संगीत – फिल्मी गीत, संलयन बैंड, लोक–पॉप – अक्सर कई भाषाओं का मिश्रण होता है, जो समकालीन गतिशीलता और मिश्रित पहचान को दर्शाता है।

5. लिपियाँ, लेखन प्रणालियों और अंतर–सांस्कृतिक विकास

भारत में लिपियाँ – देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया आदि – परस्पर प्रभाव

से विकसित हुई हैं। इनमें से कई ब्राहमी परिवार से संबंधित हैं और इनमें संरचनात्मक समानताएँ हैं। लिपि विनिमय के ऐतिहासिक स्तर हैं:

फारसी–अरबी लिपि ने कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू को प्रभावित किया।

ग्रंथ लिपि ने दक्षिण भारत में संस्कृत को संरक्षित रखा।

मिशनरी मुद्रण परंपराओं ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिल, मलयालम और अन्य लिपियों का मानकीकरण किया।

लिपियाँ स्मृति और पहचान की वाहक है, लेकिन उनका विकास दर्शाता है कि भारत की संस्कृतियाँ अलगाव के बजाय अनुकूलन के माध्यम से कैसे संवाद करती हैं।

6. आधुनिक मीडिया : सिनेमा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और भाषाई बहुलवाद

6.1 बहुभाषीय क्षेत्र के रूप में भारतीय सिनेमा

भारतीय सिनेमा शायद रचनात्मक अंतरभाषी आदान–प्रदान का सबसे प्रमुख समकालीन क्षेत्र है। बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय उद्योग लगातार एक–दूसरे से विषय, पटकथाएँ और शैलियाँ उधार लेते हैं।

भाषाई फिल्म उद्योगों में अभिनेताओं, तकनीशियनों और कथानकों का आना–जाना अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिचय को मजबूत करता है। उपशीर्षक और डबिंग पहुँच का विस्तार करते हैं और भाषाई बाधाओं को दूर करते हैं।

6.2 डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन बहुभाषावाद

डिजिटल तकनीकों के साथ, कोड–स्विचिंग और मिक्सिंग (जैसे, हिंग्लिश, टैंगलिश) का चलन व्यापक हो गया है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स अक्सर हाइब्रिड रूपों में सामग्री तैयार करते हैं जो भारत की परिवर्तनशील भाषाई पहचान को दर्शाती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय फिल्मों और धारावाहिकों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे दर्शकों को अपरिचित भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे सांस्कृतिक उपभोग का लोकतंत्रीकरण होता है और अंतर–क्षेत्रीय समझ मजबूत होती है।

7. भाषा नीतियाँ और शिक्षा : बहुलवादी संचार को बढ़ावा

भारत की भाषाई नीतियाँ – यद्यपि राजनीतिक रूप से जटिल हैं – लोकतांत्रिक बहुभाषावाद पर आधारित हैं। त्रि–भाषा सूत्र बच्चों को अपनी मातृभाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य भारतीय या विदेशी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएँ अनुवाद और साहित्यिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देती हैं।

यद्यपि चुनौतियाँ बनी हुई हैं (जैसे, भाषाओं के बीच समानता सुनिश्चित करना, एकरूपता की प्रवृत्ति से बचना), भारत का नीतिगत ढाँचा विविधता को मिटाने के बजाय उसे व्यापक रूप से अपनाता है।

8. राष्ट्रीय एकता की शक्ति के रूप में रचनात्मक संचार

भारत की सांस्कृतिक विविधता को कभी–कभी विखंडन का स्रोत मानकर गलत व्याख्या की जाती है। हालाँकि, भाषाई और सांस्कृतिक आदान–प्रदान कई तरीकों से एकजुटता पैदा करते हैं :

साझा कहानियाँ : विविध रामायण और महाभारत एक साझा वैचारिक स्थान बनाते हैं।

साझा त्यौहार : कई त्यौहार – दिवाली, होली, फसल उत्सव – स्थानीय विविधताओं के बावजूद सामूहिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं।

साझा सौंदर्यशास्त्र : वास्तुकला, भोजन और संगीत समय और स्थान के पार समन्वयात्मक विकास दर्शाते हैं।

साझा रचनात्मकता : विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लेखक, कलाकार और फिल्म निर्माता एक–दूसरे को प्रेरित और समृद्ध करते हैं।

यह परस्पर जुड़ा सांस्कृतिक ढाँचा भारत की बहुलतावादी पहचान को बनाए रखता है।

9. समकालीन चुनौतियाँ और भविष्य

बहुभाषिकता की अपनी मजबूत परंपराओं के बावजूद, भारत निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रहा है:

शहरीकरण और वैश्वीकरण भाषाई समरूपता पर दबाव डाल सकते हैं।

कुछ भाषाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण में कमी के कारण संकटग्रस्त हैं।

भाषा पदानुक्रम पर राजनीतिक बहस एकता को प्रभावित कर सकती है।

हालाँकि, अवसर भी प्रचुर हैं:

प्रौद्योगिकी लुप्तप्राय भाषाओं के दस्तावेजीकरण और पुनरुद्धार को संभव बनाती है।

क्षेत्रीय कलाएँ और साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं।

युवा भारतीय तेजी से कोड–स्विचिंग और बहुसांस्कृतिक पहचान को अपना रहे हैं।

एक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील भारत के लिए बहुभाषी रचनात्मकता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

10. निष्कर्ष

रचनात्मक संचार और अंतरभाषी आदान–प्रदान भारतीय समाज की परिधीय विशेषताएँ नहीं हैं – वे इसकी पहचान के मूल में हैं। प्राचीन कथावाचन परंपराओं से लेकर समकालीन डिजिटल संस्कृति तक, पटकथा विकास से लेकर सिनेमाई सहयोग तक, भारत की भाषाएँ निरंतर संवाद में संलग्न है, एक–दूसरे को आकार देती हैं और उल्लेखनीय सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करती हैं।

भारत की सांस्कृतिक विविधता आकस्मिक नहीं है, यह ऐतिहासिक रूप से भाषाई सीमाओं के पार विचारों, आख्यानों, लय और लोगों के आवागमन द्वारा पोषित और निरंतर नवीनीकृत होती रही है। यह गतिशील प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि भारतीय संस्कृति खुली, बहुलवादी और निरंतर विकासशील बनी रहे।

अंततः, भारत दुनिया को यह दर्शाता है कि एकता के लिए एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती – बल्कि, यह तब फलती–फूलती है जब विविध स्वर संवाद करते हैं, सृजन करते हैं और सह–अस्तित्व में रहते हैं।

तस्वीरों में नराकास, मैसूरू